Page No 1

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का १७ वां दिवस [संख्या १३

बुधवार, दिनांक ४ सितम्बर, १९६३

—

विधान सभा की बैठक म. प. २.३१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

—

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शक्ति, स्वायत्त शासन, चिकित्सा, गृह, सार्वजनिक निर्माण, जन सम्पर्क, वित्त एवं मुद्रण तथा लेखन सामग्री–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ४३६

श्री राधाकृष्ण गोयल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४३७

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४३८

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४३९

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री रविशंकर याज्ञनिक।

सिरोही जिले को विद्युत

४४०. श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवारा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सिरोही जिले को विद्युत पहुंचाने हेतु उदयपुर कोटड़ा छावनी होते हुए सरूपगंज, रोहिड़ा और आबूरोड को चम्बल पन बिजली से जोड़ने हेतु एक लाइन खींची जा रही है तथा बड़ी तेजी से सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

Page No 2

(श्री रविशंकर यांज्ञनिक)

(२) यदि हां, तो वह बिजली उपरोक्त एरिया को कब तक मिल जायगी ?

(३) यदि नहीं, तो सरूपगंज, रोहिड़ा को एक दो-साल में बिजली पहुंचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(४) क्या यह सही है कि सरूपगंज, रोहिड़ा, वासा, भांवरी के लिए एक योजना प्रोजेक्ट रुपये १,१३,०००) की लागत का बनाया गया है ?

(५) सरकार उपरोक्त योजना प्रोजेक्ट को कब तक कार्यान्वित कर देगी ?

उप-मंत्री-विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

(४) जी हां, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है जिसकी अनुमानित लागत रु० ११.३३१ लाख है, न कि रु० १.१३ लाख जैसा कि प्रश्न में बतलाया गया है।

(५) योजना के लाभदायक न होने के कारण प्रश्न नहीं उठता।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : यह योजना लाभदायक न होने का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरूपगंज को हाइडल ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ने का प्रश्न था। पहले वहां पर सीमेंट प्रोजेक्ट खोलने का था। वह मेन प्रोजेक्ट का एक कोलेटरल था, जब मेन प्रोजेक्ट का ही आइडिया ड्रॉप कर दिया गया तो सेकंडरी लाइन का सवाल ही नहीं उठता।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : ४:९५ परसेन्ट लाभ हुआ, सरूपगंज पर पेपर मिल खोलने का हो रहा है। रेलवे स्टेशन है, अच्छी मण्डी है, खेती का भी काफी स्कोप है; तो फिर क्या कारण है कि आप यह क्यों नहीं प्रोजेक्ट वहां लगा रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आज पॉवर की जगह जगह डिमान्ड है और जितना उसको मीट आउट कर सकते हैं कर रहे हैं। पॉसिटी आफ फन्ड्स भी हैं; ६६ के. बी. लाइन देबारी से सरूपगंज लाने वाले थे। जिस सेठ के द्वारा सीमेन्ट फेक्टरी खोली जाने वाली थी वह अब नहीं खोली जा रही है। सीमेन्ट फेक्टरी खुलती तो काफी लोड मिलने की सम्भावना थी। अब वहां लोड पोटेन्शियललिटी इतनी है नहीं और हाइडल ट्रांसमिशन लाइन इस दृष्टि से उदयपुर से खींचना उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया गया।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : काफी लोड मिलने वाला है। सरूपगंज से रोहिड़ा चार मील दूर है, पांच हजार की बस्ती है, तीन हजार सरूपगंज की बस्ती है, वासा तीन हजार की बस्ती है। कैसे लाभ नहीं होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : ११ लाख तो इस प्रोजेक्ट का है; हाइडल आवेगी तो और यदि थर्मल वगैरह का है तो अलग से है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह मेन

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोजेक्ट का सैकन्डरी प्रोजेक्ट था। जब मेन प्रोजेक्ट को ही ड्राप कर दिया है तो इसको इम्प्लीमेन्ट करने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री रविशंकर याज्ञनिक ; ६१ लाख का एस्टीमेट बना हैं वह डीजल का है ?

श्री परसराम मदेरणा : डीजल एन्जिन का नहीं है।

श्री रविशंकर याज्ञनिक ; मैं सही कह रहा हूं डीजल एन्जिन का है।

प्रश्न संख्या ४४१

श्री अध्यक्ष :—श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४२

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा

नवलगढ़ नगरपालिका

४४३. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नवलगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष कितने समय से निलंबित अवस्था में हैं ?

(२) न्यायिक जांच कितने समय में पूरी हो जानी चाहिये ? इस समय उनके खिलाफ चल रही जांच किस अवस्था पर है तथा जांच में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) दिनांक १०-५-६२ से।

(२) न्यायिक जांच पूरी होने का निश्चित समय निर्धारित नहीं है।

साक्षियां ली जा रही हैं व सुनवाई की कार्यवाही हो रही है। रेकॉर्ड आदि का उपलब्ध कराना, साक्षियों का होना, मौके की जांच व सुनवाई आदि में समय लगना सम्भव है।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा इस क्वेश्चन के बारे में यह जवाब दिया गया था और आपकी तरफ से भी यह रूलिंग दी गयी थी कि इसकी जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि एक व्यक्त इतने समय तक निलम्बित रहे, यह उपयुक्त नहीं है। जांच में समय अधिक लग सकता है, जैसी भी कार्यवाही करनी हो जांच करके शीघ्र ही उसको किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : न्यायिक जांच कौन कर रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण: लीगल रिमेम्ब्रेन्सर।

श्री अध्यक्ष : लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ? क्या जाच यहां की जा रही है ?

श्री दौलतराम सारण: यहां की जा रही है।

श्रीमती सुमित्रा : गवाह आवे या नहीं, न्यायिक जांच ग्रोन दी स्पोट की जानी चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, प्रोसीजर यह है कि एल.आर. जुडिशियल इन्क्वायरी करते चूंकि उनका दफ्तर यहां है इसलिए गवाह वगैरह को यहां बुलाया जाता है। यहीं से सब काम होता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जांच का अधिकार कलेक्टर साहब को दे दिया है?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह तो न्यायिक जांच नही हुई विभागीय जांच हो गई ?

श्री अध्यक्ष : न्यायिक जांच कह रहे है मंत्री महोदय।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होती है। डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ यह करके गवर्नमेंट को यह सबमिट करते हैं। यदि गवर्नमेंट यह समझती है कि इसमें फरदर कार्यवाही करना है तो एक्सप्लेनेशन कॉल करके उसको वह खत्म कर देती है या फर्दर कार्यवाही के लिए एल.आर. के पास भेज देती है। डिपार्टमेन्ट का उस पर फिर कोई दखल नहीं होता है ?

श्रीमती सुमित्रा : क्या यह सही है कि प्रिलिमनरी इन्क्वायरी में जो चार्जेज़ थे वे साबित नहीं हुए और इस केस को डिले करने के लिए ही न्यायिक जांच की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : न्यायिक जांच का प्रोविज़न है म्युनिसिपल एक्ट में ?

श्री बरकतुल्ला खां : प्रोविज़न यह है कि मिनिस्टर नगरपालिका के किसी मेम्बर को, किसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को सस्पेन्ड कर सकता है लेकिन वह उसको परमानेन्ट डिसएबल नहीं कर सकता। फाइनल जजमेन्ट तो एल. आर. का है। वह जो लीगल फाइन्डिंग्ज दे दे वह सही है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि सस्पेन्शन के बाद भी बिना ज्युडिशियल इन्क्वायरी के गवर्नमेन्ट रिइन्स्टेट करदेती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : यदि गवर्नमेन्ट सेटिस्फाइड हो जाय कि इसमें अब फर्दर एक्स्प्लेनेशन की जरूरत नहीं है तो वह किसी मेम्बर को, चेयरमेन को, वाइस चेयरमेन बहाल कर सकती है, यदि उनका कोई कुसूर नहीं है तो।

श्री भैरोंसिह : क्या आपने यह जांच की है कि प्रिलिमिनरी चार्जेज़ एस्टेब्लिश होते हैं और जिनके आधार पर ज्युडिशियल इन्क्वायरी कराना जरूरी है ?

श्री बरकतुल्लाखां : प्राइमा फैसी बनता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, इसको न्यायिक जांच कहना

Page No 5

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

गलत है। इस कानून के अन्दर यह प्रोवीजन है जो कि सस्पेन्शन सरकार करती है या मिनिस्टर साहब करते हैं उनके करने के बाद उसके निर्णय के लिये कोई न कोई टाइम होना चाहिये। अगर टाइम नहीं होता है तो इलेक्टेड लोगों के जो अधिकार होते हैं वह उन अधिकारों का हनन है। इसके बारे में तीन महीने के बाद बहुत गरमी के बाद सारे हाउस ने कहा था और विरोध किया था। क्या वह हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, लीगल रिमेम्ब्रेन्सर जो इसको लेकर बैठे हुए हैं? वे इसको जल्दी क्यों नहीं करते? कौनसी ऐसी सरकार है जो इस प्रकार ढिलाई को बर्दाश्त करती है। आप कई दफा नहीं जाते हैं, वे तारीखें ले लेते हैं। सवाल यह नहीं कि डिपार्टमेन्ट वाले कितनी देर करते हैं यह बतलाया जाय।

श्री बरकतुल्लाखां : एवीडेन्स जो ली जाती है उसमें कई दफा यह होता है कि जो मेम्बर सस्पेन्ड होते हैं वे एवीडेन्सेज नहीं लाते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपनी तरफ से कितनी दफा एडजोर्नमेन्ट किया है। आप कहते हैं कि दुबारा चार्जशीट बनायेंगे, तिबारा चार्ज शीट बनायेंगे। लीगल रिमेम्ब्रेन्सर कहते हैं कि चार्जशीट नहीं आई है, फिर दुबारा बना करके भेजते हैं, उसको प्रोसीड आप नहीं होने देते हैं?

श्रीमती सुमित्रा : इस केस के अन्दर एग्रीकलचर डाइरेक्टर की रिपोर्ट ट्रक के एन्जिन के बारे में जो दी है मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहती हूं कि वह सदन की टेबल पर रखी जाय।

श्री बरकतुल्लाखां : जब तक इन्क्वायरी चल रही है किसी भी रिपोर्ट को मैं हाउस की टेबल पर नहीं रख सकता। ये सारी रिपोर्ट्स, लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के पास में हैं, उनके पास से पूरा रेकॉर्ड आ जाने के बाद आपके सामने पेश कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : उनको पेश करने की आवश्यकता नहीं है। सदन यह जानना चाहता है कि जान-बूझ कर तो इसमें देरी नहीं हो रही है और कब तक यह इन्क्वायरी हो जायगी।

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक गवर्नमेन्ट के एवीडेन्स लीड करने का ताल्लुक है बहुत मजबूर न हो जाय, टाइम लेना जरूरी हो तब लिया जाता है। सरकारी तौर पर ज्यादा समय एडजोर्नमेन्ट के लिये नहीं मांगा। ज्यादातर केस में एडजोर्नमेन्ट मेम्बर ने मांगा है, गवर्नमेन्ट ने सब से कम मांगा है।

श्रीमती सुमित्रा : जो आदमी सस्पेन्डेड है वह आदमी तो मांग नहीं सकता। वे तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस इन्क्वायरी का फैसला किया जाय। दूसरे लोग जो इसमें इन्टरेस्टेड हैं कि वे सस्पेन्डेड रहें वे टाइम मांगते हैं, जान-बूझकर मांगते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री केदारनाथ :

Page No 6

पदमपुर में विद्युत

४४४. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : Will the Power Minister please reply :—

What is the likely date by which electricity will be provided to Padampur (Ganganagar District) which is a growing Mandi ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) : It is not possible to give any definite date by which electricity will be provided to Padampur.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या डेफीनिट ईयर दे सकते हैं, ६४-६५ ?

श्री परसराम मदेरणा : इस साल के प्रोग्राम में इस लोकेलिटी का नाम है नहीं। आगे प्रोग्राम ड्रॉ किया जायगा, उसमें रखा जायगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भासीन्द): कोई योजना तक तो बता सकते हैं ?

श्री केदारनाथ : गंगानगर की धानमंडियों की हैसियत से पदमपुर का नम्बर ५ वां है। लोन स्कीम के तहत आप बिजली देने में इसको टोप प्रायोरिटी दे सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार की यह नीति रही है कि पांच हजार तक की आबादी वाले कस्बों को इलेक्ट्रिफाई करने के लिये प्रायोरिटी दी जाय, लेकिन आपके इस पदमपुर की पोपुलेशन सन् १९५१ की सेंसस फीगर्स के अनुसार केवल १५०० है। अभी तक इस तक की लोकेलिटी को टच नहीं किया जा रहा है।

श्री भीमसेन : आप १९६१ के फीगर्स लीजिये ना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि लोन स्कीम के अन्तर्गत लोन फ्लोट किया जाय। वहां वाले लोन देंगे, आप ट्रान्समिशन लाइन लगा सकते हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : इस स्टेज पर मैं इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता। जहां तक लोन फ्लोट करने का सवाल है उसके लिये भी यह है कि जितनी केपीटल इन्वेस्ट करनी होती है उससे उतना रिटर्न भी मिलता है या नहीं, वह स्कीम रेमुनरेटिव भी है या नहीं ? रेमुनरेटिव हो तो नेगोशियेशन्स हो सकते हैं। आखिर उसके लिये कितना पैसा चाहिये, वे कितना लोन देने के लिये तैयार है ? जहां तक पदमपुर का सवाल है, मैने माननीय सदस्य से बातचीत की है। यहां पर ट्रांसमिशन लाइन लाने में बहुत ज्यादा एक्सपेन्डीचर है, क्योंकि जहां से लाइन लायी जायगी वह मंडी २० मील दूरी पर है, गंगानगर सबसे नजदीक है, वहां से लाइन लाने में कितना एस्टीमेट आयगा उतना लोन वे दे सकेंगे या नहीं, यह सब उन साधनों पर निर्भर है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : नियम तो इसके लिये डिपार्टमेन्ट के हैं नहीं कि इतने माइल पर इतना रुपया लगेगा। एग्रीकलचर पम्प कितने होने चाहिये, तब

(श्री विजयसिंह झाला)

लाइन देंगे। आखिर इसके लिये विभाग के पास कोई नियम है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोकुलप्रसाद।

राजस्थान में अस्पतालों द्वारा एक्सरे आदि की अलग-अलग दरों से फीस की वसूली

४४५. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में भिन्न-भिन्न शहरों के अस्पतालों में रोगियों से खून, पेशाब, टट्टी की जांच की तथा एक्सरे की अलग-अलग दरों से फीस वसूल की जाती है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर क्या-क्या रेट हैं ?

(२) क्या इनमें भेद को मिटाकर एक समता लाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) :
(१) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, १९५१ से। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने भाग (२) का क्या जवाब दिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : ५१ से विचाराधीन है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पढ़ लीजिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एकरूपता लाने पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : ५१ से विचाराधीन है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पहला प्रश्न है, जिसकी सूची मुझको नहीं मिली है। अलग-अलग अस्पतालों के जो अलग-अलग रेट्स हैं उसको एक करने के लिए आप १३-१४ साल से विचार कर रहे हैं। यह जवाब तो ठीक नहीं जंचा। क्या आप यह बता सकते हैं कि जयपुर में क्या लेते हैं, भीलवाड़ा में क्या लेते हैं और उदयपुर में क्या लेते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : राजस्थान की डिफरेन्ट युनिट्स में डिफरेन्ट रेट्स हैं। जोधपुर में बहुत ज्यादा है और अलवर के अन्दर बहुत कम है व बीकानेर में ज्यादा है तो भरतपुर में कम है। इसके लिये पहले गवर्नमेंट ने यह तय किया कि पड़ोसी राज्यों से सूचना मंगाई जाय कि वहां क्या रेट्स हैं; उसके अनुसार फॉर्मुला वर्क आउट किया तो उसके अनुसार उन रेट्स को युनिफॉर्म स्केल पर लाते हैं तो हमें सब जगह बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रश्न यह आता है कि जिन इलाकों में कम है, अगर वहां बढ़ाते हैं तो वहां के सदस्य फिर प्रश्न उठायेंगे। इसलिए गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है इस प्रश्न पर कि किस

(श्री बरकतुल्लाखां)

तरह से किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने जवाब में कहा कि इस एकीकरण के करने के बारे ५१ से विचार कर रहे हैं। आप यह कहते हैं कि इंगलैन्ड से सूचना मंगानी अफ्रीका से मंगानी है। यहां सवाल तो सिर्फ इतना ही है कि एक रेट्स हों सभी अस्पतालों में। आप इसको टालने के लिए इंगलैन्ड से सूचना मंगाते हैं, अफ्रीका से मंगाते हैं, इससे हमें क्या मतलब ? आप एक रेट करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : जिन अस्पतालों में ब्लड टैस्ट होता है, एक्सरे होता है, उन अस्पतालों में अगर एक दम चार्जेज़ बढा देते है यहीं आकर माननीय सदस्य कहेंगे कि जहां फेसीलिटीज़ मिल रही थी उनको कम किया जा रहा है। यदि सदन की यही राय मालूम होती है कि रेटस को बढ़ाने की कोशिश की जाय तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इससे यह भी तो हो सकता है जहां ज्यादा दे रहे हैं वहां कम भी हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : अलवर के आधार पर सब जगह कर दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो नहीं हो सकता कि उदयपुर वाले ज्यादा पैसा दें और अलवर वाले कम दें।

श्री बरकतुल्ला खां : जोधपुर ज्यादा दे रहा है।

प्रश्न संख्या ४४६

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह।

(अनुपस्थित)

टोंक में टी. बी. सैनिटोरियम भवन

४४७. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): Will the Minister for Medical and Health be pleased to state:—

1. Is it a fact that there is a T. B. Sanatorium at Tonk ? If yes, What is the accommodation therein ?

2. Is it a fact that there is no proper arrangements for accommoating the patients, since there is no proper building for the purpose ?

3. Is it a fact that the said Sanatorium is being run in some old building ?

4. Is the Government aware that the number of T. B patients in Tonk district is heavy ? If yes, What has been the highest number of patients in one particular year and what is the number now ?

5. Is it a fact that owing to inadequate accommodation many patients are not admitted in the Sanatorium ? If yes, what measures are being taken by the Government to meet the requirements ?

Page No 9

(श्री दिग्विजयसिंह)

6. Has the Government even thought of constructing a new building for this Sanatorium? If not, why? If yes, when will it materialise?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : 1. There is no T. B. Sanatorium at Tonk. A 20 beds T. B. Isolation Ward was started at Tonk under the 2nd Five Year Plan.

2. No.

3. Yes

(4) No proper survey has been conducted in Tonk. The number of cases are as following :

	1962	1963
Total new cases out and indoor patients	330	235
Total old Cases out and indoor Patients	18663	9956

(5) No. There is no Sanatorium in Tonk; as such question does not arise.

(6) In view of financial steringency and emergency it could not be possible.

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह टी. बी. का सवाल है, जनता के स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाला है इसलिये इसका उत्तर हिन्दी में भी पढ़ दें क्योंकि अनुवाद भी हिन्दी में है प्रश्न का।

श्री अध्यक्ष : यह अंग्रेजी का रोग है।

श्री हीराभाई : तो अंग्रेजी का रोग आप हटाओ।

श्री अध्यक्ष : यह टी. बी. का रोग है, धीरे धीरे हटेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : यह सवाल करने वाले की मर्जी है। उन्होंने अंग्रेजी में सवाल किया, इसीलिये मैं अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सरकार ने एक आज्ञा निकाली है कि हर विभाग अपना काम हिन्दी में चलाए, इसलिये आप तो अपने हुक्म का पालन करिये। अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है तो न करे, आप तो अपने हुक्म का पालन करिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : लोकसभा में भी अब ऐसा हो गया है कि हिन्दी में भी जवाब दिया जावेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या इन फिगर्स के आधार पर राज्य सरकार के पास कोई योजना है कि टी. बी. सैनिटोरियम बनाया जावेगा वहां ?

श्री बरकतुल्ला खां : अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से टी. बी. के मरीजों के बारे में देश में विचारधारा बन रही है उसके आधार पर आशा की जाती है कि सेन्टर इसमें कोई जल्दी कदम उठावे।

श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवामहल,

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जयपुर) : पहले प्रश्न का उत्तर यह दिया गया कि टौंक में टी. बी. सैनिटोरियम नहीं है। दूसरे का उत्तर दिया है, "जी हां" और तीसरा प्रश्न यह है कि "Is it a fact that the said Sanatorium is being run in some old building?"

जब टौंक में सैनिटोरियम है ही नहीं तो इसका उत्तर "जी हां" में कहां से आ गया ?

श्री अध्यक्ष : पहले भाग के उत्तर में कहा था कि सैनिटोरियम नहीं है, पर आइसोलेशन वार्ड है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पर पहले 'नहीं' कहा और बाद में 'हां' कहा इसका स्पष्टीकरण जरा मंत्री महोदय कर दें। The said refers to Sanatorium which exists in Tonk.

श्री अध्यक्ष : यह तो कानूनी बात बता दी आपने।

श्री रामकिशन (वैर) : भाग ४ में बताया कि सर्वे नहीं हुआ पर मरीजों की संख्या बताई; तो क्या किसी और जिले में टौंक की आबादी के अनुपात में इतनी मरीजों की संख्या है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गंगासिंह।

(उप मंत्री, गृह, प्रश्न संख्या ४४८ का उत्तर देने लगे इसी बीच)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक प्रश्न और है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इन्हें उत्तर दे लेने दें।

चोरियां व डकैतियां

४४८. श्री गंगासिंह (जायल) : Will the Home Minister be pleased to state :-

1. How many cases of theft dacoity have been registered in all the Police Stations of Nagour District after 1st January, 1962 ?

2. What has been the value of property involved in these cases ?

3. To what extent the Police has been able to recover the property ?

उप-मन्त्री, गृह : (श्री भीमसिंह)(१) १ जनवरी, ६२ के बाद नागोर जिले के पुलिस थानों में कुल ३ डकैती एवं ५२६ चोरी के मुकदमें दर्ज हुए।

(२) उक्त घटनाओं में कुल रुपया २,१०,८७१).४६ नये पैसे की धनराशि चोरी गई।

(३) इसमें से कुल रुपये १०७,६५३) ५९ नये पैसे का माल बरामद हो चुका है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): जिन केसों में माल बरामद नहीं हुआ उनमें से किन केसेज् में सबसे ज्यादा प्रोपर्टी इन्वॉल्व्ड है।

श्री भीमसिंह : यह सेपरेट क्वेश्चन है, यह डिटेल अभी मेरे पास नहीं है; अलग से सवाल पूछते तो बता देता।

प्रश्न-संख्या ४४७ सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्नोत्तर

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक): ४४७ के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह टी० बी० सेनिटोरियम की जगह शहर के बिलकुल मध्य भाग में है तो क्या सरकार की यह इच्छा है कि इसे वहां से हटाकर शहर से बाहर ले जाया जाय ताकि इस इन्फेक्शयस डिज़ीज़ का असर नगरवासियों पर न पड़े।

एक माननीय सदस्य : यह कौनसा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : टौंक का टी० बी० का अभी बन रहा है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां): अध्यक्ष महोदय....

श्री राधाकृष्ण गोयल : That is in a rented house which is situated in the heart of the city.

इसके लिये इस सम्बन्ध में कई बार काफी प्रतिवेदन भी हुए हैं आस-पास में रहने वाले नागरिकों की ओर से क्योंकि इन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, टी० बी० सारे शहर में हो जाने का डर है।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने दूसरे सवाल के लिये कॉल कर लिया था तो आपका अगर हुक्म हो तो इसका उत्तर दे दूं।

(श्री अध्यक्ष की मौन स्वीकृति पर)

श्री बरकतुल्ला खां : वहां के अस्पताल में टी.बी. का वार्ड बनाया जाता है तो वहां के लोगों ने यह कहा कि इस वार्ड को अस्पताल में मत रक्खो क्योंकि इससे दूसरे मरीजों पर और दूसरे लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए फिर हमने एक किराये का मकान लिया और उसमें आज वह टी०बी० का आइसोलेशन वार्ड चल रहा है।

अब इसको वहां से भी शहर के बाहर ले जाने की बात सोची जा सकती है। पर नई थ्योरी जो आज इस टी०बी० के विज्ञान के बारे में चली है उसके हिसाब से, तो आज ऐसा माना जाने लगा है कि टी० बी० के मरीज की देखभाल घर पर ही की जावे। पहले यह था कि लोग यह मानते थे कि टी० बी० का बीमार घर पर रहेगा तो वहां वालों को शायद यह बीमारी लग जावेगी, पर नई थ्योरी के हिसाब से अब वह डर की बात नहीं रह गई है। आज इसकी जो एन्टी-बायोटिक दवा निकली है वह इतनी स्ट्रोंग है कि इस बीमारी को घर पर रहते हुए ही कन्ट्रोल में कर सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पर वहां के मरीज पुराने हैं।

श्री अध्यक्ष : उन पर भी एन्टी-बायोटिक दवाएं आज भी काम करेंगी।

श्री मुरलीधर व्यास : टालने की दृष्टिकोण से नहीं, सही साइन्स के दृष्टिकोण से ही हो जहां टी० बी० के अस्पताल हैं वहां बाहर से भी बीमार आते हैं पर उनको स्थान नहीं मिलता है, बैड नहीं मिलते हैं। ऐसी हालत में उनके बाहर नहीं रहने पर

(श्री मुरलीधर व्यास)

असर तो होता ही है। तो इन्तजाम आपका पूरा हो या न हो, पर जहां भी टी० बी० के अस्पताल खोलें कम से कम उनको आबादी से बाहर खोलने का तो ध्यान रक्खें ताकि उससे दूसरों पर असर न पड़े।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वहां नदी के किनारे पर एक पुरानी सराय है। वह सरकारी बिल्डिंग है, इस दृष्टि से वह उपयुक्त स्थान है, उसमें इसको परिवर्तित किया जा सकता है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं विचार करूंगा इस सुझाव पर।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा, प्रश्न संख्या ४४६।

सी० ए० एस० क्लास प्रथम डाक्टरों का कन्फर्मेशन

४४६. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि १९५४ से १९५६ के बीच कुछ डॉक्टर्स को सी. ए. एस. क्लास फर्स्ट के पदों पर डाइरेक्ट ओफिशियेटिंग एपोइण्टमेण्टस् दे दिये गये और बाद में उनमें से कुछ एक बार और कुछ दो बार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिजेक्ट किये जाने पर भी सरकार ने उन्हें सी. ए. एस. क्लास फर्स्ट के पदों पर कन्टिन्यू किया और बाद में retrospectively from the date of appointment कन्फर्म कर दिया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के कन्फर्मेशन करने के कारण राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिलेक्टेड सी. ए. एस. क्लास प्रथम के डाक्टरों के अधिकारों पर एडवर्स असर पड़ा है और उनके द्वारा रिप्रेजेण्टेशनस किये जाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से माफी चाहता हूं इस सवाल के सम्बन्ध में। तमाम जो इन्फॉर्मेशन चाही गई थी वह पूरी तरह से अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिये दर्ख्वास्त करूंगा कि इसके लिये कोई आगे की तारीख दे दी जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस सैशन के समाप्त होने से पहले शायद इसका उत्तर दे दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें

४५०. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या राज्य सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में खासतौर से बीकानेर डिविजन में सड़कें बनाने के लिए भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव भेज

(श्री भीमसेन)

कर अतिरिक्त धनराशि की मांग की है ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्तावों में लूणकरणसर, सूरतगढ़ एवं बीकानेर सरदार-शहर वाया डूंगरगढ़ आदि सड़कें बनाने की योजना शामिल हैं ? अगर हां, तो इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ?

(३) क्या सरकार प्रशासनिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोणों से बीकानेर शहर जिला मुख्यालय को गंगानगर जिले एवं दिल्ली से सडक द्वारा जोडना आवश्यक समझती है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) सुरक्षा की दृष्टि से इसका उत्तर देना उचित नहीं है।

(३) योजनानुसार जो सडकें बनेंगी उसमें यह दृष्टिकोण सन्निहित है।

श्री भीमसेन : प्रश्न संख्या (२) व (३) का जवाब दिया नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री भीमसेन : लूणकरणसर से सूरत-गढ तक रोड बनानी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

जयपुर नगरपालिका के लीगल एडवाईज़र

४५१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर नगरपालिका में श्री हीरा-चन्द धांधिया को कब से किस वेतन तथा अलाउन्स पर नगरपालिका के लीगल एड-वाईज़र के पद पर नियुक्त किया गया ? क्या इस नियुक्ति की सरकार से स्वीकृति प्राप्त करली गई थी ? यदि हां, तो कब और कितने वेतन की तथा कितने समय के लिए ?

(ख) क्या उपरोक्त स्वीकृति के पश्चात सरकार ने अवधि में वृद्धि करने, वेतन तथा भत्ता व अन्य सुविधाएं देने अथवा वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई आज्ञा या स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो कब–कब और किस–किस प्रकार की ?

(ग) इस समय श्री धांधिया को कितना वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाएं नगरपालिका से दी जाती हैं और कब से ? कृपया नगर-पालिका की ऐसी आज्ञाओं की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या यह सही है कि श्री धांधिया को सन् १९५९–६० के पूर्व नगरपालिका के सिविल केस तथा फूड एडल्टरेशन आदि के केसेज़ में फीस नहीं दी जाती थी और उसके बाद दी जाने लगी है ? यदि हां, तो किस की आज्ञा से और सन १९५९–६० से लेकर अब तक किस वर्ष में कुल कितनी–कितनी फीस दी गई ?

(ङ) क्या यह सही है कि नगरपालिका के ऑडिट के अनुसार श्री धांधिया को सन १९५६–५७ तक ५०७५) रुपये का ओवर

Page No 14

(श्री श्रवणलाल)

पेमेंट किया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा और क्यों ?

(च) क्या नगरपालिका में एक पैरोकारी शाखा है ? यदि हां, तो उसमें कितना स्टाफ है और उसमें वार्षिक खर्चा कितना है ?

(छ) क्या यह सही है कि श्री धांधिया के लिए एक स्टेनोग्राफर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो कब से और किस वेतन पर ?

(ज) श्री धांधिया की नियुक्ति के बाद नगरपालिका के कितने-कितने केस विभिन्न अदालतों में पेश हुए ? इनमें कितने खारिज हुए, कितने कामयाब हुए और कितनों में राजीनामा हुआ ? जो कामयाब हुए उनमें अपील अथवा रिवीजन कितनों में हुए और उनमें कितने कामयाब रहे ? कृपया इसकी वर्षवार तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (क) श्री हीराचन्द धांधिया को १-६-४६ से पार्ट टाइम लॉयर, नगरपरिषद जयपुर के पद पर १००) रुपया झाड़शाही मासिक भत्ते व १५) रु० झाड़शाही मासिक मंहगाई पर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति की सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

(ख) ए. जी. ऑफिस जयपुर स्टेट के ऑडिट द्वारा ऐतराज किए जाने पर माह सितम्बर-अक्टूबर १६४६ का भत्ता दिए जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक १०-५-४७ को दी गई थी। इसके पश्चात् जो स्वीकृतियां प्राप्त हुईं उनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(ग) इस समय श्री धांधिया को २५०) रुपया मासिक भत्ता दिनांक १-४-५६ से तथा १५) रु० प्रति केस हिसाब से फूड केस के ता० १-३-६० से तथा सिविल केसेज् की फीस नियमानुसार वर्ष १६५५-५६ से दी जा रही है। आज्ञाओं की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(घ) वर्ष सन् १६५६-६० से पूर्व सिविल केसेज् में ही फीस दी जाती थी फूड केसेज् की फीस दिनांक १-३-६० से देना प्रारम्भ किया गया है। आज्ञाओं की प्रतिलिपियां तथा जो फीस की रकम दी गई है उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ङ) नगरपालिका के ऑडिट के अनुसार वर्ष १६५६-५७ तक श्री धांधिया को ५०७५) रुपये का बेशी पेमेंट किया जाना बतलाया गया है, परन्तु ऑडिट के उस ऐतराज पर प्रशासक ने अपनी आज्ञा दिनांक ६-११-६१ के अनुसार जो राशि महंगाई भत्ते के रूप में अथवा लीगल एडवाईज़र के कार्य करने के वास्ते दिये जाने वाले मासिक भत्ते के रूप में जो ऑडिट द्वारा बेशी दिया जाना बतलाया गया था, उसको नियमानुसार दिया जाना ही माना था; अतः इस बारे में कोई वसूली नहीं की गई।

(च) नगर परिषद में पैरोकारी शाखा है जिसके स्टाफ के वार्षिक खर्चे की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 15

(श्री दौलतराम सारण)

(छ) जी हां, यह सही है। एक स्टेनो-ग्राफर ता० २१-१०-६१ से १२०-१०-२०० की ग्रेड में रखा गया है।

(ज) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस समय जो श्री धांधिया जी काम कर रहे हैं और जो प्राप २५०) रुपये का वेतन देते हैं क्या इस सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ?

श्री दौलतराम सारण : जो सूची प्रस्तुत की है आपके एतराज के सम्बन्ध में, उसमें पहले की नहीं है लेकिन बाद का तो सब स्वीकृति का है।

श्री भैरोंसिंह : इस समय जो उनका अपोइन्टमेन्ट चल रहा है उसके बारे में सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है या नहीं ?

(विराम)

सेक्रेटरी साहब से जवाब दिलवा दिया जाये ये नहीं दे सकते तो।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी सूचना है कि स्वीकृति हो गयी है।

श्री भैरोंसिंह : कब हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख का अभी पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय से इनकी नियुक्त हुई उस समय से स्वीकृति है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण: वह तो सरकार को अधिकार है स्वीकृति देने का, उसके मुताबिक स्वीकृति दी गयी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं सरकार के अधिकार को चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं। जो अपोइन्टमेन्ट हुआ उस समय गवर्नमेन्ट की सेंक्शन थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अपोइन्टमेन्ट तो बहुत पुराना चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : पुराना चल रहा है, वह तो इल्लीगल है ही, लेकिन अब सरकारें कहती है कि उनका म्युनिसिपल बोर्ड में २५०) रुपये पर नया अपोइन्टमेन्ट कर दिया तो उसकी सेंक्शन गवर्नमेन्ट से ली या नहीं ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्रीबरकतुल्ला खां) : गवर्नमेन्ट से सेंक्शन ले ली गयी है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट की सेंक्शन कब ले ली गयी है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सही तारीख मालूम नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : सही तारीख का मालूम नहीं और सेंक्शन नहीं मिली है। आपने जो ५६७६ रुपये के आइटम को रेगुलेराइज किया है क्या यह सही है कि उनके

Page No 16

(श्री भैरोंसिंह)

वेतन के समय, उनके अपोइन्टमेन्ट के समय जो कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब की थीं अलाउन्स वगैरह की उसके विपरीत उन्होंने इसको रेगुलैराइज् किया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : २९-१०-५६ को स्वीकृति दे दी गयी थी।

श्री भैरोंसिंह : स्वीकृति २५०) रुपये की नहीं मिली है। आपको फिर सूचना गलत मिली है; यह तो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट में है कि स्वीकृति गवर्नमेन्ट की नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब तो बहुत बाकी रह गया। या तो इनको कह दिया जाये कि इसको वे दुबारा देख लें और बाद में जवाब दें........

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री भैरोंसिंह : श्रवणलाल नहीं, मैं पूछ रहा हूं। मैं ही श्रवणलाल हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : फिर अध्यक्ष महोदय, इसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : और पूछिये दूसरा।

श्री भैरोंसिंह : नहीं तो आप इसको पोसट्पोन कर दीजिए और नैक्स्ट टर्न पर ले लें, ये अच्छी तरह से देख लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं कि रेगुलराइज् नहीं हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : अभी ऑडिट की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें भी उल्लेख है कि २५०) ६० पर जो अपोइन्टमेन्ट किया गया उसकी सेंक्शन नहीं आई है और इसके लिए आब्जेक्शन भी किया था और गवर्नमेंट कहती है कि सेंक्शन हमने दे दी।

श्री बरकतुल्ला खां : २९ अक्टूबर, १९५६ को दे दी गयी और चाहें तो आपको पढ दूं

"In connection with letter dated 7th July, 1956, I am directed to convey sanction of the Government o the following :—

Raising of the allowance of Shri H. C. Dan :ia, Legal Advise from Rs. 200 to Rs. 250 with effect f rom 1-4-56."

श्री भैरोंसिंह : ऑर्डर किस तारीख का है ? १-४-५६ का है क्या ?

श्री अध्यक्ष: With e ... rm 1-4-56

श्री भैरोंसिंह : ऑर्डर कब का है ?

श्री बरकतुल्ला खां : २९ अक्टूबर, १९५६ का है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो ५,६७६ रुपये रेगुलेराइज् किये, क्या यह सही है कि इस प्रकार के अलाउन्स या इस प्रकार का कोई भी भत्ता देने के सम्बन्ध में जो उनके

(श्री भैरोंसिंह)

अपोइन्टमेन्ट्स की कन्डीशन्स थीं उनमें किसी प्रकार का उल्लेख नहीं था और म्युनिसिपल बोर्ड की कोई लाएबेलिटी नहीं थी ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है....

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने कभी इस बात का एस्टीमेट लगाया कि आपने जो सूची पेश की है मुकदमों की, उस सूची के अनुपात से लीगल एडवाइज़र का अपोइन्टमेंट कर रखा है उसकी तनख्वाह, अलाउन्स यह सब मिलाकर नगरपालिका पर इतना भार डाल रखा है कि जिसके लिए उन्होंने लिखा है कि हमें इस प्रकार के लीगल एडवाइज़र की आवश्यकता नहीं है ?

श्री बरकतुल्ला खां: जी नहीं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इतना अलाउन्स और तनख्वाह वगैरह दूसरी म्युनिसिपैलिटीज़ में भी दिया जाता है ?

श्री बरकतुल्ला खां : दूसरी म्युनिसिपैलिटीज़ जयपुर जितनी बड़ी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

सड़क निर्माण

४५२ श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भोम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) कांमली घाट से जोजावर तक जाने वाली सड़क का कार्य क्यों रुका पड़ा है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बन जाने से जोधपुर और उदयपुर के इलाकों के आवागमन में तथा व्यापारिक दृष्टि से जनता को बड़ी सहूलियत हो जायेगी ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण, मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) (१) अर्थाभाव के कारण ।

(२) यह सड़क तृतीय योजना में स्वीकृत कर दी गयी है और इसका कार्य धनराशि उपलब्ध होने पर प्रारम्भ कराया जा सकेगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह सड़क कितनी मील बन चुकी है और कितनी मील बननी बाकी है; कितना खर्चा हुआ है और कितना और होना है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पाली डिवीज़न में Estimated amount Rs. 1,92,000/-, Amount for III Five Year Plan: 1,39,000, Miles 4.

Udaipur Division में Estimated amount Rs. 1,60,000/-, Amount for III Five Year Plan Rs. 76,000/-, Miles 4.

और उदयपुर डिवीज़न में १ लाख ६० हजार का एस्टीमेट है उसकी ऐवज में थर्ड प्लान में एक्चुअली एलोकेशन ७६,००० का रखा है....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: कितने

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

मील बन चुकी है और कितना खर्चा लगना और बाकी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं पढ़ रहा हूं,

"The road portion lying in Pali District was let out to the contractor Shri Khema Ram for Rs. 41,956 @ 15 1/4% above schedule of rates on 28.12.61, by the Executive Engineer, B. & R., P. W. D. Sirohi. The work was immediately stopped on the 31st March, 1961 due to want of budget provision in the year 1961-62. A sum of Rs. 10,000 was provided for this road in the budget for the year 1962-63 and thus only one mile of the road could be comleted so far."

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावतः इतना लम्बा बताने के बजाय इतना सा बता दें कि इतना मील बाकी है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने सब बता दिया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपके यह सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में जो रोड्स स्टार्ट हो गयीं उनको कम्पलीट करने के लिए प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती दूसरी दूसरी जगह क्यों बनाते हैं ? जो इनकम्पलीट काम हैं उनको पहले क्यों नहीं किया जाता और अर्थाभाव का इन्तज़ाम क्यों नहीं हो पाता है ? जब कि आप प्लान बनाते हैं उसमें अर्थाभाव को पहले ही सोचते हैं। उसके बाद में प्लान में रखकर फिर अर्थाभाव की बात कैसे उठती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे पास जितना पैसा आता है उससे ही सड़कें बनाई जा सकती हैं। और किसी चीज़ से तो बन नहीं सकतीं और जो प्लान एलोकेशन मिलता है उसके तहत हम करते हैं। जैसे यही सड़क है जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है वहां १०,००० रूपये दिये गये हैं कि एक मील के टुकड़े को पूरा कर दिया जाये और जैसे ही अगली साल पैसा मिलेगा उसकी तरह से एलोकेशन हो जायेगा। अब आपने प्रश्न पूछा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना और पहली पंचवर्षीय योजना के काम क्यों नहीं कम्पलीट हो रहे हैं ? सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हों, लेकिन उनको कम्प्लीट करने के लिए भी जब तक पैसा नहीं मिलेगा कम्प्लीट नहीं हो सकते।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किन रोड्स को चालू किया जाये, किनको रोका जाये; इसके लिए क्या क्राइटेरिया है ?

श्री अध्यक्ष : Next

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : One supplementary question, Sir, वहां पर अकाल पड़ा हुआ है और जहां अकाल में सरकार पैसा खर्च करती है तो इस सड़क पर क्यों नहीं खर्च किया जाता ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Page No 19

प्रश्न संख्या ४५३

श्री अध्यक्ष: श्री मजलिस खां

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

पुलिस अफसरों को ऊंट चलाने का प्रशिक्षण

४५४. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने सन् १९६१—६२ में कुछ थानेदारों को या पुलिस के अन्य अफसरों को ऊंट चलाने की विधा में ट्रेन्ड किया है? यदि हां, तो कितने और ऐसा ट्रेनिंग सेन्टर कहां है?

उप मंत्री, गृह : (श्री भीमसिंह): जी नहीं, राजस्थान में ऐसा कोई ट्रेनिंग सेन्टर नहीं है जहां ऊंट चलाने की विधा में पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या थानेदार ट्रेन्ड नहीं किये जाते जिनको ऊंट चलाना सिखाया जाता हो?

श्री भीमसिंह : ऊंट चलाना ऐसी मामूली चीज़ है कि जिसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: मामूली चीज हो सकती है और जन्मजात भी हो सकती है, लेकिन ऐसी राज्यसरकार से व्यवस्था है या नहीं और बोर्डर प्रोविन्सेज़ में राजस्थान सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था है या नहीं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ४५५

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री कुमारानन्द।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।

टोडारायसिंह नगरपालिका में एडहॉक कमेटी

४५६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि टोडारायसिंह नगरपालिका में करीब करीब डेढ़ साल से एडहॉक कमेटी बना रखी है? यदि हां, तो उसके सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सच है कि जो पहले नगरपालिका के सदस्य थे उनको ही एडहॉक कमेटी के सदस्य नामजद किया गया है?

(३) क्या इस एडहॉक कमेटी का चेयरमैन स्थानीय तहसीलदार को बना रखा है? यदि हां, तो किस कानून से?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलत-

Page No 20

(श्री दौलतराम सारण)

राम सारण) : (१) जी हां। दिनांक १६ नवम्बर, १६६१ से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा २६३ के अन्तर्गत टोडारायसिंह नगरपालिका के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई थी। सदस्यों को सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। टोडारायसिंह में नगरपालिका होने से पूर्व पंचायत थी और पंचायत के सदस्यों को नगरपालिका बनने पर इस कमेटी में उक्त धारा के अन्तर्गत सदस्य बनाया गया है।

(३) जी हां, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा २६३ के अन्तर्गत।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या यह सही है कि पंचायत के बाद नगरपालिका का चुनाव हुआ और जो वर्तमान कमेटी है उसके अधिकतर सदस्य चुनाव हार गये और नगरपालिका निर्मित कर दी गई थी ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या यह भी आपको जानकारी नहीं है कि नियमित रूप से नगरपालिका बन चुकी थी चुनाव होकर और उसके बाद में निर्मित नगरपालिका बन चुकी थी।

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय जवाब यह दे रहे हैं, —"जी नहीं, टोडारायसिंह में नगरपालिका होने से पूर्व पंचायत थी। और पंचायत होने से पूर्व नगरपालिका बनी है और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य थे उन सदस्यों को कार्य-भार न सम्हलाकर जो पहले वाली हारी हुई पंचायत के सदस्य थे उनको कार्य-भार सम्हलाया, उसके संबंध में पूछा जा रहा है, तो क्या यह उचित है जब कि वहां नियमानुसार चुनाव हो चुके हैं। नगरपालिका बन चुकी है।

श्री दौलतराम सारण : ये सब बातें आप प्रश्न में ही पूछ लेते तो निवेदन कर देता। आपने जो बातें पूछी हैं उनका मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह इन्टर-रिलेटेड प्रश्न है। इसका अलग सप्लीमेन्ट्री प्रश्न क्या पूछा जा सकता है ? आपने कहा कि नगरपालिका होने के पूर्व पंचायत थी तो नगरपालिका किस तरीके से वहां पर बनी ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी के मुताबिक वहां पर जो पंचायत बनी थी उसने मांग की थी कि उसको नगरपालिका में परिवर्तित कर दिया जाय तो उसको नगरपालिका बनाया गया।

श्री राधाकृष्ण गोयल : नगरपालिका कौन सी तारीख को बनाई गई ? और क्या नगरपालिका के नियमित चुनाव हुए ?

Page No 21

श्री दौलतराम सारण : नियमित चुनाव होते तो फिर एडहॉक कमेटी क्यों बनाई जाती ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बतलाऊंगा कि चुनाव हुए।

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका १६-११-६१ को बनायी गई।

श्री राधाकृष्ण गोयल : चुनाव हुए, फिर भी उसके सदस्यों को नामजद क्यों नहीं किया गया और हारी हुई कमेटी के सदस्यों को नामजद किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : १६-११-६१ को जो निर्वाचित सदस्य थे वे ही काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह कहां कर रहे हैं ? वे तो पहले ही खत्म हो गये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछे गये हैं उनका उत्तर मैं दे चुका हूं। उससे सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दे सकूंगा और अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब बिना नोटिस के नहीं दे सकूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : नगरपालिका निर्वाचित हो चुकी है। वहां के सदस्य चुनावों में जनता द्वारा वोट से सफल हुए हैं। उसके पहले २ साल वाली पंचायत समिति बनी हुई थी उसको कारबार सौंपना कहां तक उचित है और उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

श्री दौलतराम सारण : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नये चुनाव का इन्तजार कीजिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : Order please ! Next Question.

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का संदर्भ सैक्शन

४५७. श्री संपत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के सन्दर्भ (रेफरेंस) सैक्शन में कुल कितने प्रकाशनों का संकलन है ?

(२) क्या सरकार उन संकलनों को राजस्थान के इतिहास, भूगोल व औद्योगिक विकास के रेफरेंस के लिए पर्याप्त समझती है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है। यदि प्रकाशनों से तात्पर्य संदर्भ-पुस्तकों का है तो यह निवेदन करना अनुचित न होगा कि शोध एवं संदर्भ शाखा के पुस्तकालय में लगभग ४,००० पुस्तकें विविध विषयों पर संकलित हैं। राजस्थान के इतिहास, भूगोल, औद्योगिक विकास तथा अन्य दिशाओं में की गई प्रगति के संबंध में भी पुस्तकें आदि उपलब्ध हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

सीमा-संघर्ष के समय से चीन के ऊपर विशेष रूप से १०० से अधिक संदर्भ प्रकाशन संकलित किये गये हैं और चीन युद्ध सम्बंधी अतिरिक्त सामग्री भी शाखा की "चायना-सेल" में उपलब्ध है ।

(२) नहीं । संदर्भ का तो निरन्तर चलते रहने वाला क्रम है । यथासंभव उनको बराबर एकत्रित किया जाता है और समय समय पर उनमें आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन भी होते रहते हैं ।

बांदीकुई म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव

४५८. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बांदीकुई म्युनिसिपल बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर कब से कार्य कर रहे हैं व वहां के चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ? यह चुनाव अब कब तक सम्पन्न होकर निर्वाचित बोर्ड स्थापित हो जावेगा ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : दिनांक २९-१-६२ से प्रशासक कार्य कर रहे हैं । सन् १९६१ की जन-संख्या के अनुसार वार्डों का विभाजन करना व संकट-कालीन स्थिति घोषित हो जाने से चुनाव नहीं कराये जा सके । माह फरवरी, १९६४ तक चुनाव करवाये जा सकेंगे ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या यह सही है कि इस सदन में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि दिसम्बर, ६३ तक चुनाव सम्पन्न करा दिये जायेंगे और अब आप यह कहते हैं कि वार्ड भी अभी कायम नहीं हुए तो फरवरी तक कैसे करवा देगें, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी बात नहीं है । आपने पूछा है कि बांदीकुई म्युनिसिपैलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर कब से कार्य कर रहा है व वहां का चुनाव नहीं कराने के क्या कारण है तो एडमिनिस्ट्रेटर कायम हुआ उसके बाद में ६१ में जनगणना के अनुसार वार्ड बनने के बाद चुनाव होगा । कलेक्टर को वार्ड बनाने के लिए लिखा गया और ६१ के आंकड़े प्राप्त किये गये, और इतने में संकटकालीन स्थिति आ गई । जब संकटकालीन स्थिति आ गई तो चुनाव पोस्टपोन हो गये, इस वजह से चुनाव नहीं हो सके । अब चुनाव करवा दिये जायेंगे जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा था ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : पहले जो चुनाव होते थे वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करवाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि म्युनिसिपैलिटीज़ के जितने भी चुनाव हों उनमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बीच में न पड़े और चुनाव विभाग चुनाव कराये और उसके लिए माननीय होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की है और उन्होंने सदन के अन्दर आश्वासन दिया था कि फरवरी तक इलेक्शन करवा देगें । सारा इलेक्शन चुनाव विभाग करवायेगा जैसा कि मैंने सदन में भाषण दिया था ।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : प्रश्न यह है कि जब कि अभी तक वार्ड ही नहीं बने हैं तो चुनाव विभाग कैसे चुनाव करवा देगा। अगर चुनाव के लिए आॅथोरिटी वगैरह नहीं दी गई तो दो महीने के अन्दर वार्ड कैसे बन जायेंगे और प्रोसीजर कैसे कम्प्लीट हो जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : कम्प्लीट हो जावेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास : वे हैं नहीं, साहब।

श्री अध्यक्ष : हैं।

रोड टैक्स व पैसेन्जर टैक्स की बकायत

४५६ श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) उदयपुर जिले में जितनी प्राइवेट बसें चलती हैं उनके किन किन मालिकों में कितना कितना रुपया रोड टैक्स व पैसेन्जर टैक्स का बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस रुपये को वसूल नहीं करने का क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) उदयपुर जिले में जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनके मालिकों में कोई रोड टैक्स बकाया नहीं है। राजस्थान पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स जिन बस मालिकों में बकाया है उनकी फहरिस्त सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) बकायात की वसूली लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विभाग के द्वारा की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, यह जो सूची दी गई है इसके अन्दर नं. ४, ७, १२, और १४ के ऊपर एक ही नाम श्री गुलामअब्बास का दर्ज है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :- गुलाम अब्बास वही पानरवा वाला ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जी हां।

इनमें करीब १,१६,०६६.८७ वास्तव में बाकी हैं जिसमें तीन बसें खरीदी जा सकती हैं। यह पैसेन्जर टैक्स बाकी है। इसी तरह से नं. ६ व १५ पर चौधरी बस सर्विस ५८,३७६) रू० बाकी हैं। इन पन्द्रह आदमियों में से इन दो आदमियों में १,६०,०००) रु० के करीब की रकम बाकी है। वह पैसेन्जर टैक्स का बाकी है जो कि हम लोगों से टैक्स पहले ही वसूल कर लिया जाता है, वह मोटर मालिक कैसे अपने पास रखता है ? क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्यों न उनको अमानत में खयानत करने के अपराध में गिरफ्तार करके अन्दर रखें ऐसे आदमियों को और क्यों न उनका परमिट कैन्सिल किया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, लाखों का नहीं हजारों का है। लाख तो नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: पहले वाले में लाख है; १,०२,०३६) । इन चारों आइटमों को जोड़ दिया जाय—

नं० ४	२२,२४२.५२
नं० ७	५०,३८०.५२
नं० १२	१,०६०.२७
नं० १४	२८,३५६.५८
योग—	१,०२,०३६.८६

इतना रुपया होता है। यह गुलाम अब्बास एक ही आदमी में बाकी है।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं इतना अर्ज कर दूं कि क्योंकि कानून में कुछ कमी थी इसलिए इस सम्बंध में वसूलियात नहीं हो सकी, लेकिन जब यह कानून की कमी की बात ध्यान में आई तो फाइनेन्स बिल में ६८,२६ अप्रेल को इस कमी को पूरा किया गया और उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। मुझे उम्मीद है, इस फाइनेन्शियल ईयर में बकाया वसूल की जायगी।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि पैसेन्जर टेक्स नहीं चुकाने की वजह से मोटर ऑपरेटर्स को टोकन नहीं मिल सकता ?

श्री बालकृष्ण कौल: श्रीमान् मैं यह अर्ज कर रहा था कि कुछ कानून में कमी थी और यह कमी इस फाइनेन्स बिल में पूरी कर दी गई है। अब पहली मई से कोई इस किस्म का वाकयात नहीं हुआ है। जो भी टोकन मिले हैं पहले सर्टिफिकेट मिले हैं तब मिले।

श्री भैरोंसिह : टोकन के लिये सर्टिफिकेट किस आधार पर दे दिया जब कि उनमें पेसेन्जर टेक्स बकाया था ?

श्री बालकृष्ण कौल: हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया।

श्री भैरोंसिह : बिना सर्टिफिकेट के टोकन कैसे दिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा कि कमी कानून में थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कानून में कमी इन दो आदमियों के लिए ही थी या सारे राजस्थान के लिये कमी थी। सबसे पैसेंजर टेक्स ले लिया, तो इन दो से क्यों नहीं लिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, सवाल उदयपुर के बारे में पूछा है, शायद १८ आदमी हैं उनके बारे में बताया गया। औरों के बारे में पूछते तो और भी मिल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : और नहीं मिलेंगे।

श्री गोकलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह टेक्स एक साथ इतनी बड़ी राशि में इकट्ठा नहीं हुआ है, कभी १००)रु०, कभी ५०)रु० इस तरह से इकट्ठा हुआ है। क्या इतने अरसे तक सोया हुआ था आपका विभाग कि पैसे वसूल नहीं कर सका? गाड़ियें उनकी नहीं हैं फाइनेन्शियर से ली गई हैं, रूपये नहीं दे पाये तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कानूनी कमी के बहाने लोगों से टेक्स वसूल करके मालिक लोग मौज उड़ाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यदि यह टेक्स जो १ लाख करीब एक में और ५८ हजार रू० दूसरे में बाकी है वह एक महीने में वसूल नहीं हुआ तो क्या आप गाड़ियां बंद करने का आश्वासन दे सकते हैं। पैसेन्जर्स से तो यह टेक्स वसूल कर लिया गया और मोटर मालिकों के पास डिपोजिट पड़ा है। यह पैसा अपने पास डिपोजिट रखने का उनको क्या अधिकार है? आपकी राज्य सरकार क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्यवाही करती? वह चाहे तो इन गाड़ियों का लाइसेन्स जब्त कर सकती है।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं इतना आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उस तरफ सरकार उस दिन से जब से आपका प्रश्न आया है, काफी जागरूक है और यह आश्वासन और देना चाहता हूं कि ये रुपये जितने जल्दी हो सकेंगे उनसे वसूल किये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कौन सी कमी थी कानून में जिससे पैसेन्जर टैक्स वसूल करने के बाद जमा नहीं कराने के लिये मोटर ऑपरेटर्स बाध्य थे?

श्री बालकृष्ण कौल : टोकन का जो प्रश्न है...

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न टोकन का नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि कानून में कौन सी कमी थी जिस कमी के कारण पैसेन्जर्स से पैसेन्जर टैक्स वसूल करके ऑपरेटर्स सरकार में जमा कराने के लिये बाध्य नहीं किये जा सकते?

श्री बालकृष्ण कौल : पैसेन्जर टैक्स यदि टोकन के ऊपर निर्भर होता तो यह चैक हो जाता। इतनी तफसील में दर्ज नहीं है जितनी तफसील में होना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न सीधा सा है। आपने कानून की कमी की आड़ ली है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौन सी कानूनी कमी थी जिसके कारण पैसेन्जर से टैक्स ले लिया जाय और राज्य में जमा कराने के लिये बाध्य न हो?

श्री अध्यक्ष : इसमें सारे कानून की बहस हो जायगी।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवा महल, जयपुर) : यह बतादें कि सकते हैं, किस धारा में कमी रही?

श्री अध्यक्ष : कानून के पहलू पर अभी बहस नहीं हो सकती कि किस धारा के अंदर क्या हुआ। क्या मंत्री महोदय ऐसा आश्वासन

Page No 26

(श्री अध्यक्ष)

दे सकते हैं कि कानून में पीनल क्लाज होना चाहिये था और नहीं होने पर भी इस फाइनेन्शियल ईयर में कोई इमीजीयेट एक्शन ग्रोस नेग्लिजेन्स के बारे में ले सकते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल: इन्सट्रक्शन्स दे दिये हैं, इसलिये कि जल्दी से जल्दी वसूल हो जाय।

श्री अध्यक्ष : 'जल्दी से जल्दी' means nothing.

श्री बालकृष्ण कौल : नये कानून में अटैचमेन्ट के पॉवर्स हैं।

श्री अध्यक्ष: सारे कानून के पॉवर्स यूज करने की आप की मंशा है क्या ?

श्री बालकृष्णकौल : जरूर।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं एक टिकट पेश कर रहा हूँ जिसमें लिखा है कि किराया कितना होगा, पैसेन्जर टैक्स कितना होगा और दोनों मुद्दों में अलग अलग जमा-खर्च किया जाता है फिर पैसेन्जर टैक्स क्यों नहीं खजाने में जमा कराते ? एक क्लर्क यदि खजाने का पैसा ले जाय तो उसके खिलाफ मुकदमा बना सकते हैं और जो एक एक लाख रुपये लेकर बैठ जायं उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता ?

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी बहुत मुस्तैदी दिखाते हैं, आशा है इसमें भी दिखायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या वित्त मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जैसा कि आप कहते हैं अप्रेल में कानूनी कमी को दूर कर दिया था, तो आज तक क्यों नहीं वसूल हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल : प्रोसिडिंग्ज शुरू हो गई हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): कानून में संशोधन करने की व्यवस्था अप्रेल में होने के बाद किसी मोटर मालिक को क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट दिया है जिससे कि वह टोकन प्राप्त कर सके ?

श्री बालकृष्ण कौल : कहीं ऐसा नहीं हुआ।

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : एक सवाल यहां उठ रहा है क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिये ; इसका क्लेरिफिकेशन दे दूं तो माननीय सदस्यों को मालूम हो जायगा :

"Clearance certificate from Excise and Taxation Department was necessary in case of renewals of tokens and not in case of first token issued in the month of January, upto the date of Taxation Act as amended in April, 1963. Thus the Regional Transport Officer must have issued the token in January, 1963 even without seeing the clearance certificate of passenger tax of Excise & Taxation Department. After the amendment no token has been issued without seeing the Clearance certificate. The effect of the amendment will be on the first token of the first quarter in January, 1964."

Page No 27

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of order, Sir, शुरू में जब से यह चालू हुआ था तब क्लोयरेन्स सर्टिफिकेट उदयपुर के एक्साइज विभाग ने नहीं दिया, उसके बावजूद भी आपके ए.आर.टी. ओ. ने टोकन इश्यू किये हैं। अगर....

श्री अध्यक्ष : "अगर-मगर" का सवाल नहीं है। मंत्रीजी जो बात कहते हैं उसके विपरीत कोई बात है तो आप जब भी चाहें प्रश्न ला सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : इसके मुतल्लिक कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष : आप लिखिये पत्र, उनको जवाब देना पड़ेगा।

(विराम)

श्री हरिप्रसाद।

गृह निर्माण के लिये धन-राशि

४६०. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(१) जिला कोटा व जिला बूंदी में अल्प आय के नाम पर गृह निर्माण कार्यों के लिये कितनी धन-राशि किन किन व्यक्तियों को १० वर्ष पहले से दी हुई है ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या इन व्यक्तियों में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्जा लेने के बाद मकानों का अभी तक निर्माण नहीं करवाया है ?

(३) क्या ऐसे कर्जदार व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर कर्जे की किश्तें जमा करा दी गई हैं ?

(४) यदि नहीं, तो किन किन व्यक्तियों ने अभी तक वापस कर्जा अदा नहीं किया है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) अल्प आय गृह निर्माण योजना कोटा और बूंदी में क्रमशः सन् ५५-५६ और ५८-५९ से ही आरम्भ की गई हैं।

इससे संबंधित एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कोटा में एक ऋणी ऐसा है जिसने ऋण लेने के बाद निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। बूंदी में ऐसा कोई ऋणी नहीं है।

(३) कोटा में ऐसे सब कर्जदार अपनी ड्यू किश्त जमा करवा रहे हैं। बूंदी में कुछ ऐसे कर्जदार हैं जिन्होंने अपनी ड्यू किश्त समय पर जमा नहीं कराई है। बकाया किश्तों की वसूली नियमानुसार करने की कार्यवाही की जा रही है।

(४) कोटा के लिये प्रश्न नहीं उठता। बूंदी के लिये ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या यह सही है कि जिनको कर्ज दिया गया है

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

उनमें से ऐसे व्यक्तियों को भी दिया गया है जिनके पास निजी मकान थे और अल्प आय के नाम पर पुनः कर्जा लेकर मकान बनाये हैं और जिन लोगों ने कर्जा लेकर मकान बनाये हैं क्या वे किराये पर भी दे सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : किराये पर नहीं दे सकते ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : ऐसे मकान किराये पर दिये हैं और वह भी उन लोगों ने जिनके पास पहले से मकान मौजूद थे उनको कर्जा दिया है और उन्होंने अपने मकान किराये पर दिये हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : उन लोगों को कर्जा मिल सकता है जिनके पास इन्-सेनिटरी कंडीशन्स में पहले से मकान मौजूद हैं या उनकी फेमिली बड़ी है और पहले वाला मकान बड़ी फेमिली के लिये कम पड़ता है तो उनको कर्जा दिया जा सकता है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या सरकार..

श्री परसराम मदेरणा : इसके अलावा यह भी है कि मकान एक जगह हो और बिज़नेस किसी और जगह पर हो राजस्थान के अन्दर, यानी किसी और जगह सेट अप हो गया हो–जैसे जोधपुर में मकान हो और बिज़नेस जयपुर में हो–तो कर्ज दिया जा सकता है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही करेगी कि जिन्होंने मकान बनाये हैं और कर्जा चुकाने से पहले किराये पर दे दिये हों ?

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े बड़े आदमियों.....

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन ।

धौलपुर सब-डिविजन में चोरियां

४६१. श्री रामकिशन (वैर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) धौलपुर सब–डिविजन में सन १९५९ से १९६२ तक चोरी के कितने मामले दर्ज रजिस्टर हुए हैं ?

(२) दर्ज मामलों में से कितनों का अदालत में चालान पेश हुआ और कितनों में मुलजिम सजायाब हुए ?

(३) चोरी के कितने मामलों में माल बरामद किया गया है और कुल कितनी रकम की चोरी में से कितनी की बरामदगी हुई है ?

(४) चोरी के कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी है और कितने मामलों में अभी तफतीश होना बाकी है ?

उप-मन्त्री गृह, (श्री भीमसिंह) (१) धौलपुर सब–डिविजन में सन् ५९ से ६२ तक चोरी के ५७२ मामल दर्ज हुए ।

(२) २०२ मामलों का अदालत में चालान किया गया जिनमें से ३४ में सजा हुई ।

(श्री भीमसिंह)

(३) कुल २,१०,६३३.८८ न० पै० का माल चोरी गया जिसमें से १,०६,३१५.५० न० पै० का माल बरामद हुआ। यह बरामद माल २३८ मुकदमों से सम्बन्धित था।

(४) कुल ३५० मामलों में फाइनल रिपोर्ट दी गई और किसी भी मामले में तफतीश बकाया नहीं है।

श्री रामकिशन: यह आपने बतलाया कि ५७२ चोरी के मामले दर्ज हुए और उसमें से २०२ मामले चालान हुए; तो बाकी के किस लिए नहीं हुए?

श्री भीमसिंह: इसकी अलग अलग वजूहात हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर में नल योजना

४६२. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:=

(१) क्या यह सच है कि सांचोर, जिला जालोर में नल योजना से पानी जून १९६३ तक हर हालत में दिया जाने वाला था? अगर हां, तो अब तक पानी नहीं देने के क्या कारण है?

(२) अब नल योजना से सांचोर में पानी कब तक दे दिया जावेगा? इतनी देरी के लिए जिम्मेदार कौन है?

(३) क्या यह सच है कि सांचोर से दो मील दूर नल योजना के लिए एक बोरिंग करके नया बेरा तैयार किया गया है जिसका पानी मीठा निकला है? अगर हां, तो उस बेरे से नल योजना द्वारा सांचोर में पानी कब तक दे दिया जावेगा? उक्त बेरे से पानी लाकर देने में सरकार को कितना खर्चा अधिक करना पड़ेगा और इसकी मंजूरी कब तक होकर सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा।

उप-मन्त्री स्वास्थ्य, (श्री दौलतराम सारण): (१) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) कुओं का कार्य पूरा हो जाने पर वाटर सप्लाई चालू की जावेगी।

(३) एक नया बेरा बोर किया गया है, परन्तु उसका पानी भी मीठा नहीं निकलता है। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, सदन में पहले जानकारी दी गई थी, हर हालत में जून में, पिछली साल यह चालू हो जाना चाहिए। इसके बावजूद जेनरेटर, मोटर वगैरह की वजह से डिले हुआ है। जब सारा कांम हो चुका है तो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं होती?

श्री दौलतराम सारण: इस वजह से है कि पानी बोर किया गया तो बोर गहरा बैठाया गया, वहां पानी खारी निकला। अब ऊपर मीठे पानी के लेवल पर बोर करके पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। बाकी स्कीम तैयार है, सब काम हो चुका

(श्री दौलतराम सारण)

है । बोर का काम पूरा होते ही स्कीम चालू कर दी जायगी तृतीय पंचवर्षीय योजना में ।

श्री रघुनाथ विश्नोई: इसमें कितना समय और लगेगा ?

श्री दौलतराम सारण: थर्ड फाइव इयर प्लान के अन्दर अन्दर पूरी कर दी जायगी ।

प्रश्न संख्या ४६३

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम फुलवारिया ।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला ।

उदयपुर एस.पी. क्षेत्र में पुलिस अर्दली

४६४. श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) उदयपुर एस.पी. क्षेत्र में कुल कितने अर्दली पुलिस विभाग के हैं तथा ये किस किस जगह तैनात कर रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) इनमें ऐसे कितने हैं जो तीन वर्ष अधिक से एक ही जगह लगे हैं ?

(३) सूरजपोल थाना, उदयपुर में कौन कौन अर्दली कब से क्या काम कर रहे हैं ? उसकी सूची दीजिये तथा जो अर्दलियों का रजिस्टर होता है वह सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) उदयपुर जिले में कुल ३३ पुलिस अर्दली के पद पर कार्य कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं :-

	अर्दली जो नियुक्त हैड का.	कॉन्स्टेबिल्स
डी.आई.जी.पी. को	१	२
एस.पी. को		३
एडीशनल एस.पी.को		३
सात डी.वाई.एस.पी जको		१४
नौ इन्सपेक्टरों को		६
एक आफिस सुपरिंटेंडेंट को		१
योग	१	३२

(२) ऐसे कुल पांच हैं ।

(३) सूरजपोल थाने में कोई अर्दली तैनात नहीं हैं । इसलिये वहां अर्दली का रजिस्टर रखने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नही होता ।

प्रश्न संख्या ४६५

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार ।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, निम्बाहेड़ा

४६६. श्री अब्दुलजब्बा (निम्बाहेड़ा) Will theHomeMinesterPlease reply :

1. Since how long the Munsif Magistrate Court Nimbahera has

Page No 31

(श्री अब्दुल जब्बार)

not been functioning and what are the main reasons therefor ?

2. Does the Government intend to send the Munsif Magistrate to Nimbahera ? If yes, by what time ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) :-

1. The Court of Munsif Magistrate, Nimbahera, has not been closed. It is functioning. There was however, no wholetime presiding officer there. The Ctvil Judge, Chittorgarh, had been appointed as Munsif-Magistrate, Nimbahera, in addition to his own duties and held court at Nimahera for 10 days in a month. The whole-time Officer was withdrawn in May, 1963 due to paucity of officers.

2. Orders have been issued for posting a whole time officer at Nimbahera.

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

ग्राम मायदपुर (वैर) का पुराना कूआ

४६७. श्री सांवलियाराम (रूपवास) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम मायदपुर (निठार) तहसील वैर, जिला भरतपुर में एक कूआ है जो पुराना व खंडरावस्था में है तथा जिसका पानी इस समय पीने योग्य नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि यह बस्तीके निकट होने के कारण कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं और भविष्य में भी होने का अन्देशा है ?

(३) क्या सरकार यह उचित समझती है कि या तो इस कूए को सुधारा जाय या इसे बिल्कुल बन्द कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही हो सकेगी ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसका काम्युनिटी डेवलपमेंट और पंचायत मन्त्री अपने टर्न पर जवाब देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : फिर वही जवाब !

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

राज-पत्र में अशुद्धियां

४६८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मन्त्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान इण्डियन मेडिसिन्स बोर्ड के नियम तथा पंजीयत सम्भासियों सम्बन्धी जो, राज-पत्र भाग ४(ग) सप्लीमेंट नं० २६ दिनांक २७-९-६२ को प्रकाशित हुआ है उसमें कितनी जगह अशुद्धियां हैं ?

(२) इसका प्रूफरीडिंग किसने किया था ?

(३) इतनी अशुद्धियां किसकी गलती से रहीं, इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

Page No 32

मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) अशुद्धियों की सूची (एरेटा) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह राज-पत्र एक प्राइवेट प्रेस में छपा था और इसका प्रूफ रीडिंग भी उसी मुद्रणालय द्वारा किया गया था।

(३) यह अशुद्धियां प्राइवेट प्रेस की गलती से रही हैं। अतः सम्बन्धित प्रेस से इन अशुद्धियों का ऐरेटा (शुद्धि-पत्र) छपवाने में जो खर्चा हुआ उसे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या इस प्रकार की शर्त प्राइवेट प्रेस को काम देने से पहले कोई निर्धारित की हुई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां। शर्त छः के ऊपर।

Every effort should be made to avoid printing mistakes. Responsibility to paint the errata will lie with the printing Press.

श्री भैरोंसिंह : यह ऐरेटा छपवाने से पहले क्या उसको नोटिस दिया गया कि वह ऐरेटा छापे ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्या छापे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐरेटा छपवाया है, जो सेन्ट्रल प्रेस में छपा है। क्या उसको छपवाने के पहले कहा कि इसमें गलतियां रह गई हैं इसलिए ऐरेटा वही छापे ?

श्री अध्यक्ष : ऐरेटा छपवाया गया है, उसकी कीमत वसूल कर लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उससे पहले कहना चाहिए। अब वह देगा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : वह इस लेकुना का फायदा उठायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : किसका फायदा उठायेगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब प्राइवेट प्रेस को कहा गया कि यह अशुद्धियां रह गई हैं इसका ऐरेटा छपवाया है, इसकी कीमत दो तो वह प्राइवेट प्रेस कहेगा नहीं दूंगा, क्योंकि उसको नहीं कहा।

श्री हरिश्चन्द्र : जो उसकी कोस्ट है उसको रिकवर कर लेंगे ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : कोस्ट तो तब रिकवर करते जब उसको ऐरेटा छापने के लिए कहते और वह नहीं छापता।

श्री हरिश्चंद्र : क्यों ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : वह कहेगा, करेक्शन जो किये वे निकाल दिये, क्योंकि आपने कहा कि प्रूफ रीडिंग उसकी होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

Page No 33

वजीरपुर में डिस्पेंसरी

४६६. वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ग्राम वजीरपुर तहसील गंगापुर में डिस्पेन्सरी बनाने के लिये सरकार ने २१–६–६० को दस हजार रुपये की धन-राशि स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो कार्य अभी तक शुरू न होने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुला खां) : जी हां। डिस्पेंसरी की इमारत बन कर तैयार हो चुकी है, बाकी सवाल पैदा नहीं होगा।

श्री गोविन्दसहाय : जो पब्लिक ने श्रमदान दिया, उसके बाद जो गवर्नमेंट से दस हजार मंजूर हुआ है वह नहीं मिला है। वह कब तक मिल जायगा ? यह तय हुआ था कि आधा श्रमदान पब्लिक देगी तो दस हजार गवर्नमेंट से मिल जायगा। वह गवर्नमेंट से स्वीकृत हो गया, लेकिन उनको मिला नहीं ?

श्री बरकतुल्लाखां : जो गवर्नमेंट ने वायदा किया है वह गवर्नमेंट पूरा करेगी।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : कब तक ?

श्री बरकतुल्लाखां : इस साल के आखिर तक। अगर गवर्नमेंट ने वायदा किया है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कदम उठाने के लिए तैयार है और काम शुरू कर देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह।

आमेट नगर में बिजली

४७०. श्री गोविन्द सिंह (कुम्भलगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या आमेट नगर में भी बिजली लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ?

(२) क्या यह सही है कि आमेट में ७,००० की आबादी है और वह एक व्यापारिक केन्द्र भी है ?

(३) बिजली लगाने का क्या आधार होता है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदरेणा) : (१) (क) जी हां।

(ख) समय निश्चित नहीं किया गया है।

(२) जी नहीं, १९६१ को जनगणना के अनुसार आमेट की जन संख्या ६,६१६ है।

(३) बिजली लगाने के निम्नलिखित आधार होते हैं :–

(१) लोड, क्षमता

(२) जन संख्या,

(३) पॉवर स्टेशन, सब स्टेशन अथवा ट्रांसमीशन लाइन से निकटता।

(४) आर्थिक लाभ।

(श्री परसराम मदेरणा)
(५) धन–राशि की प्राप्ति

(६) सामग्री की उपलब्धता।

श्री सम्पत्ति लाल बोहरा (मावली) : क्या यह सही है कि ग्रामेट लाइन, देवगढ़ से देत्रिया, ग्रामेट होकर नाथद्वारा जायगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : कांकरोली बीच में है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): यहां पहले ले लो।

श्री परसराम मदेरणा : डीजल सेट लग रहा है। देवगढ़ से पहुंच जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

गंगानगर परिषद् में सेनिटेशन स्टाफ

४७१. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गंगानगर नगर परिषद् में सेनिटेशन स्टाफ की संख्या क्या है ? उसमें कितने स्थाई और कितने अस्थाई हैं ? स्थाई बनाने का आधार क्या है ?

उप–मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : सेनीटेशन स्टाफ की संख्या २३२ है। १९ कर्मचारी स्थाई हैं, शेष कर्मचारी अस्थाई हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये नियम बनाये जा रहे हैं और नियम लागू होने पर उसके अनुसार कार्य किया जावेगा।

श्री केदारनाथ : वे नियम कब तक बनेंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि प्रोफेसर मलकानी की रिपोर्ट है, उसकी सिफारिशों को क्या सरकार ने मान लिया है और अगर मान लिया है तो उन्हें कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री दौलतराम सारण : नियम बनाने में जल्दी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

बीकानेर में राजस्थान प्रदर्शनी, १९६२ का आयोजन

४७२. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या जनसम्पर्क अधिकारी, बीकानेर ने इस वर्ष राजस्थान प्रदर्शनी, १९६२ का बीकानेर में आयोजन किया ?

(२) यदि हां, तो उस प्रदर्शनी के लिये कितना व्यय स्वीकृत किया गया और कितना व्यय वास्तव में हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त प्रदर्शनी में प्रवेश के लिये १० न. पै. और ५ न. पै. के टिकट रखे गये थे ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त प्रदर्शनी में बेचे गये टिकटों की काउन्टरफॉइल एवं बचे हुए टिकटों की समस्त कॉपियां जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा ऑडिट किये जाने से पूर्व ही जला दी गई ?

(५) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरका

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आज तक क्या कदम उठाए गए ?

गृह-मन्त्री, (श्री मथुरादास माथुर): (१) जी नहीं, गत वर्ष १९६२ में दिनांक १-२-६२ से १५-२-६२ तक प्रदर्शनी लागई गई थी।

(२) इस प्रदर्शनी के लिये कुल ५७, ५००) रुपये स्वीकृत हुआ था तथा कुल ८३, ७७४. ६५ न. पै, व्यय हुआ है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : व्यय कितना हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : ८३,७७४. ६५ न० पै०

(३) जी हां।

(४) यह सही नहीं है। इस प्रदर्शनी में टिकटों के काउन्टर फॉइल नहीं छपवाये गये थे। बिके तथा बचे टिकटों का फिज़िकल वेरीफिकेशन करवा कर ही बचे टिकटों को नष्ट करवाया गया था।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या काउन्टरफॉइल नहीं छपवाये गये थे टिकटों के ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, आपकी सूचना गलत है। काउन्टर फॉइल छपवाये गये थे। फिज़िकल वेरी-फिकेशन टिकटों का नहीं करवाया गया। ऑडिट ने रिपोर्ट दी है। टिकटों के काउन्टर-फॉइल चैक करने के लिए दिये गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : टिकटों के काउन्टरफॉइल नहीं छपवाये गये ; एण्ड के दिन के जो बचे हुए टिकट थे उनको डेस्ट्रॉय कर दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप ऑडिट रिपोर्ट देख लें, उसका मुलाहिजा कर लें, आप जो कह रहे हैं वह उसमें दर्ज नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वह दर्ज है।

श्री मथुरादास माथुर : ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप यह नहीं समझते कि काउन्टरफॉइल नहीं छपवाये गये तो कैसे अन्दाज लगाया कि कितने टिकट छपे, कितने बिके और कितने बचे ?

श्री मथुरादास माथुर : जो टिकट छपते हैं, उनकी जो डेली सेल होती है, उनका टोटल नम्बर का रेकार्ड रहता है, डेली सेल का रेकार्ड रहता है और बचे हुए टिकट होते हैं उनका रेकार्ड रहता है और ऑडिट वालों ने उनका फिज़िकल वेरीफिकेशन किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : काउन्टर फॉइल के बिना ऑडिट फिज़िकल वेरीफिकेशन कैसे करता है ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसे होता है कि काउन्टर फॉइल का पहले रिवाज था, अब वह हटा दिया है और अब टिकट छपते हैं जैसे १ से दस हजार तक। अब जैसे

(श्री मथुरादास माथुर)

उनमें से पांच हजार इश्यू कर दिये। उनमें से बिकेंगे और फिर पांच हजार में से जितने बचे उनको अकाउन्ट में जमा कर लेते हैं, बिके उनका भी रेकॉर्ड रहता है। इसी तरह से बाकी के टिकट इश्यू होते हैं। इस तरह से जो टिकट बिक जाते हैं उनका रेकॉर्ड रख लेते हैं और फिर बाकी के टिकटों को डेस्ट्रोय कर देते हैं।

बीकानेर शहर में सड़क निर्माण

४७३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर में सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिये नगर परिषद् ने एक लाख रुपया स्वीकार किया है? यदि हां, तो इन रुपयों का उपयोग कब तक किया जायेगा?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) :- सड़कों के नव निर्माण एवं पुरानी सड़कों के मरम्मत के लिये १,६८,०००) रू. इसी वर्ष व्यय किये जाने का निश्चय किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : निर्णय तो आपने इसी वर्ष खर्च के लिये ले लिया है लेकिन अभी तक सड़कें बनाने के काम में क्यों नहीं लिया जा रहा है?

श्री दौलतराम सारण : अब लिया जावेगा। टेन्डर्स कॉल किये और उनको स्वीकृत होने में देरी लगेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : १,६८,०००) रू. का निश्चय कब किया गया?

श्री दौलतराम सारण : ३०-८-६३ को।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बगड़ नगरपालिका के मेहतर कर्मचारी

४७४. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, बगड़ ने करीब साल भर पहिले नगरपालिका के ७ मेहतर कर्मचारियों को नौकरी से पृथक कर दिया था?

(२) यदि हां, तो क्यों? क्या उनकी नौकरी की बर्खास्तगी के एक महीने बाद ही ७ अन्य मेहतरों की नियुक्ति कर ली?

(३) क्या उन नौकरी से पृथक किये गये मेहतरों ने राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया? यदि हां, तो राज्य सरकार ने नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

(४) क्या आज भी वे मेहतर नौकरी से पृथक ही हैं?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। नगरपालिका के प्रस्तावानुसार पृथक कर दिया था।

(२) आर्थिक स्थिति खराब होने से।

Page No 37

(श्री दौलतराम सारण)

केवल एक की नियुक्ति की गई थी।

(३) जी हां। तथ्य सही न होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(४) उन ७ हरिजन कर्मचारियों में से ६ अभी भी पृथक ही हैं।

श्रीमती सुमित्रा : तथ्य सही होने की जानकारी के लिये आपने कौन से ऑफिसर से इन्क्वायरी कराई ?

श्री दौलतराम सारण : एसिस्टेन्ट रीजनल इन्स्पेक्टर से।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

स्थगित तारांकित प्रश्नोत्तर

(२८.८.६३)

फ्रेन्च पोलिश बनाने हेतु डिनेचर्ड स्प्रिट

२४७. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या राजस्थान में फ्रेन्च पोलिश बनाने हेतु डिनेचर्ड (Denatured spirit) बनाने के लिये मेसर्स उदयपुर डिस्टिलरी कम्पनी प्रा० लिमिटेड उदयपुर को अनुमति मिली हुई है ? यदि हां, कब से, किस तादाद में तथा किन किन शर्तों पर ?

(ख) डिनेचर्ड स्प्रिट बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिये सरकार की ओर से क्या क्या पाबन्दियां आयद हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि डिनेचर्ड स्प्रिट के मेन्युफेक्चर करने के लिये काफी संख्या में लोगों ने अनुमति मांगी है परन्तु सरकार अनुमति देना नहीं चाहती ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) उपरोक्त उदयपुर डिस्टिलरी का वार्षिक कितना प्रोडक्शन है ?

वित मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) जी हां। १४-५-५८ से मिली हुई है। पहले ५,००० गैलन की इजाजत थी जो ३-६-५८ को बढ़ा कर १२,००० गैलन कर दी गई। इसके बाद १६५६-६० में वह पाबन्दी बिल्कुल हटा दी गई। डिनेचर्ड स्प्रिट बनाने की इजाजत इस शर्त पर दी गई थी कि कितनी डिनेचर्ड स्प्रिट बनाई जाय वह सारी फ्रेन्च पोलिश तैयार करने में लगाई जायगी।

(२) उदयपुर डिस्टिलरी कम्पनी (Udaipur Distellary Company) को डिनेचर्ड स्प्रिट (denatured spirit) बनाने की इजाजत इस शर्त पर दी गई थी कि उसका फ्रैन्च पोलिश बना कर राजस्थान के बाहर एक्सपोर्ट करेगा।

(३) जी हां, लेकिन इजाजत सिर्फ उन को ही दी जाती है जो यहां रेक्टीफाइड स्प्रिट डिस्टिल (Rectified spirit distil) करते हैं।

(४) सालाना प्रोडक्शन के आंकडे ये हैं :—

१६५८-५६	१७,३८० बल्क गैलन
१६५६-६०	५२,५३० ,,
१६६०-६१	६६,४८४ ,,

(श्री बालकृष्ण कौल)

१९६१-६२ ६८,९२३ बल्क लिटर।
१९६२-६३ १२,८०१ ,,

चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में फ्रेन्च पोलिश नहीं बनाई गई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिन शर्तों के आधार पर उदयपुर डिस्टिलरी प्रा० लिमिटेड उदयपुर को जिस डिनेचर्ड स्प्रिट की परमिशन दी गई है उसके अनुसार दूसरे लोगों ने भी प्रार्थना-पत्र आपके समक्ष आये थे उनको आपने रिजेक्ट कर दिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : हमने इजाजत सिर्फ उनको दी है जो पहले रेक्टीफाइड स्प्रिट डिस्टिल करते थे।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जिन संस्थाओं ने उदयपुर डिस्टिलरी कम्पनी को आपने डिनेचर्ड स्प्रिट बनाने की इजाजत दी, दूसरों ने भी उन्हीं शर्तों पर अपने प्रार्थना-पत्र दिये थे मगर सरकार ने उनको रिजेक्ट कर दिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने बताया कि मैंने उन्हीं को इजाजत दी है जो खुद यहां पर पहले डिस्टिल करते हैं, बाहर से लाने के लिये कोई इजाजत नहीं दी है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना है कि जो लोग डिस्टिलरीज़ लगाने की स्थिति में थे और प्रार्थना-पत्र दिये उनको इजाजत नहीं मिली।

श्री भैरोंसिंह : जिन कन्डीशन्स पर उदयपुर डिस्टिलरी को आपने इजाजत दी उन्हीं कन्डीशन्स पर दूसरों के प्रार्थना-पत्रों को आपने किन कारणों से रिजेक्ट किया ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि उन्हीं को इजाजत दी है जो यहां पर पहले से रेक्टीफाइड स्प्रिट डिस्टिल करते हैं। बाहर से मंगाने वालों को नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने इस बात की जांच की है कि डिनेचर्ड स्प्रिट केवल फ्रेन्च पोलिश के लिये ही काम में ली जाती है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मेरे पास तो इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : जांच किसकी करेंगे जब कोई शिकायत ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास इसकी देख-रेख के लिये क्या जरिया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : एक्साइज़ इन्सपेक्टर देखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी दूसरी शर्त के अनुसार १२,००० गैलन से ज्यादा पर यह पाबन्दी नहीं है, तो क्या आपने इसके लिये जांच की है कि बाहर से कितना एक्सपोर्ट किया है ?

Page No 39

श्री बालकृष्ण कौल : यह मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर में बहुत इल्लिसिट डिस्टीलेशन होता है और लोगों ने इसके सैकड़ों प्रार्थना-पत्र दिये हैं, एक्साइज ऑफिसरों को दी गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् वह खुद डिस्टिलर हैं, वह इल्लिसिट क्यों करेगा ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें ज्यादा फायदा है।

नगर परिषद्, जयपुर की सीमा में पैट्रोल पम्प

२५२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर परिषद् की सीमा के भीतर कुल कितने पैट्रोल पम्प हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ पैट्रोल पम्प्स मुख्य सड़क से नियमानुसार दूरी पर बने हुए नहीं हैं ? यदि हां, तो फिर इनको लाइसेन्स क्यों दिया गया और हर साल रिन्यू क्यों किया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि मोती डूंगरी रोड सांगानेरी दरवाजे के आसपास जो पैट्रोल पम्प्स हैं वे नियमानुसार सड़क से निश्चित दूरी पर नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या करने का इरादा रखती है ?

(४) भाग २ में वर्णित पैट्रोल पम्प्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या सरकार इस प्रकार के अनियमित रूप से बने हुए पैट्रोल पम्प्स को दिये गये लाइसैन्स के विषय में जांच करेगी और दोषी अधिकारियों को दंड देगी ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जयपुर नगर परिषद् की सीमा के भीतर कुल ३५ पैट्रोल पम्प हैं।

(२) पेट्रोल पम्प के लाइसेन्स इन्सपेक्टर अथवा चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव ग्वालियर द्वारा दिये जाते हैं और रिन्यू भी उन्हीं के द्वारा किये जाते हैं। सुरक्षा, सड़क आदि से दूरी व अन्य टेक्निकल मामले नियमानुसार हैं या नहीं हैं यह देखने का दायित्व लाइसेंसिंग ऑथोरिटी का है।

(३) इस भाग में वर्णित पैट्रोल पम्प नियमानुसार सड़क से निश्चित दूरी पर हैं या नहीं इसकी जांच के लिये इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव को निवेदन किया जा रहा है और उनसे सूचना प्राप्त होने पर ही प्रत्युत्तर दिया जा सकता है।

(४) जब तक इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव से उक्त सूचना प्राप्त नहीं हो जावे सूची प्रस्तुत करने में असमर्थता है।

(५) बहुत से पैट्रोल पम्प पुरानी जगह पर स्थित हैं इसलिये नियमित रूप से जांच की जा सकती है और इसके बाद ही आगे का कदम उठाया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इसके लिये कलेक्टर से सिफारिश

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ली जाती है या सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस से ?

श्री भीमसिंह : सिफारिश नहीं ली जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लियाजाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या जिन बातों को ध्यान में रखते हुए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिये उसके अनुसार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू नही हुआ ?

गृह मन्त्री, (श्री मथुरा दास माथुर) : नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू करने का क्या मतलब है, यह मैं आपको बता देता हूं।

एक तो ट्रैफिक की पोजिशन को देखते हैं कि ट्रैफिक कितना है, दूसरा प्लेस के हिसाब से और तीसरा सेफ्टी के हिसाब से।

जो पेट्रोल पम्प लगे हुए हैं और नये लगे हैं उनसे ट्रैफिक में कोई बाधा तो नहीं पहुंचती है, इस बात को देख कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ पेट्रोल पम्प ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पर हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह बात ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फुटपाथ के पास हैं, उसका क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर: उस वक्त सड़क चौड़ी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह जयपुर का प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर : मै भी जयपुर की बात कह रहा हूं। दो इन्स्टांन्सेज ऐसे हैं जिनके लिये इन्सपेक्टर ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री बाढ़दार।

नाहरगढ सड़क की मरम्मत

२५५. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर में नाहरगढ की सड़क का निर्माण कब हुआ था और इसके बाद इसमें कभी मरम्मत कराई गई या नहीं ? यदि हां, तो मरम्मत में कुल क्या व्यय हुआ ?

(२) क्या इस सड़क के जीर्णोद्धार का राज्य सरकार कोई विचार रखती है ? यदि हां, जो कब तक ?

(३) क्या गत पांच वर्ष में राज्य के किसी भी उच्चाधिकारी ने इस सड़क का कभी निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो किसने और कब किया है ?

उप–मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का स्वायत्त शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध निर्माण मन्त्रीजी से है, वे इसका उत्तर अपनी टर्न पर देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, पहले यह कहा गया था और फिर भी अब यही उत्तर आ रहा है।

(३.५० म. प.)

अल्पकाल सूचना संख्या १६ एस० एन०

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

नगरपालिका (जयपुर) द्वारा भूमि न दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति संबंधी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, जयपुर नगर में नगरपालिका द्वारा भूमि न दिये जा कारण लोगों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान बनाने से उत्पन्न स्थिति की ओर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नजूल जमीन तमाम म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर और खास तौर से जयपुर नगरपालिका के अन्दर शहर की चारदीवारी है उसके अन्दर सरकार की ओर से म्युनिसिपैलिटी को दी गई है। इसके बाद यह हुआ कि नवम्बर, ६२ में यह तय किया गया कि यह जमीन लीज़ के ऊपर बेची जायगी, और इसका आउटराइट सेल नहीं होगा। इसके बीच के अन्दर कुछ असें के अन्दर रूल्स नहीं बने थे इसलिये म्युनिसिपैलिटी को कह दिया गया कि किसी तरीके से यह जमीन बेची जा सकती है। सरकार पूरी तरह जागरूक है और सरकार को मालूम है कि नाजायज कब्जे हुए हैं, एन्क्रोचमेंट हुए हैं। इसलिये नगरपालिका के अन्दर एक ओवरसियर और मुसद्दी को सस्पेन्ड किया। इसके साथ ही साथ यह भी तय किया कि देहली के अन्दर अनआथोराइज्ड़ पजेशन्स, एन्क्रोचमेंट्स को कैसे हटाया गया इसके लिये एक ऑफिसर को डेप्यूट किया गया है कि वह देहली जाकर उन सारे मेथड्स की स्टडी करके आये। गवर्नमेंट यह जानती है कि शहर के अन्दर जमीन की कमी है और कमी होने की वजह से लोग ज्यादा कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिये म्युनिसिपैलिटी को पूरी तरह से वार्न कर दिया गया है और म्युनिसिपैलिटी पूरी तरह से जागरूक है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो क्लेरिफिकेशन मन्त्री महोदय की ओर से किया गया है उसके सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मैं समझ सका हूं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्री महोदय को यह भी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी गई है कि कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है, कितनी लोकेलिटीज़ ऐसी बन गई हैं जिन जमीनों पर लोगों ने जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य किया है। इसका मूल कारण साफ प्रतीत होता है और उस पर स्पष्ट क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता है, वह यह है कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर यह अव्यवस्था रही है कि लोग आवेदनपत्र किराये पर जमीन लेने के लिये करते हैं, जमीन मोल लेने के लिये करते हैं पर इस सम्बन्ध में उस पर कोई विचार राज्य सरकार की ओर से

Page No 42

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

नहीं किया जाता। लोगों को रहने के लिये स्थान की आवश्यकता है और उनको जमीन किराये पर या रहने के लिये नहीं मिलती है तो उसका परिणाम है कि एन्क्रोचमेंट होते हैं, अनऑथोराइज्ड पजेशन्स, अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन्स होते हैं और इस बारे में भी आपके ऑफिस को रिपोर्ट नहीं दी जाती। जितने एन्क्रोचमेंट हुए हैं उनकी पूरी तालिका आपके दफ्तर में नहीं है। इस प्रकार एन्क्रोचमेन्ट की भावना लोगों में जागृत हुई तो इसके लिये आपकी नगरपालिका जिम्मेदार है कि कोई दर्खास्त देकर रिहायश के लिये जमीन किराये पर या मोल लेना चाहता है उसको किराये पर या मोल जमीन नहीं दी जाती है। इस प्रकार की अव्यवस्था नगरपालिका में चल रही है। इसके कारण जयपुर के बाहर बस्तियां बताना चाहता हूं जहां पैलेस के पैलेस बन गये हैं।

(३.५२ म० प०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

इसका करेक्ट डेटा आपके पास नहीं है, लोगों ने किस प्रकार कब्जा किया।

सभापति महोदय, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि यह सुव्यवस्था आपकी नगरपालिका की तरफ से नहीं की जाती कि लोगों को आसानी से जमीनें किराये पर या मोल मिल जायं। आप इस निस्कर्ष पर भी पहुंच पाये हैं कि जयपुर नगर में कहां तक एरिया सीमित किया है, कौन से हिस्से में ट्रस्ट दे सकता है और कौन से हिस्से में आप दे सकते हैं, इसका आप अभी तक निर्णय नहीं कर सके। इसके कारण जनता को जबरदस्ती कब्जे करने पड़ते हैं। परकोटे के बाहर अवश्य कुछ जमीनें हैं जिनका किराया नगरपालिका वसूल करती है पर इसके आस पास के कुछ एरियाज ऐसे आ जाते हैं जहां इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का एरिया है तो इनके आपस की लड़ाई है, जिसके कारण जनता को कोई सहूलियत नहीं, सुगमता नहीं। इस दृष्टि से विचार कीजिये।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जहां तक म्युनिसिपैलिटी का ताल्लुक है सिटी वाल के अन्दर की जमीन पर अधिकार, चाहे वह नजूल लैंड हो, चाहे म्युनिसिपल लैंड हो, उस पर पूरा अधिकार म्युनिसिपैलिटी का है, Within the four-walls of the city.

शहर के बाहर जो नोटिफाइड एरिया है वहां इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का अधिकार है, बाकी एरिया म्युनिसिपैलिटी का है। जो ट्रस्ट के कब्जे में नहीं, गवर्नमेंट के कब्जे में है वह म्युनिसिपैलिटी को दे दिया गया है। म्युनिसिपैलिटी के सामने ऐसे प्रश्न आये हैं कि लोगों को किराये पर जमीन दी गई और उस पर लोगों ने मकान बना लिये, जिनको टेम्पोरेरी किराये पर दिया है उन लोगों ने दूसरों को दे दिया है। म्युनिसिपैलिटी के पास लिमिटेड नजूल लैंड है, शहर के अन्दर है, लोग मांगते हैं उसके अनुसार देना शुरू कर दें तो साल भर में शहर के अन्दर कोई जमीन बचने वाली नहीं है। तो इस तरह म्युनिसिपैलिटी को बदनाम करना कि जानबूझ कर नहीं देती है, यह गलत है। म्युनिसिपैलिटी के

(श्री बरकतुल्लाखां)
पास जमीन लिमिटेड है। वह एक तरीके से ही दी जा सकती है।

बाहर की जमीन बिक रही है, एवरी डे ऑक्शन होता है, जो चाहे ले ले।

सरकार इस चीज को मानती है कि एन्क्रोचमेंट हुआ है और गवर्नमेंट स्टडी कर रही है कि किस तरह से उन लोगों को रिमूव किया जाय।

(३.५७ म० प०)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के नवें व दसवें प्रतिवेदनों पर अग्रेतर विचार–विमर्श

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : We should now have the discussion on the reports of the Commissioner for Scheduled castes and scheduled Tribes.

(विराम)

Shri Man Singh Mahar

श्री मानसिंह महार(आमेर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैंने कल अपने भाषण के दौरान में सदन का ध्यान आपके द्वारा कुछ तथ्यों पर आकर्षित किया। मैं समझता हूं कमीशन की ये रिपोर्ट हैं इनके अन्दर देखा जाये तो इनके अन्दर राजस्थान के बारे में बहुत कम बातें हैं। केवल इतने ही तथ्य सामने आते हैं कि राजस्थान के लिये इतना रुपया इन तबकों के उत्थान के लिये दिया गया, एक दो जगह है कि राजस्थान सरकार ने स्वीपर्स के लिये जिस तरह करना चाहिये वह नहीं किया। एक-दो जगह यह भी है कि पंचायत समिति ने अपने क्षेत्र में इन लोगों के लिये हाउसिंग स्कीम्स थी उनको पूरा नहीं किया। लेकिन मैं इस सारी चीज को दूसरे नुक्ते–निगाह से देखता हूं। मैं समझता हूं हमारी सरकार ने जो कुछ पैसा भारत सरकार ने दिया जो हमारी सरकार की तरफ से किया गया वह केवल एक पार्टी या उसके आदमियों को दिया गया। यह सीधा आरोप मैं ट्रेजेरी बैंचेज़ पर लगाता हूं। मैं समझता हूं, समाज कल्याण विभाग ऐसा है जिसमें केवल कांग्रेस समर्थकों का ही आंगली टिपाव है। मैं समझता हूं समाज कल्याण विभाग के नीचे जितनी कमेटियां काम करती हैं उनमें सिवाय कांग्रेस के किसी और को हाथ नहीं डालने दिया। जितना पैसा खर्च हुआ उसका सारे का घोटाला, गोलमाल किया जाता है और दूसरी पार्टी के, हमारी पार्टी के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो सदस्य चुनाव जीत कर आये हैं, वे इन कमेटियों में सदस्य बनना चाहते हैं तो उनको लिया नहीं जाता है। कितना घोटाला हुआ कितना फिजूल खर्च हुआ है, सोशियल वेलफेअर की जीपें दौड़ाई जाती हैं, उनमें उधर बैठने वाले नेताओं की स्त्रियां या नेता खुद होते हैं, और ये लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। तो मैं यह सीधा आरोप लगाता हूं।

श्री भीखाभाई (समाज कल्याणमंत्री): आरोप भी प्रमाण के साथ होना चाहिए।

श्री मानसिंह महार : प्रमाण भी दे रहा हूं। जरा सुनिए तो सही। यही नहीं कि जीपों का ही दुरुपयोग होता है, इस विभाग के अन्दर ऐसे करप्ट ऑफीसर्स को नौकर रखा जाता है कि जिनकी अगर में गाथाएं सदन को सुनाऊंगा तो चेयरमैन महोदय, सदस्यों की आंखों में आंसू आ जायंगे समाज कल्याण विभाग के एक असिस्टेंट कमिश्नर करीब ४ महीने पहले सिकराय गए और समाज कल्याण विभाग की तरफ से वहां पर स्कूल रन करता था, उसके मास्टर को महुआ में बुलाकर कहा कि आपकी सर्विसेज् टरमीनेट की जाती हैं। जब उस मास्टर ने गिड़गिडाया कि सरकार मैं गरीब आदमी हूं, मेरी सर्विसेज टर्मीनेट नहीं होनी चाहिए। तब उसको हिदायत हुई कि आपके गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा अगर आप अपनी स्त्री को लेकर मेरे पास सिफारिश कराएंगे तो इस बात को मैं रीकन्सीडर करूंगा।

उसने कहा कि महुआ तो बहुत दूर है, इसलिए आप सिकराय पधारिए। वह असिस्टेंट कमिश्नर सिकराय पहुंच गए।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय....

श्री मानसिंह महार : आप इतने उतावले मत होइये। बड़ा लम्बा किस्सा है। अच्छी तरह से सुनाऊंगा। अभी से मंत्री महोदय घबरा गए। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सरे बाजार में जूते लगे।

वह साहब शाम के टाइम महुआ से सिकराय पहुंचे डाक बंगलों में मास्टर को बुलाया और उससे कहा कि आप धर्मपत्नि को यहां भेजिये। उसने जवाब दिया कि मैं सरे बाजार अपनी धर्मपत्नि को यहां नहीं लाऊंगा। इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे स्कूल मे, जहां तुम्हारी धर्मपत्नि रहती हैं वहां आता हूं और चेयरमैन महोदय रात के साढ़े दस बजे उस समाज कल्याण विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर नाम चाहें तो बतादूं, गोपाललाल शर्मा हैं, एक तहमत बांधकर और सिर पर रुमाल डालकर, जिस तरह अखाडों में पहलवान रहते हैं, शराब पीकर, सिकराय के बाजार से होते हुए स्कूल में गए। वह मास्टर बेचारा मजबूर था। स्कूल में उसको हिदायत हुई कि हमारे पीने के लिए कुएं से पानी लाओ। वह पानी लाने गया। वह मदमस्त असिस्टेंट कमिश्नर महोदय उस मास्टर की धर्मपत्नि के पास ऊपर चले गये। वहां जाने पर उस धर्मपत्नि ने उसका विरोध किया। वह चिल्लाई, तो नीचे जो उस समाज कल्याण विभाग का बोर्डिंग हाउस था वहां के छोटे छोटे लड़के चपरासी और दूसरे आदमी दौड़कर भाग आए और उन्होंने उस असिस्टेंट कमिश्नर को शराब के नशे में....

एक माननीय सदस्य : वह असिस्टेंट डाइरेक्टर हैं।

श्री मानसिंह महार : कुछ भी कहिए, असिस्टेंट डाइरेक्टर कह दीजिए।

उनको पकड़कर वहां नीचे लाने लगे तो वह चिल्लाया। लड़के भी चिल्लाये, चपरासी भी चिल्लाये, मास्टर भी चिल्लाया। उनको

(श्री मानसिंह महार)

नीचे लाया गया। स्कूल बाजार के नजदीक है। बाजार से भी ५८–६० आदमी भागकर निकले। वहां पर असिस्टेंट डाइरेक्टर को बांधा गया। बांधकर उसको इतना मारा गया कि मैं निवेदन करूं कि मैंने दूसरे दिन मौके पर जाकर देखा कि उसका सारा बदन नीला पड़ गया था। जब थाने के अन्दर उसके खिलाफ रिपोर्ट की गई....

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि इस संबंध में जो मुझे जानकारी मिली है वह यह है कि वह केस पुलिस के द्वारा चालान हो गया, इसलिए केस सबजुडिस हो जाता है।

श्री सभापति : किसी अदालत में चालान कर दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री मानसिंह महार : गलत बात है। इसी पाइंट पर आ रहा था कि चालान नहीं हुआ। ३५४ आई. पी. सी. ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : वह सस्पेन्ड कर दिया गया ?

श्री मानसिंह महार : नहीं हुआ। इस तरह की सदन को गलत बातें बताई जाती हैं। झूठी बातें ये लोग कहते हैं, यह सदन का अपमान है।

(विराम)

शर्म की बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) On a Point of Order, Sir.

It is a fact that on both sides the case is pending in the court and if the case is sub-judice this should not be discussed.

ये कह रहे हैं कि उस आदमी का चालान नहीं हुआ....

श्री मानसिंह महार : इसी पर मैं आ रहा हूं। दुःख इस बात का है कि उनको पीटा गया, पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई। सब-इन्सपेक्टर ने ३५४ आई. पी. सी. के तहत Outraging modesty of wom उस पर एक केस रजिस्टर किया। लेकिन एस. डी. एम. दौसा वहां गए। रातो रात दौड़े, जाकर उस केस को रुकवा दिया और जो जनता के आदमी थे उनके खिलाफ ३४२, ३३२ और ३२३ के तहत केसेज रजिस्टर किए। जनता के खिलाफ तो ये केसेज रजिस्टर हो गए, लेकिन उस असिस्टेंट डाइरेक्टर के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। फिर कहता हूं कि जो इस सदन में सूचना दी जाती है वह गलत है।

मैं उसके बाद माननीय गृह मंत्री. . . .

श्री भीखाभाई : Subject to the correction, which I just said, the case has been ordered to bc challaned. actually it has been put to cahllan.

श्री मानसिंह महार : आॅर्डर हो गया होगा, लेकिन उस भद्र महिला के शील भंग की कोशिश की, उस समाज कल्याण विभाग अधिकारी ने, उसका हमें दुख है। इसीलिए कहते हैं कि इस विभाग को तोड़ा जाना चाहिए, इससे अधिक

(श्री मानसिंह महार)

करप्ट कोई विभाग नहीं है । जब उस ऑफिसर का चालान नहीं किया गया तो मैं राजस्थान के आई० जो० पी० से मिला, जयपुर एस० पी० से मिला, मंत्रियों से मिला, तो कहा गया कि चालान कर दिया जावेगा । यह तीन महीने कि बात है उस पर हमने मालूम कियातो मालूम पड़ा कि इसके अन्दर एक और राज है जिसकी वजह से गोपाललाल का सस्पेन्शन ऑर्डर या चालान नहीं होता । जब उस राजको मालूम करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि वह राजस्थान सरकार के जो नाथद्वारा केसेज़ हैं, उन सबका सरकारी पैरोकार के रूप में काम करता है तो यह सरकारी पैरोकार नाथद्वारा जैसे इम्पोर्टेंट केसेज़ में है, तो उसको सस्पेंडबिना मुख्यमंत्री के कहे कैसे किया जाये; इसलिये जब तक मुख्य मंत्रीजी आस्ट्रेलिया से लौट आयें तब तक इस केस को रख लिया जाय । अब उसके बाद मुझे यह सुनकर खुशी हुई, जो अभी सरकार की ओर से कहा गया कि चालान की इजाजत दी गई है । फिर भी दुःख है कि इस तरह के करप्ट ऑफिसर को अब एस० डी० ओ० बना दिया गया, एक सब-डिवोजन का मालिक बनाकर आप बताइये कि वहां पर कितनी महिलाओं का शील भंग करेगा ? यह इस सरकार ने नहीं सोचा । यह दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि इस सरकार में जो थोड़ा बहुत विश्वास रहता है वह खत्म हो जाता है । इसलिये मैं कहता हूं कि लोगों की आम धारणा बन गई है कि समाज कल्याण विभाग मंत्री कल्याण विभाग है, वह मन्त्रियों का कल्याण करता है । वह ऐसा विभाग है, जिसके अंदर ऐसे नोकर चाकर लिये जाते हैं जो मन्त्रियों के सप्लायर्स के रूप में रहते हैं । इस बात की गवाही टौंक और बैराठ के डाक बंगलोज़ की मूक दीवारें देंगी ।

श्री सभापति: अगर आपको इस तरह के ऐलीगेशन्स लगाने हैं तो उसका पहले नोटिस दे देना चाहिए । इसलिए मैं निवेदन करूंगा की इस तरह के जनरल और स्वीपिंग रिमार्क नहीं लगाएं तो अच्छा है ।

श्रीमानसिंह महार :चेएरमैन महोदय, सारे मंत्रियों से मिला-मुख्यम ंत्री से, गृहमंत्री से । ये सब लोग इस कांड को जानते हैं ।

एलीगेशन करना या लिख कर देना तो वहां होता है जहां छिपी हुई बात होती है····

श्री सभापति : "टौंक के बारे में दिवालें कहेंगी आदि ।"

श्री मानसिंह महार : मैं नहीं कहूंगा, सभापति महोदय । मैं क्षमा चाहता हूं । मैं केवल गोपललाल जी के कान्ड को, एक ही केस को महत्व देना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी को मोअत्तिल क्यों नहीं किया गया ? गृह मंत्री जी आ गये हैं, मुझे इसकी खुशी है । उन्होने जरूर इसमें दिलचस्पी ली थी कि इस केस का चालान हो जाय । लेकिन दुःख है गोपाललाल कांड सिकराय में हुआ था ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : उसमें सेन्क्शन चालान को गवर्नमेंट ने दे दी । गवर्नमेंट सर्वेन्ट का चालान करने से

(श्री मथुरादास माथुर)

पहले इजाजत मांगनी पड़ती है। यह गवर्नमेंट के पास आया। सेन्क्शन की जरूरत नहीं थी। But he may now be challaned under the law.

श्री मानसिंह महार : बड़ी खुशी की बात है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। सरकार को धन्यवाद दूंगा। छः महीने तक गवाहों को पूरी तरह तोड़ने के बाद, उस मास्टरनी को मजबूर करने के बाद कि तू अपने बयान बदल दे, आपने यह किया। ड्यूटीज् पर नहीं गये इसलिए ३३२ में इधर तो उन आदमियों का चालान कर दिया, इसमें यह है कि सरकारी अधिकारी को ड्यूटी पर जाने से रोका और उसके साथ मारपीट की। उसका तो चालान कर दिया जिसमें पीटना भी शामिल है ......

एक माननीय सदस्य : ९ वें पर बोल रहे हैं या १० वें प्रतिवेदन पर बोल रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं तो आपकी सरकार के काले कारनामे बता रहा हूं। ९ वां और १० वां तो आपको मालूम होगा। आपका तो ११ वां आ रहा है। ९ वां तो खत्म हो गया जब पैदा हुए तब ही।

मैं निवेदन कर रहा था कि अब मैं इस विभाग के बारे में अधिक नहीं कहूंगा। मंत्री जी से एक बात पूछूंगा और बैठ जाऊंगा। आपके विभाग का एक आदमी इस प्रकार की गलत कार्यवाही करता है और जनता को जिससे शर्म आती है, आपने आज तक उस अधिकारी को मोअत्तिल क्यों नहीं किया ? चालान की इजाजत अब दे दी। उसको पहले मोअत्तिल करके डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कराई होती। नहीं कराई तो समाज कल्याण विभाग में महिलाओं का भी उत्थान होता है तो जनता का किस प्रकार से विश्वास हो सकता है ? मन्त्री जी अभी उछल रहे थे लेकिन अब ठंडे हो गये। उनकी बन्दूकों पर पानी पड़ गया। जब वे अपना जवाब दें तब इस छोटी सी बात का भी वे जवाब दे दें। मेरे साथी और भी बातें रखेंगे। मैं अब अधिक नहीं रखूंगा। मैंने आपके सामने यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला रखा है। यदि मंत्रीजी का दिल और दिमाग सही है तो वे इस बात का अपने उत्तर के समय अवश्य ही जवाब दें कि उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ? यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय...

श्री सभापति : श्री अमृतलाल यादव

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर): सभापति महोदय, सदन में नवीं और दसवीं, कमिश्नर, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस चल रही है। मैं सरकार का ध्यान इस दसवीं रिपोर्ट पर जो कमिश्नर्स की रिकमन्डेशन्स हैं और सजेशन्स हैं उनमें से नवीं रिकमन्डेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि :

"It will be useful if prior to the discussion in the State Legislature the report is examined in a joint meeting of the members of the Tribes Advisory Council and

(श्री अमृतलाल यादव)

Harijan Welfare Board at the State level. ..."

यह तो बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेन्ट ने हरिजनों का सलाहकार बोर्ड और आदिवासियों की सलाहकार कौंसिल बना रखी है। लेकिन कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट अब हाउस में डिस्कशन के लिए आयी है, वह उनकी सम्मिलित मीटिंग में पहले डिस्कशन के लिए रखी जानी चाहिये थी और उस हालत में तो और भी ज्यादा जरूरी था। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय सभापति जी, कि इस रिपोर्ट का इन्ट्रोडक्शन पिछले सेशन में हो चुका है, पिछले सेशन में यह इन्ट्रोड्यूस की जा चुकी है। उस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक तो एक मीटिंग बुलायी जा सकती थी और उसमें यह डिस्कस की जा सकती थी।

श्री भीखाभाई (समाजकल्याणमंत्री) : उसकी कापी ही अब प्राप्त हुई है।

श्री अमृतलाल यादव : चाहते तो प्राप्त की सकती थी। लेकिन, खैर। आज जब हम इस सदन में ये दोनों रिपोर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, यहां ५९-६० और ६०-६१ इन दो सालों की रिपोर्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जब कि हर साल की रिपोर्ट सालाना सदन में डिस्कस होनी चाहिये। संसद में ६१-६२ की रिपोर्ट डिस्कस हुई है। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्रीजी अब तो जो आगामी रिपोर्ट है उसको तो कम से कम दोनों बोर्ड्स की ज्वाइन्ट मीटिंग बुला कर उसमें पहले रखेंगे।

उधर से बोलने वाले हमारे सदन के एक प्रमुख माननीय सदस्य ने अपने बोलने में जो कुछ कहा, मैं एक बात का, वे शायद हाउस में अभी नहीं हैं, लेकिन जो हैं वे उनको पहुंचा दें, जिक्र करना चाहता हूं और वह बात यह है कि उन्होंने हाउस में यह कहा कि जो कुछ हरिजन और आदिवासियों के सुधार के नाम पर राजस्थान सरकार करती है वह केवल कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए करती है, कांग्रेस के लोगों या कांग्रेस के हरिजनों के लिए करती है। यह बात कहां तक ठीक है और कहां तक ठीक नहीं है, इसको अगर मैं कहूं तो, माननीय सभापतिजी, चूंकि मैं कांग्रेस का हूं इसलिए यह माना जावेगा कि शायद मैं प्रिजुडिस हूं इसलिए मैं कहता हूं। लेकिन इसके बजाय मेरे मित्र या मेरे साथी जो शिड्यूल्डकास्ट के हैं, और निवाई से सज्जन आते हैं, वे जरा उनसे पूछ लें कि उनकी लड़कियां, जिनको मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूं, वे जब वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ने गयी तो क्या राजस्थान सरकार ने स्कोलरशिप दी या नहीं? अगर दी, तो फिर उनका यह आरोप कहां तक सही रहता है कि केवल कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए ही सरकार कार्य करती है। सरकार कांग्रेस पार्टी की है इसमें शक नहीं और वह रहेगी।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : ठेका थोड़े ही है।

श्री अमृतलाल यादव : अभी तो ठेका ही है। कम्युनिस्टों के हाथ में तो कभी भी सरकार नहीं आ सकती।

श्री हरिराम चौहान : कभी के चले गये।

श्री अमृतलाल यादव : आपके चाहने से क्या होता है ? वृन्दावन से एक बंदरी रूस जाय तो क्या वृन्दावन खाली थोड़े ही हो जाता है ।

कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार रहेगी । कांग्रेस ने कुर्बानियां की हैं, जनता का इसके प्रति अभी भी पूर्ण विश्वास हैं, कांग्रेस के ही नहीं किन्तु आपकी पार्टी के लोग भी अपनी अन्तरात्मा से यह स्वीकार करेंगे । कांग्रेस सरकार हर कीमत पर रही है, कांग्रेस सरकार आदिवासियों और हरिजनों की कुर्बानियों पर रही है । क्योंकि कांग्रेस सरकार न न केवल हरिजन और आदिवासियों का ही हित किया बल्कि कांग्रेस सरकार ने हमारे देश में प्रजातंत्र की नींव डाली है, स्वस्थ प्रजातंत्र की नींव डाली है जिसके लिये न केवल हम बल्कि मेरे दोस्त को कह देना चाहता हूँ कि जिन देशों के अन्दर प्रजातंत्र है उन देशों के माने हुए विद्वानों ने हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र की प्रशंसा की है। यह कहना कहां तक ठीक रहेगा, वे सोचें । बीच में यह प्रसंग आ गया था इसलिये मैंने अर्ज कर दिया ।

सभापति महोदय, कमिश्नर की मूलतः दो साल की रिपोर्ट जमा हो गई है शिडूल्ड कास्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में जो सुझाव देते हैं वह समस्याओं के हल का एक निचोड़ होता है । मैं सभापति महोदय, इस प्रसंग में यह निवेदन कर दूं आजादी आने से पहले कांग्रेस ने एक रिज़ोल्यूशन पास किया था मेरे माननीय दोस्त आगाह हो जाय उन्होंने यह प्रस्ताव किया था कि अगर हमारी हुकूमत हो जाय, अंग्रेजी सत्ता यहां से खत्म हो जाती तो हमारा सबसे पहला काम अस्पृश्यता के सवाल को हल करने का रहेगा । कांग्रेस सरकार बनी और कांग्रेस सरकार ने उस वायदे को पूरा किया और कांग्रेस ने हरिजन और आदिवासियों के उत्थान के लिए हर कीमत पर हर तरह से कोशिश की । सरकार एक चीज होती है और संगठन एक चीज होती है । सरकार की शोर्ट कमिंग्ज (shortcomings) सरकार की कमजोरियां जो होती हैं उनकी आलोचना की जाती है और की जानी चाहिये यह प्रजातंत्र का स्वस्थ तरीका है; आप भी करें और हम भी करें । लेकिन उनके अन्दर केवल आलोचना के लिए आलोचना न हो । हममें उनके प्रति सच्चा दर्द है तो उसके लिए हमें सुझाव देने चाहिये । सरकार ने यह काम गलत किया इसको इस तरह से करना चाहिये यह सुझाव हमें देने चाहिये । जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है वे तो कभी सुझाव दे ही नहीं सकते । वे तो बन पड़े तो आपस में स्त्री पुरुष में लड़ाई करवा दें और आप दूर बैठ तमाशा देखें ।

मैं आपसे अर्ज कर रहा था मैं यह बता देना चाहता हूं कि शिडूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने अपनी दसवीं रिपोर्ट के पेज ३६२ में एक सुझाव दिया है जिसमें राजस्थान गवर्नमेन्ट और पंजाब गवर्नमेन्ट की दोनों तारीफ की है । यह मैं नहीं कर रहा हूं । यह रिपोर्ट है सभापति महोदय, जिसकी वर्बेटिम मैं पढ़ देता हूं :

'The step of entrusting the Industries Department with the working of the training-cum-production centres in the States of Punjab and Rajast-

(श्री अमृतलाल यादव)

han is in the right direction and need to be followed in other States/ Union Terriotries because the experience of the past years has revealed that industries departments can execute these schemes in a more effective manner than the Welfare Departments.'

यह कमिश्नर की रिपोर्ट है जिसमें राजस्थान गवर्नमेन्ट की तारीफ की है। उन्होंने तारीफ की है माननीय सदस्य का जब बोलने का समय आये और इस बात में कमी हो कि कमिश्नर ने किस तरह से गलत लिख दिया है तो उनको हाक है कि वे इसके बारे में कुछ कहें। इसके बारे में कमिश्नर ने पिछले साल की रिपोर्ट में सुझाव दिये हैं। मेरे माननीय मंत्री यदि हर साल की रिपोर्ट पर बहस करने का अवसर देते तो मैं उनको दो और धन्यवाद देता। मैं आपको बताऊं पिछले साल का धन्यवाद अभी देना बाकी है जो मैं सरकार को दे रहा हूं। मैं केवल धन्यवाद देने के लिये ही खड़ा नहीं हुआ हूं आलोचना भी करूंगा सुझाव भी दूंगा।

सागड़ी प्रथा के बारे में कमिश्नर ने बहुत जोर से लिखा था। इसको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया, पार्टी में डिस्कस किया कि यह अमानुषिक प्रथा है। यदि यह प्रथा रहती है तो प्रजातंत्र के कोई मायने नहीं। राजस्थान में इस सागड़ी प्रथा के नीचे कुचला जाने वाला प्राणी ही यह चाहता हो, यह बात नहीं। मैं ही नहीं राजस्थान का हर जिम्मेदार साथी इस प्रथा को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ? डूंगरपुर से आने वाले मेरे आदरणीय ऑपोजीशन के नेता महोदय कम से कम इस प्रथा को बन्द करने के लिए गवर्नमेन्ट को धन्यवाद अवश्य देंगे। डूंगरपुर में जो सागड़ी प्रथा चलती थी उसको राजस्थान सरकार ने समाप्त किया है, इसलिये राजस्थान गवर्नमेन्ट इसके लिये धन्यवाद की पात्र हैं।

इसके बाद कमिश्नर ने मनी लैन्डर्स के एक्स्प्लोइटेशन के बारे में कहा था, क्योंकि वास्तव में उसके लिये राजस्थान में एक कमेटी बैठाई थी। उसमें उन्होंने बताया था। मनी लैन्डर्स का वाइड स्कोप है। को–ऑपरेटिव सैक्टर्स में इनस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स अब भी लोग बनियों से उधार लेते हैं। देहातों में बनियों से उधार लेते हैं, तीन-चार पर्सेन्ट ही लोग ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से लेते हैं। इस तरह के मनी लैन्डर्स जो गांवों में बैठे हुए हैं जो बोहरा कहलाते हैं धौलपुर में, और और जगह और और नामों से जो जाने जाते हैं वे भी एक्सप्लोइट कर रहे हैं और उसके लिये कमिश्नर ने सिफारिश की थी और मैं गवर्नमेन्ट को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि मनी लैन्डर्स के एक्स्प्लोइटेशन को रोकने के लिये जिससे सदन अच्छी तरह से परिचित है, एक कानून आया था जो सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है और हाउस के विचाराधीन है। मैं समझता हूँ हाउस उस पर जल्दी विचार करके इसी सैशन में उसको पास कर देगा और इस तरह से यह बिल एक्ट के रूप में आ जायगा।

इसके बाद एक बहुत बड़ी बात हुई है, बोर्डर के ऊपर जैसी कि इमर्जेन्सी के

(श्री अमृतलाल यादव)

में बहुत से लोग वॉलन्टियर एजेन्सी पर आक्षेप करते हैं। हमारे अपोज़ीशन के भी बहुत से मेम्बर्स बहुत तरह की बातें करते हैं, एक व्यक्ति के लिये मैं यह कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने बोर्डर पर जाकर वहां के हरिजन वहां के आदिवासियों के लिये कुछ प्रयत्न करने की कोशिश की। इसके फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से ही सही राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको मन्जूर किया है एक खास तौर से विशेष प्रावधान करके आश्रम स्कूल स्थापित करने का यहां वालिन्टियर एजेन्सी के जरिये छात्रावास स्थापित कर सकेंगे। मैं भी बाडमेर बोर्डर एरिया में गया था। मैंने भी सोश्यल वेलफेअर मिनिस्टर को यह रिपोर्ट दी थी कि वहां पर इस प्रकार के काम की बहुत जरूरत है, लेकिन उसके बाद काफी दिनों के बाद ही सही उन्होंने इस ओर ध्यान दिया इसलिये मैं मानता हूँ सरकार इस बात के लिये धन्यवाद की पात्र है।

ये सब इस प्रकार की चीजें हैं जो राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है, मैं उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इसके बाद मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन हमारे यहां सबसे पहले हमारे राज्य के मुख्य मंत्री ने शुरू किया और इसका श्रेय सारे हिन्दुस्तान ने उनको दिया है। इस श्रेय के साथ-साथ जो हरिजनों के साथ अन्य जातियों का व्यवहार होता है उसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जहां आपको क्रेडिट मिली है उसके लिये डिसक्रेडिट मिलने के लिये भी आपको तैयार रहना चाहिये। हरिजनों का शोषण हो रहा है, हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार या ज्यादती वहां हो रही है। यहां तक कि हरिजनों के जो मेम्बर्स हैं कहीं-कहीं पंचायतों में उनको चपरासी ग्लास, लोटा से पानी नहीं पिलाता है। कहीं–कहीं मेम्बरों को जाजम पर नहीं बैटने दिया जाता। बल्कि यहां तक कह दिया जाता है कि जाजम पर बैठवा के वास्ते थांने मेम्बर नहीं बणाया हां और कूओं से पानी नहीं भरने की बात, जो पहले करीब-करीब मिट सी गई थी, वहां फिर उभड़ आई है। इतना ही नहीं, पंचायतों को कुछ रुपया सोश्यल वैलफेयर विभाग से छात्रवृत्ति देने के लिये दिया गया था उसके लिये भी कुछ लोग कांग्रेस की सरकार पर आक्षेप लगाते हैं, कांग्रेस की पंचायतों पर लगाते हैं, पर मैं कहना चाहता हूं कि जहां दूसरी पार्टी की पंचायत है वहां बिल्कुल अन्धेरगर्दी है। वहां हरिजन बालकों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती, कुओं से पीने का पानी नहीं भरने दिया जाता, मन्दिरों में दर्शन करने नहीं दिया जाता। होटलों में चाय नहीं पीने दी जाती, उस कप-प्लेट से नहीं पीने दी जाती, जिनसे दूसरे सवर्ण लोग पीते हैं, नाई लोग उनकी हजामत नहीं बनाते, ढोली ढोल उनके यहां नहीं बजाता, अगर कोई अपने शादी-विवाह के जुलूस आदि में बैंड ले जाता है तो नहीं लाने दिया जाता। इस तरह की ज्यादतियां उनके साथ आज भी होती हैं।

मैं एक नमूना आपके सामने रखना चाहूंगा।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर सु०) : ऐसी कौनसी पंचायत है?

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास इस वक्त एक सुबूत है पंचायत समिति राश्मी का, सम्बन्धित मन्त्री चाहें तो नोट कर लें। वहां प्यारचन्द रैगर और रामलाल रैगर दो एल० डी० सी० हैं। उनके बारे में यह दरख्वास्त है कि पंचायत समिति राश्मी में छुआछूत किस हद तक व्याप्त है। इन हरिजन एल० डी० सी० द्वारा वहां के पानी के मटकों के हाथ लगा देने से बद्रीलाल हेडा कम्पोस्ट इन्सपेक्टर ने उनको उठाकर बाहर फोड़ दिया और घासीलाल टाइपिस्ट भी छूआछूत रखने में भरसक प्रयत्न करता है। ऑफिस में यह वातावरण अधिक फैल रहा है। उसको मिटाने की जरूरत है।

इस दूसरी रिपोर्ट के पेज ३५२ पर कमिश्नर ने इन्हीं सब ज्यादतियों को सभी तरफ देखते हुए यह अपनी सिफारिशों में लिखा है कि :

"Panchayats should be effectively involved in the programme of removal of untouchability as these can be a very potent force in combating this evil. Their responsibility in this field should accordingly be increased and the State Governments/Union Territory Administrations should issue special instructions to the Panchayats for strictly ensuring that Scheduled Castes persons under their jurisdiction are not subjected to untouchability or any social disability and for bringing the obstinate offenders to book. The main clauses of the Untouchability (Offences) Act, 1955, should be exhibited in a poster in the office of each Gram Panchayat."

यह सिफारिश उन्होंने इस बात के लिये की है।

मैं राजस्थान सरकार से यह करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान की हालत को देखते हुए कमीशन की इस रिपोर्ट की इस सिफारिश को पूरी तरह से अमल में आने की बड़ी जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने और भी रिकमन्डेशन इसी कनेक्शन में की है और वह यह है कि :

"Instructions should be issued to all gazetted officers in the Central as well as State Governments/Union Territory Administrations that whenever they go on tour they must visit at least one Scheduled Castes locality during each tour and before claiming Travelling Allowance give in their tour notes their impressions about the living conditions of the Scheduled Castes in the locality visited, with suggestions for their improvement."

इसके बाद उन्होंने गुजरात सरकार का एक नमूना देते हुए उदाहरण भी पेश किया है और मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार भी इसको अमल में लावे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिये, वह यह है :

"All the State Governments/Union Territory Administrations should consider the feasibility of issuing similar instructions as issued by the Collector of Ahmedabad whereby the Mamlatdars and the Block Development Officers were asked to visit the villages where scheduled caste per-

(श्री अमृतलाल यादव)

sons were not allowed to fetch water from the water works constructed with Government aid and try to persuade the villagers and put an end to this practice."

मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सिफारिश को अमल में लाने में राजस्थान सरकार को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिये और मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेन्ट की ओर से जब सभी का जवाब दिया जावे तो इस बात के लिये डेफीनिटली कुछ कहा जावे कि इन रिकमन्डेशन्स पर राजस्थान सरकार अमल करना चाहती है या नहीं या उनको उसमें कोई दिक्कत हैं और हैं तो वे क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाजिब बात पर और आज की इस जरूरत पर इस बात की उम्मीद है कि वे इस बात की घोषणा करेंगे कि वे इनको किस सीमा तक अमल में लाने को तैयार हैं। क्योंकि सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि जिस राजस्थान सरकार ने डेमोक्रेटिक डीसेन्टलाइजेशन में नाम कमाया वह राजस्थान सरकार अस्पृश्यता निवारण में भी प्रथम रहे। इसमें भी वह नाम कमावे। यह मेरी ख्वाहिश है। मेरी सरकार में बैठने वाले मित्र इस मेरी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूं कि हमारे कान हर तरफ से पिछड़ा शब्द बहुत दिनों से सुन-सुन कर पक गये थे। औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में सो औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ेपन के शब्द से हमारी राजस्थान सरकार ने और हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। अन्य शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें पिछड़ा शब्द सुनना पड़ता था, उस दिशा में भी हमने इस शब्द से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है तो इसलिये अब मैं यह अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे यह कहने की इजाजत दी जाए, सभापति महोदय, कि, राजस्थान अस्पृश्यता निवारण की दृष्टि से भी जो कि सारे देश से पिछड़ा हुआ है यह कहने की स्थिति में आ जाय कि वह इस बारे में अब 'पिछड़ा' शब्द नहीं सुनेगा। मैं जब इस बारे में राजस्थान की हालत सुनता हूं और राजस्थान के बाहर जाने पर सुनता हूं और वहां की हालत और अपने यहां की हालत का मुकाबला करता हूं तो मुझे शर्म के मारे अपना सिर झुका लेना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी यह सरकार अगर इस बारे में विशेष प्रयत्न करे तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगले साल जब हम अगली कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए यहां एकत्र हों तो यह ज्ञात हो जाय कि राजस्थान सरकार इस मामले में भी सबसे आगे हो। मेरी इच्छा है, सरकार इस बात को स्वीकार करे। न करे तो यह सरकार की मर्जी की बात है।

इसके बाद मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात का कुछ पता नहीं चलता है कि अस्पृश्यता निवारण किस हद तक हो चुकी है और किस हद तक बाकी है। क्या इसका असेसमेन्ट है, कितना काम हुआ है, कितना होना बाकी है इस बारे में अगर मैं कहूं कि मैं अपने दृष्टिकोण से कहूंगा, गवर्नमेन्ट के अफसर कहेंगे तो वे अपने दृष्टिकोण से कहेंगे कोई विरोधी पार्टी का व्यक्ति कहेगा तो वह अपने दृष्टिकोण से कहेगा तो इन सब बातों में साफ वस्तु स्थिति

Page No 54

(श्री अमृतलाल यादव)

सामने नहीं आती । इसलिये निष्पक्ष दृष्टिकोण की जरूरत है।

हम भी नहीं चाहते कि यह हरिजनों का गहना, यह आदिवासी का गहना, विशेष संरक्षण और अधिकारों का गहना हम भी अधिक नहीं पहनना चाहते, अब तो हमारी गरदनें भी दुखने लग गई हैं। वह गहनों का बजन जितना जल्दी उतार दें उतना ही अच्छा है।

लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह समस्या का हल नहीं करके, धूल में जैसे मुंह छिपा लेता है और शुतुरमुर्ग समझता है कि मैं सुरक्षित हो गया, इस तरह से समस्या हल नहीं होती और यह कह दिया जाये की समस्या हो गयी तो इससे न तो हरिजनों का भला होगा और न समस्या का हल होगा। इसलिये निष्पक्ष तौर से इस बात को देखा जाये और इसीलिए कमिश्नर ने निष्पक्ष तौर से इस बात की सिफारिश की है और जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और बहुत ही रीज़नेबल तरीके से की है। मैं सदन को इसे सुनाना चाहता हूं। उन्होंने सिफारिश की है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हिन्दी में बता दो, आपने तो पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप तो पेज बता दो, हम समझ जायेंगे।

श्री अमृतलाल यादव : अंग्रेजी में पढ़ कर उसका हिन्दी में ट्रान्सलेशन करके बताऊं या क्या करूं ?

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : वैसे ही हिन्दी में बता दो।

श्री अमृतलाल यादव : सभापति जी मैं खाली इसको अंग्रेजी में कह कर हिन्दी में कहने की इजाजत चाहूंगा। बाद में कोई उदाहरण कोट करूंगा तो हिन्दी में कर दूंगा। इसको तो इस समय अंग्रेजी में कहना जरूरी है :

"It is necessary to appoint a committee of experts from each of the fields of Anthropology, Psychology, Sociolgy, Economics and History besides representatives of the administration and a few social workers of long experience and repute to investigate into the problem of untouchability in all its aspects and to ascertain to what extent this evil practice still obtains in the country and what counter steps should be taken to deal with it. It is desirable that expert committees should be appointed by all other State Governments Union Territory Administrations."

श्री भैरोंसिंह : Consisting of ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐतिहासिज्ञ और दूसरे।

माननीय सभापति जी, उन्होंने सिफारिश की है कि जो ऐतिहासिज्ञ हैं, जो समाज शास्त्री हैं, जो लोग शरीर शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, जो प्रशासन के विशेषज्ञ हैं, और जो समाज सेवा के विशेषज्ञ हैं इस प्रकार के सभी विचारों के लोगों की एक ऐसी एक्सपर्ट कमेटी बैठाई

(श्री अमृतलाल यादव)

जाये जिसमें ये सब एक्सपर्ट्स हों और वह कमेटी इस बात की सिफारिश करे कि अस्पृश्यता का निवारण हमारे राज्य में कहां तक हुआ है और कहां तक होना बाकी है और कहां तक होगा। तो यह कमेटी अभी तक जहां तक मैं समझता हूं राजस्थान सरकार ने बैठाई हो मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उनका प्रपोज़ल है कोई तो वह उसको इम्पलीमेन्ट करें और नहीं हो तो ऐसी कमेटी की सख्त जरूरत है क्योंकि जो कुछ काम हुआ है वह सिस्टेमैटिक वे से नहीं हुआ और वह अधूरी चीज हुई है और हम भी अन्दाजा नहीं लगा पाते कि कितना काम हुआ है। यह कमेटी बैठाने से मालूम हो जायेगा कि कहां तक समस्या का हल हुआ।

इसके बाद मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कमिश्नर ने इस बात की भी सिफारिश की है कि सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेन्ट के लोग मालिक बनकर नहीं बल्कि सेवक बनकर जो जिलों में बैठे हुए हैं खास तौर से वे वहां के अशिक्षित हरिजन और आदिवासियों के ऊपर पड़ने वाली तकलीफों के बारे में वे खुद उनके घरों में जायें मोहल्लों में जायें और वहां जाकर समय के अनुसार सेवा करें और इस बात को देखें कि वहां पर नाई उनकी हजामत बनाते हैं या नहीं, होटल वाले कप में चाय पिलाते हैं या नहीं, कोई उनकी जमीन को तो नहीं छीनते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमे तो नहीं हैं। लेकिन यह सब देखने के बजाय मैं समाज-कल्याण मंत्रीजी को दुःख के साथ रिपोर्ट देना चाहता हूं कि और तो और लेकिन जैसलमेर के अन्दर जो सरकार की ओर से चलाया जाने वाला हरिजन छात्रावास है उस हरिजन छात्रावास में लड़कों की हजामत भी वहां के नाई नहीं बनाते और वहां के समाज कल्याण अधिकारी, यहां के डाइरेक्टर, वहां के कलेक्टर सबसे उन्होंने लिखा-पढ़ी की, लेकिन उसका भी नतीजा कोई नहीं निकला..

श्री भैरोंसिंह : किसी एक नाई को मंत्री रख लिया जाये ताकि सब की हजामत बना दे।

श्री अमृतलाल यादव : वह आपके शासन में कर लेना आप।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो खुद ही हजामत बना दूंगा, नाई की जरूरत नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : आखिर में मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जितनी सामाजिक असुविधायें हरिजनों की हैं उनको दूर करने के लिए समाज कल्याण के अधिकारियों को उनकी सेवा में जाकर उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन समाज कल्याण के अधिकारियों के बारे में ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं वे अपने कलेक्टर से ज्यादा बड़ा समझते हैं और भूले भटके कोई बेचारा हरिजन उसके पास पहुंच जाता है कि साहब मेरे लड़के को मैं कहां पढ़ाऊं, मेरे लड़के के पास किताबें नहीं हैं, फलां होटल वाले ने कप में चाय नहीं दी है तो उसके साथ उसकी मदद करना तो दूर रहा, लेकिन उसके साथ सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं कहे जाते हैं।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री अमृतलाल यादव)

लेकिन माननीय सभापति जी,मुझे तो दो तीन महत्वपूर्ण बातें और कहनी हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा

श्री सभापति : आपने आधा घंटा तो ले लिया है अगर संक्षेप में कहें तो बहुत जल्दी कह सकते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : तो मैं यह कह रहा था कि अभी कई जगह ऐसी हैं, बल्कि होस्टल सुप्रिन्टेन्डेन्ट कई जगह ऐसे हैं कि जो खुद भी छुआछूत मानते हैं । इस बात की तो कतई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जो होस्टल का सुप्रिन्टेन्डेन्ट हो और वह भी हरिजन होस्टल का वह खुद छुआछूत माने तो उसका क्या होगा ? इसकी आपको सख्त जांच करनी चाहिए और ऐसा कोई मिले तो तुरन्त दूर करना चाहिए।

इसके बाद मैं माननीय वन मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यान भी, क्योंकि वे वन मंत्री भी हैं और सौभाग्य से आदिवासी समाज को भी बिलोंग करते हैं तो मैं उनसे एक आशा तो कर सकता हूं कि कमिश्नर ने रिपोर्ट की है कि आज को ऑपरेशन कॉमन वैल्थ हमारी पॉलिसी है और हम यह चाहते हैं कि ठेकेदारी की प्रथा को खत्म करके सहकारिता को प्रोत्साहन दें । माननीय सभापति जी, कमिश्नर ने एक नहीं चार–चार और छः छः सिफारिशें इस बात की की हैं। समयाभाव के कारण वर्बेटिम पढ़कर नहीं सुनाता हूं लेकिन माननीय मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, शायद उन्होंने भी पढ़ लिया होगा। कमिश्नर ने यह चाहा है कि एक निश्चित तारीख मुकर्रर की जाये कि जिस दिन कम से कम वन विभाग से जो ठेके दिये जाते हैं वे ठेके ठेकेदारों की जगह पर आदिवासियों की, हरिजनों की सहकारी समितियों से रिप्लेस कर दिये जायेंगे। इसकी एक टार्गेट डेट फिक्स कर दी जाये। मैं कहूं कि बजरंगबली का नाम लेकर हमारे वन मंत्री जी इस काम को तो शुरु करें फिर देखें कि कितना कमाल होता है। मैं मानता हूं कि अगर हमारे वन मंत्री इतना भी नहीं कर सके तो आदिवासी उनको क्या याद करेंगे। यह सरकार की पॉलिसी है, यह कमिश्नर की रिपोर्ट है और मैं समझता हूं कि यह मेरी भावना है। मेरी ही नहीं हरिजन और आदिवासी मैं समझता हूं कि इस मामले में तो चाहे इस ओर बैठे हों और चाहे उस तरफ बैठे हों सभी हरिजन और आदिवासी सदस्यों की यह धारणा है और माननीय मंत्री महोदय की भावना यही होगी। शायद वह पूरा ध्यान इस ओर नहीं दे पाये हैं, लेकिन मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब वे शाम को जवाब दें तो इस बात की निश्चित घोषणा करें कि वे किस तारीख से इस ठेकेदारी की शोषण प्रथा को खत्म करके आदिवासियों के चिथड़े जो पीठ पर हैं और उनकी माताओं और बहनों की इज्जत अस्मत ढकने के लिए तन पर कपड़े नहीं मिलते हैं उसको दूर करने का करिश्मा आपके हाथ में है। अगर आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो आप अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करेंगे। अगर आपको इस प्रकार का अधिकार है तो आपको करना चाहिए और मैं आपकी स्पष्ट घोषणा शाम को सुनना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आपके जमाने में जब आप वन–मंत्री थे तो कितने लोगों को ठेका दिया और कितने लोगों को फायदा हुआ हरिजनों को ताकि उसके आधार पर कहें ।

श्री अमृतलाल यादव : कम से कम जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको तो जरूर फायदा हुआ । उसके अलावा मुझे इस बात का गर्व है, चाहे एन्क्वाइरी कमेटी बिटाकर इस बात की जांच की जाय, तो मैंने इस बात की शुरुआत की जब कि मैं वन मंत्री था कि सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके पहले सहकारी समितियों को थ्री ईअर्स के एवरेज के ऊपर उनको दिया है, और अगर आज तक मैं रहता तो इस बात को भी आपको कहता हूं कि वह जरूर हो जाता ।

श्री श्योपतसिंह : अगर अब आपको मौका दिया जाय तो ?

श्री अमृतलाल यादव : मौका दिया जायगा तो देखा जायगा तब देखा जायगा ।

एक माननीय सदस्य : आप कौन होते हैं मौका देने वाले ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापति जी, मैं इसलिए कह रह था कि सहकारिता को देश ने अपनाया है । इसलिए अपनाया है कि देश में हमको समाजवादी समाज की रचना करनी है । मुझे इस बात की सूचना आपको देते हुए बड़ा दुःख है कि हमारे वन मंत्री एक तरफ तो यह नीति निर्धारित करते है कि हरिजनों और आदिवासियों को जो जमीन दी जाय उसको कोई नीलाम में खरीद नहीं सकता, लेकिन दूसरी तरफ सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार साहब, माननीय मंत्रीजी नोट कर लें, भरतपुर में आजो ग्राम में, सभापति महोदय, दो कोआ–परेटिव सोसाइटी हैं वहां पर उनमें सभी सदस्यों में रुपया बाकी है ऐसा होता है कि सवर्ण जिनमें वर्षों से रुपया बाकी है जो कि रुपया दे सकते हैं और जिनके पास सैंकड़ों बीघा जमीन है, लेकिन न तो उनकी जमीन कुर्क की गई और न उनकी जमीन नीलाम की गई और न रुपया वसूल किया गया और हरिजनों से जो कि टूटे हाथ का हरिजन था उसकी जमीन को रजिस्ट्रार ने नीलाम कराने का ऑर्डर दे दिया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस रजिस्ट्रार का जो जमीन नीलाम करने का आर्डर है वह आर्डर सही है या आपने जो ऑर्डर दिया है कि हरिजनों की जमीन को कोई भी खरीद नहीं सकता, वह ऑर्डर सही है । इससे तो वह बनिया ज्यादा अच्छा है, वह मनीलैण्डर ज्यादा अच्छा है जो कि रिस्क लेता है और इस बात के लिए और रुपया लेता है, कहतसाली में नहीं दे सकता तो उसकी फिर दूसरे साल फसल आने पर रुपया ले लेता है, लेकिन....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : रजिस्ट्रार नीलाम कर ही नहीं सकता ।

श्री अमृतलाल यादव : रजिस्ट्रार ने नियमानुसार नीलाम की कार्यवाही कर दी । वह नहीं कर सकता है ।

लेकिन मैं आपसे आगे की बात कहूं कि मैं यह बात माननीय मुख्य मन्त्रीजी के नोटिस में लाया, और उन्होंने उस पर्टीक्यू–

Page No 58

श्री अमृतलाल यादव)

लर केस में, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उसकी जमीन नीलाम होने से रोक दी। लेकिन मैंने उनसे यह प्रार्थना की कि जहां कहीं भी हरिजनों के साथ में इस तरह की बात हो उसके लिए आपको........

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, समय का ध्यान रखा जाय।

श्री सभापति : उनको उनकी पार्टी के समय में से समय दिया है।

श्री अमृतलाल यादव : यह कर देना चाहिए कि हरिजनों की कोई भी जमीन अगर कोआॅपरेटिव का कुछ भी रुपया बाकी हो तो नीलाम न की जाय, बल्कि उसकी फसल में से एक–चौथाई हिस्सा रखकर बाकी फसल को अटेच करके आप रुपया इन्स्टालमेंट में वसूल कर लें। वह रुपया जाने वाला नहीं है। कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट एडवान्स करता है लोन और इन्ट्रेस्ट वसूल करता है। अगर वह वसूल भी हो जायगा तो वह रुपया कहीं और जगह उसमें देंगे और उससे इन्ट्रेस्ट मिलेगा, लेकिन जिस हरिजन की जमीन नीलाम हो जायगी वह काहे से जिन्दा रहेगा। वह बर्बाद हो जायगा। वह न रुपया दे सकेगा आपको और न और ही कुछ कर सकेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ आपकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। सह–कारी मन्त्रीजी इस बात को नोट कर लें, सब मन्त्रियों की जगह पर जो मन्त्री साहब बैठे हैं वे नोट कर लें कि आज जो सहकारी समिति और सतपुरा सहकारी समिति में कितना रुपया सवर्ण मेम्बरों में बाकी है और उससे वसूल क्यों नहीं किया गया। मैंने रजिस्ट्रार को एक चिट्ठी लिखी तो उसका जवाब दिया कि जाब्ते की कार्यवाही उनके खिलाफ चल रही है। तो मैं इस बात से सन्तुष्ट नहीं हूँ। एक जिम्मेदार अधिकारी इस बात का जवाब दे कि जाब्ते की कार्यवाही चल रही है और उनके साथ एक हाथ टूटे हरि–जन के साथ जिसका और कोई जरिया नहीं है उसकी जमीन नीलाम कराने की कार्यवाही कर दी, उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : ३ मिनट में आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री अमृतलाल यादव : तो मैं इस बात को आपसे कह रहा था कि इस बात को देखिये कि उनके खिलाफ कब से कितना रुपया निकल रहा है, तो आपकी आंखें खुल जायेंगी और किस तरह का भेद–भाव होता है यह आपके सामने हो जायगा। इस चीज को देखें और अगर कहीं है तो उसको दूर करने की कोशिश करें।

इसके बाद मैं अर्ज करना चाहता हूं, ३ मिनट का समय है और २–४ बातें आपको कहनी हैं। खैर, सभापतिजी, आप ही ऐसा करेंगे तो किसके पास जाऊंगा ....

श्री सभापति : यह नहीं कहते तो एक बात कह जाते।

श्री अमृतलाल यादव : मैं फिजूल टाइम हाउस का नहीं ले रहा हूं। माननीय

(श्री अमृतलाल यादव)

सदस्य भी मेरी इस बात की ताईद करेंगे। मैं तीन मिनट में ही अपनी बात कहूंगा।

इसके बाद मलकानी कमेटी यहां पर आई तो मलकानी कमेटी ने सारे हिन्दुस्तान के जो मेहतर लोग हैं उनके द्वारा टट्टी की सफाई का काम जो गन्दे तरीके से होता है ठीक तरीके से हो, व्हील बेरोज़ खरीदे जायं और गन्दगी से इन्सान को बचाया जाय, इस बात के लिए कमेटी आई तो यह मेरी नहीं, कमेटी की फाइंडिंग्स हैं कि जो रुपया म्युनिसिपैलिटीज़ को दिया गया है तो किसी एक म्युनिसिपैलिटी ने व्हील बेरोज़ नहीं खरीदे और वह रुपया बेकार गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन-मन्त्रीजी से मेरी बात हुई तो उन मन्त्रीजी ने और जो इसके खास मन्त्री हैं स्वायत्त शासन के, उनका तो ऐसा है कि उनको यहां पर बैठने की जरूरत महसूस नहीं होती है। वे इतनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं कि काम नहीं करें तो न सही, लेकिन लोगों की बात तो सुनें। यह जिम्मेदारी जिस व्यक्ति में नहीं हो वह क्या हरिजनों का भला करेगा? लेकिन मुझे दुःख है कि किस लापरवाही से उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि म्युनिसिपैलिटी से वसूल करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश क्यों की जाय एक मिनट में क्यों नहीं वसूल करते हैं, वह अब तक क्यों रह गया? आप वसूल किसकी आवाज उठाने पर कर रहे हैं। जिस कन्डीशन पर रुपया दिया गया है तो वह व्हील बेरोज़ खरीदने के लिए दिया गया था। उस कन्डीशन पर रुपया दिया गया था और उस काम में लाना चाहिए था, लेकिन ४-५ साल से अभी तक वे यही कहते हैं कि रुपया वसूल किया जायगा, आज तक वसूल नहीं किया गया। जब किया जायगा तो कितना वसूल होगा। यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है, सभापतिजी, एक मानवता का सवाल है। राजस्थान गवर्नमेंट ने रुपया नहीं निकाला, लेकिन भारत सरकार से आया हुआ रुपया वह म्युनिसिपैलिटीज़ को दिया गया और म्युनिसिपैलिटीज़ ने उसको हज़म कर लिया और उसको निकलवाने की कार्यवाही अब तक नहीं की गई। मुझे नहीं मालूम कि अब भी इस बात की कोशिश की जायगी या नहीं। मैं राजस्थान सरकार और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको एक मिनट के लिए भी सहन नहीं करना चाहिए कि वह रुपया वसूल नहीं हो, बल्कि एक तरीके से डेट फिक्स की जानी चाहिए और एक कमेटी बना कर एसेस कर लें कि इतने व्हील बेरोज़ चाहिए और इतने इम्प्लीमेंट चाहिए और सब के सब पेटर्न दिये हुए हैं और एक पर्टीक्यूलर पर्चेज़ कमेटी बना दी है, एक स्टोर बता दिया गया है वहां से वह खरीद कर लिये जायं और म्युनिसिपैलिटीज़ को सप्लाई कर दिये जायं और जितनी रकम उनके शेयर की हो वह काट ली जाय तो समस्या का हल हो जाय। एक तारीख फिक्स कर दी जाय और उनको यह पाबन्द कर दिया जाय कि वे उन्हें यूज़ करें। अगर हम लोग उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर वे चाहते हैं कि........

श्री सभापति : एक मिनट दे रहा हूँ ! उसमें समाप्त कर दें। एक मिनट हो गया तो ज्यादा नहीं होने दूंगा।

श्री अमृतलाल यादव : मैं सर्विसेज़ के

Page No 60

(श्री अमृतलाल यादव)

बारे में अर्ज करूंगा, माननीय सभापति, कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ और उस जजमेंट को सुनते ही हमारे बहुत से मित्रों के दिल में बड़ी खुशी हुई और बहुतों के घरों में घी के चिराग जले और बहुत सों के हृदयों में प्रसन्नता हुई और अभी तक कइयों के चेहरे खिले हुए हैं। मैं माननीय सभापतिजी, इस बात को देखते हुए कि समाज में इस समस्या के बारे में क्या भावना है,........

(५ म. प.)

वह जो जजमेंट है वह इस बात के लिये है और मैं भी उस जजमेंट का आदर करता हूँ, लेकिन राज्य सरकार समय पर नौकरियों में भर्ती नहीं करती है। एक साल में १० जगह खाली होती हैं या २० खाली होती हैं या १०० खाली होती हैं उनको उसी तरह से एक साल में जितनी नौकरियां होती हैं उनको उसी साल भर देना चाहिये। लेकिन उसी साल लोगों को नौकरियां न देकर जमा करके यह कहा जाता है कि १०० जगहें नौकरियों की खाली हो जायेंगी तब एक साथ सब हरिजनों को दे दी जायेंगी। मैं यह कहता हूँ कि ज्यों-ज्यों वेकेन्सीज़ हों, त्यों-त्यों फिल-अप करनी चाहिये। यदि उस समय फिल-अप नहीं करते हैं और एक साथ इकठ्ठा करके हरिजनों को देने की बात करते हैं तो क्या दूसरे लोगों का ब्राह्मणों का गला घोटेगा या महाजनों का गला घोट दिया जायगा। इसलिये मैं यह कहता हूँ कि जो वैकेन्सीज़ हों वे उसी साल फिल-अप कर देनी चाहिये, रहने नहीं देनी चाहिये। यदि रहने दी तो लोगों को मौका नहीं मलेगा ....

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदय, मुझे एक मिनिट और दीजिये।

श्री सभापति : No, Sir, Bhairon Singh.

श्री अमृतलाल यादव : सभापतिजी, मेरी एक महत्वपूर्ण बात रह गई है। मुझे एक सैकन्ड ही दीजिये। मेहरबानी करके एक बात कहने दीजिये।

श्री सभापति : लेकिन संक्षेप में कहिये।

श्री अमृतलाल यादव : मैं बहुत ही संक्षेप में कहूँगा। मैं कह रहा था कि राजस्थान में बड़े-बड़े एडवर्टाइज़मेंट किये गये और अब करने वाले हैं उनके बजाय व्यवहारिक बात कर दी जाय जो लड़के आज नौकरी में हैं, यदि एक भंगी का लड़का आज जयपुर में एम. ए. पास है उसको यदि नौकरी मिल गई योग्यता के अनुसार तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा काम हो गया। इस तरह से १०–२० लड़के जो नौकरियों के लायक हैं उनके बारे में मैं राजस्थान सरकार से आज शाम को घोषणा चाहता हूँ कि जो तुरन्त है उनको तुरन्त लगा देंगे और जो बाद में आयेंगे उनको बाद में लगायेंगे।

मुझे यह बात कहने के लिये आपने जो समय दिया सभापति महोदय, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैंने अधिक समय लिया है उसके लिये माफी चाहता हूँ।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, आज शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स कमीशन की १० वीं रिपोर्ट पर विचार हो रहा है । मैंने इस रिपोर्ट को आरम्भ से अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारी सरकार जो लगभग १५ वर्षों से शिड्यूल ट्राइब्स और शिड्यूल कास्ट्स के उत्थान के संबंध में कार्यवाही करती आ रही है उसने इस कमीशन के सामने कई प्रकार के तथ्य रखने में गुरेज किया है और इसी कारण से कमीशन ने राजस्थान सरकार को यह सलाह दी है कि सब काम का पूरा विवरण कमीशन का जब प्रतिवेदन तैयार हो या कमीशन इस प्रकार का विवरण डिमान्ड करे उस समय कमीशन को दिया जाय । कोई इस प्रकार का चेप्टर नहीं मिलेगा सभापति महोदय, जिस चेप्टर के अन्दर राजस्थान सरकार के ऊपर इस प्रकार का आरोप न लगाया गया हो कि राजस्थान सरकार ने अमुक प्रकार की सूचना कमीशन को नहीं दी । मैं इस सम्बन्ध में तो सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार कभी दुर्भाग्य से अपनी ओर इस प्रकार का प्रतिवेदन तैयार नहीं करती, सदन के माननीय सदस्यों को इस प्रकार की जानकारी नहीं देती कि इन जातियों के उत्थान के लिये क्या किया जा रहा है ? उन जातियों के संबंध में क्या खर्चा होता है, कितना हुआ, क्या एचीवमेन्ट्स हैं ? क्या खर्चा किया इसकी सूचना नहीं दी जाती है । इस हालत में कम से कम राज्य सरकार को इस बात की चेष्टा अवश्य करनी चाहिये कि सामूहिक रूप से भारत सरकार की ओर से जो एक प्रतिवेदन तैयार होता है उसमें राजस्थान के क्या एचीवमेन्ट्स हैं, किस हद तक उसने सफलता प्राप्त की है उसकी जानकारी सारी की सारी कमीशन को दे । लेकिन मुझे तो यह देखकर और भी अफसोस हुआ कि केवल जानकारी देने का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि जानकारी जो दी भी जाती है वह भी गलत दी जाती है । मैं सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से पेज १६५ का उद्धरण आपके सामने पढ़ कर सुनाऊंगा :

"In Rajasthan a colony of 59 Scheduled Tribe families was sanctioned in 1957-58 in Kota District, and an amount of Rs. 25, 000 was reported to have been spent on 50 houses. It is understood that the panchayat Samiti records show that all the fifty houses have been completed, but a visit paid to the site by a member of my Organisation revealed that no houses at all were constructed."

आगे इसमें लिखा है :

"It is also reported that loans amounting to about Rs. 14,700 taken by the members of the colony from a Co-operative Society were repaid by the Panchayat Samiti out of the amount received for housing subsidies to the Scheduled Tribe members."

इसी प्रकार से एक सूचना पेज २४७ पर और आपको देखने को मिलेगी जिसमें हमारी सरकार पर आरोप लगाया है। यह पेज २४७ है, इस पेज पर भी इस प्रकार की एक गलत सूचना का उल्लेख है । अब वह गलत सूचना क्या है :

(श्री भैरोंसिंह)

"The State Government has reported that the Ashram School started at Badgama was functioning satisfactorily and more Ashram Schools were allotted for being started at Bhukhia and Pipalkhunt in Banswara District. I understand, however, that the Ashram School at Badgama was never started."

मैं आज राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार हमको सूचना नहीं दे, यह समझ में आ सकता है। राज्य सरकार इस सदन के अंदर कुछ गलत बातें कह दे यह समझ में आ सकता है। लेकिन राज्य सरकार भारत सरकार के द्वारा नियुक्त इस प्रकार के कमीशन के सामने इस प्रकार की गलत सूचना दे तो सभापति महोदय, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। अपराध इस सेन्स में इससे बड़ा नहीं हो सकता कि यह कमीशन की रिपोर्ट केवल राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के सामने नहीं रहेगी। इसका सर्क्यूलेशन सारे भारत की विधान सभाओं के सामने हुआ है, सारे भारत में हुआ है, विदेशों में हुआ है, उन जातियों में हुआ है जिनके बारे में यह रिपोर्ट है। इसका सर्क्यूलेशन लोकसभा के मैम्बर्स में और राज्य सभा के मैम्बर्स में हुआ है, सरकारी अधिकारियों में हुआ है। आज उनकी ओपीनियन हमारी राज्य सरकार के लिये इस प्रकार की बनेगी कि राज्य सरकार सूचना नहीं देती है और देती भी है तो वह भी गलत देती है। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि सन् ६० की रिपोर्ट के लिये गलत सूचना देने के लिये जो भी दोषी हैं, मैं यह समझता हूं कि कमीशन के सामने गलत सूचना देने के दोषी अधिकारी हैं, लेकिन सबसे बड़े दोषी मंत्री हैं, जिनके माध्यम से कमीशन को सूचना मिली है उनको दंड दिया जाय और जिन अधिकारियों ने गलत सूचना मंत्रीजी को देकर मंत्रीजी के माध्यम से गलत सूचना दिलाई है उनको भी दंड दिया जाय...

एक माननीय सदस्य : वे मंत्री तो हार गये।

श्री भैरोंसिंह : वे मंत्री जीत गये, हारे नहीं और इस समय शिक्षा मंत्री हैं।

अब मेरा दूसरा प्रश्न है सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले इस सदन में कहा था कि पर-केपिटा इन्कम राजस्थान में कितनी है। इस बात का उल्लेख करके उन्होंने बताया था कि राजस्थान ने बहुत बड़ी प्रगति की है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में यह कहा था कि राजा महाराजाओं का जमाना था उस समय ये लोग महुवा के बीज खाकर दिन निकालते थे, न उनके खाने की व्यवस्था थी न कपड़ों की व्यवस्था थी और न दवादारू और स्कूलों की व्यवस्था थी। आज मैं राजस्थान के मुख्य-मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपके डाइरेक्टर ने जो रिपोर्ट दी उसके खिलाफ सन् ६० का प्रतिवेदन आया है उसको पढ़ें तो आपको अंदाज लगेगा कि जिस डूंगरपुर बांसवाड़ा में ट्राइबल ब्लोक्स के नाम से उनका डेवलोपमेन्ट करने का गर्व करते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है ? उनकी आय है प्रति व्यक्ति

(श्री भैरोंसिंह)

साढ़े तीन आना। यह कमीशन ने लिखा। यदि उनकी प्रति व्यक्ति आवश्यकता के आधार पर इस बात का निर्णय किया जाय कि प्रति व्यक्ति खाने का खर्चा; केवल खाने का खर्चा, मकान और शिक्षा इसमें नहीं है, केवल खाने का खर्चा शामिल किया जाय तो एक आदमी के ऊपर चार आने का खर्चा आता है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि साढ़े तीन आना प्रति व्यक्ति आय है और चार आने का खर्चा है तो वहां के लोग किस तरह दवा की व्यवस्था करते होंगे, किस तरह शिक्षा की व्यवस्था करते होंगे, किस प्रकार मकान बनाते होंगे ? लेकिन सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। चिन्ता इसलिए नहीं है कि वह सरकार के पास आते हैं, सरकार ने उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोल रखी हैं, सरकार ने उनको लोन देने का विभाग खोल रखा है, उससे उन्हें लोन प्रोवाइड़ किया जाता है। आपने इस रिपोर्ट को उठा कर देखा है तो आपको जानकारी हुई होगी कि ६२ पर्सेन्ट लोग मनी लैंडर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। वे सारे लोगों को नहीं देते, केवल उन्हीं लोगों को देते हैं, जो सागड़ी प्रथा के रूप में गुलाम बन कर रहते हैं। यह सही है कि सागड़ी प्रथा को सरकार ने समाप्त किया है, पर उससे पहले जिस तरह इन लोगों का शोषण होता था और जिसको इस सरकार ने पन्द्रह साल तक बरदाश्त किया है और उसके बाद १९६१-६२ में कानून बनाया है। हमारे मुख्य मंत्री जो उदयपुर से आने वाले हैं और मंत्री महोदय जो बांसवाड़ा से आने वाले हैं, जहां ट्राइबल ब्लॉक्स बने हुए हैं–उनकी जानकारी में था कि सागड़ी प्रथा इन व्यक्तियों का शोषण करने वाली प्रथा है इसलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने पन्द्रह साल तक इन्तजार किया। उसके बाद कानून बना और कानून बनने के बाद उनकी आज क्या स्थिति है इसके मेरे पास आंकड़े हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए डूंगरपुर के आंकड़े बताता हूं। डूंगरपुर में पोपूलेशन है ३,३५,००० की, उसमें से ५५ प्रतिशत भील हैं। इन भीलों के अन्दर ९४. २८ प्रतिशत एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। इन एग्रीकल्चरिस्ट के अन्दर साइज़ ऑफ होल्डिंग ४.२० और ३. ४८ एकड़ की आती है। इन टोटल ५७ परसेन्ट अन्डरडेट हैं। इसी प्रकार से इन लोगों ने लोन जिनसे लिया है उनमें ८० प्रतिशत मनी लैंडर्स हैं, १० पर्सेन्ट गवर्नमेंट से लेते हैं, चार प्रतिशत लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से और २.१३ प्रतिशत एम्प्लायर्स लेते हैं।

इसी प्रकार आप बांसवाड़ा की हालत देखिये। बांसवाड़ा में ५७ पर्सेन्ट आज भी इस प्रकार के लोग हैं जो इनडेटेड हैं और एग्रीकल्चर करते हैं। यह इनडेटेडनेस इस बात की वजह से नहीं है कि उनको पूरी की पूरी रकम एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए आवश्यक हो। वह इसलिए भी नहीं लेते कि एश-ओ-आराम करना चाहते हैं। इनमें एग्रीकल्चर इनडेटेडनेस तो है ही, साथ ही डोमेस्टिक इनडेटेडनेस है। इसलिए मैं यह कह कर चलूंगा कि राज्य सरकार ने कुछ भी किया हो, लेकिन वहां के लोगों की हालत नहीं सुधरी है, जैसी साधारण जनता की हालत सुधरी है। आप सवाई माधोपुर के लोगों को लीजिये, उन पर ज्यादा

(श्री भैरोंसिंह)

कर्जा है और उसी प्रकार सिरोही के पास पानवाड़ी, आबू रोड में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं उनकी पर-केपिटा इन्कम उनकी आर्थिक स्थिति को दृढ़ बनाने के अनुकूल नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े देकर सदन का समय नहीं लेता क्योंकि उनका इस रिपोर्ट में और डाईरेक्टोरेट ऑफ इकोनोमिक एण्ड स्टेटिस्टिकल सर्वे की रिपोर्ट में उल्लेख हैं।

इसके बाद मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि पन्द्रह वर्ष पहले यहीं महुओं के बीज खाकर रहते थे और इनकी अच्छी आमदनी का समय आने वाला है, लेकिन वह समय उस समय तक नहीं आने वाला है जब तक इनके पास खाने को न होगा और जिस समय कि उचित रूप से कर्ज नहीं मिलेगा। आज कोऑपरेटिव विभाग और सरकार-ये दोनों भी लोन दे दें तो भी उसके बाद अगर मनी लैंडर किसी प्रकार इनको लोन नहीं दें तो आज के दिन भी महुआ खाकर के इनको दिन गुजारने पड़ेंगे और वे आज भी महुए के बीज खाते हैं। मैं शाहबाद जाकर आया हूँ। मैंने अपनी आंखों से वहां के लोगों को महुए के बीज इकट्ठे करते देखा है। मुझे पता नहीं था कि किस प्रकार महुए की शराब निकाली जाती है। महुए की शराब बनती है, इस-लिए मैंने पूछा कि शराब निकालने के लिए बीज इकट्ठे कर रहे हो तो कहा कि शराब के लिए नहीं अपने खाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। उस समय में मेरी समझ में आया कि वास्तव में किस प्रकार की आर्थिक स्थिति में से ये लोग गुजर रहे हैं, वे आज भी महुओं के बीज खाकर दिन गुजारते हैं! इसलिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और दवा उपलब्ध करने की व्यवस्था करने का सवाल पैदा नहीं होता है; इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस सरकार से, हमारी सरकार जो यह दम भर कर चलती है कि बहुत सुधार कर दिया है ! मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत खर्च किया है, पहली पंचवर्षीय योजना में काफी खर्च किया है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी खर्च किया है, लेकिन उस खर्च को करने के बाद आपका रिटर्न यह है, उनकी आमदनी यह यह है। अब खर्च किस मद में कितना हुआ, इस पर जब प्लान पर इस हाउस में डिबेट हुई थी उस वक्त मैंने विस्तार से चर्चा की थी। इस समय मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पंचवर्षीय योजना के जो हैड्स थे, जिनके अन्दर जो पैसा रखा था उससे उनका विकास करना था, उनके अन्दर शोर्ट फाल है। बाकी की मदों में शोर्ट फाल हो तो समझ में आ सकता है, लेकिन जिस मद में यह समझ कर चलें कि इनका उत्थान करना है, उन मदों में भी शोर्ट फाल होता हैं तो मैं, सभापति महोदय कहूंगा कि यह बहुत ही निन्दनीय है और इसके लिए सरकार की जितनी निन्दा की जाय, वह कम नहीं हो सकती। सैकन्ड पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो खर्चा किया है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा है वह लम्बा चौड़ा न बता कर केवल मैं उसका आखिरी सेन्टेन्स पढ़ कर उसका जिक्र कर देना चाहूँगा, जिससे पता चल जाय कि सैकण्ड पंचवर्षीय योजना में कितनी तरक्की की है। वह ३४४ पेज पर है :–

"The progress achieved during the year under report and during the

(श्री भैरोंसिंह)

Second Five Year Plan period has been recorded in facts and figures in various Sections of this Report. The statistical information given as regards the reservation in services in different cadres of the various Ministries of the Government of India will be helpful in assessing the progress in this respect, which is far from satisfactory."

इकोनोमिक कन्डीशन्स के बारे में फिर लिखा है :–

"Economic conditions of the S duled Castes specially has not shown any marked progress as no special schemes have been devised by the State Governments who have shoulder the major responsibility for this section of the society. We may not forestall the recommendations of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission in regard to the various suggestions for Scheduled Tribes in this respect...."

अब इससे हम सबको अन्दाज हो जायगा कि सैकिंड पंचवर्षीय योजना में, पहली पंच-वर्षीय योजना में और उसके पहले जो कु खर्चा किया है, उसका अचीवमेंट कितना और किस प्रकार का रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि हम पैसा खर्च करते चले जायं, इसमें आपत्ति नहीं है। यदि दूसरी मदों के अन्दर कटौती की जाकर इन लोगों पर खर्च किया जाय तो मैं सरकार के इस प्रकार के निर्णय करने वालों में से होऊंगा। लेकिन प्रश्न आता है कि जो खर्चा भारत सरकार नियोजित कर ले, राजस्थान सरकार नियोजित कर ले, उसके बाद भी पैसा खर्च नहीं हो और पैसा खर्च न हो उसके लिए एक भी आग्यूमेंट इस प्रकार का न दिया जाये जो कि दूसरे लोगों की समझ में आ सके। सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार की कई इस प्रकार की मद छोड़ी हैं जिनमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया । मैं सदन के सामने एक मद रखता हूँ और वह है कि हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यह व्यवस्था की थी कि उनको एक प्रकार से फ्री लीगल एड दी जायगी। सैकिंड फाइव ईअर प्लान में इसके लिए पांच हज़ार रुपये निर्धारित किये थे, लेकिन उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि सरकार उनको फ्री लीगल एड देना चाहती थी या नहीं देना चाहती थी ? अगर देना चाहती थी तो क्यों नहीं दी गई ? इसमें किसका दोष है ? क्या आज सरकार सोचती है कि हरिजनों और आदिवासियों पर कोई मुकदमे नहीं चलते, मुकदमों के द्वारा उनको शोषण नहीं कराया जाता ? उन पर मुकदमे चलते हैं, शोषण उनका होता है, फिर उसके बाद जो उनके ऊपर पांच हजार रुपये खर्च होने वाले थे वे क्यों नहीं किये जा सके ? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की व्यवस्था में....

एक माननीय सदस्य : सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने नहीं कहा ?

श्री भैरोंसिंह : वे कहीं से भी आये हों। भोपालसागर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं निवेदन कर रहा था कि आज की सारी इकोनौमिक कन्डीशन्स या सारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में सुधार, सभापति महोदय, कानून बनाने से....

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर) : मैंने तो लीगल एड (aid) की बात नहीं कही थी।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा था कि कुछ आइटम्स रह गये हैं। यह तो आपके दिमाग में आ नहीं सकता। यह आपकी सूझ के बाहर की बात है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अपनी तरफ से ही कह दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था, कानून बनाने से काम नहीं चल सकता, आप कानून को इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली करें, इससे काम नहीं चल सकता। कानून का काम और है, इसके लिए उत्थान का काम करना है तो समाज के अन्दर इस प्रकार की फीलिंग बनानी होगी। वह नहीं बनेगी तो कानून के जरिये इन्हें उठा सकें, यह सम्भव नहीं है। राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के वातावरण की कमी है। जैसा भोपालसागर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां अनटचेबिलिटी का रोग उसी प्रकार चल रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर कोई व्यक्ति होगा, बहुत कम सेक्शन ऐसे होंगे, जो अनटचेबिलिटी के अन्दर किसी प्रकार की बाधा पैदा करते हों, विरोध करते हों। बहुत कम सेक्शन्स ऐसे होंगे। उनके दिमाग में इस प्रकार का डर है कि कलको अगर पंचायत के इलेक्शन होंगे, म्युनीसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे, असेम्बली और लोक सभा के इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के अन्दर लोग छूआछूत के आधार पर सोचने लग जायं तो हमें वोट नहीं मिलेंगे और हमारे व्यक्ति हारेंगे। इसलिए डेमोक्रेसी और इलेक्शन के कारण लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि छूआछूत को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कई बार छूआछूत की बात को लेकर गलत ढंग से इन्सिस्ट करने की कोशिश होती है तो उसका एक रीएक्शन पैदा होता है और वह रीएक्शन एक जगह नहीं रहता है, वह धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता सारे समाज में बढ़ता चला जाता है, और जो व्यक्ति स्वयं छूआछूत को समाप्त करना चाहते हैं, उनके दिमाग में ऐसे लोगों के रोंग इन्सिस्टेन्स के कारण यह आता है कि इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था के द्वारा, डंडे के बल से यह क्यों करवा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो छूआछूत को समाप्त करने वाले लोग हैं वे कानून का सहारा न लें; वे लोगों में जायं, उन्हें कन्विन्स करें कि छूआछूत का चलना कितना खतरनाक है, इस प्रकार की शिक्षा दें। इस प्रकार के कन्सट्रक्टिव एप्रोच से छूआछूत को समाप्त करने की कोशिश करें तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ समय के अन्दर ही छूआछूत समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर कानून के द्वारा और डंडे के बल से छूआछूत को मिटाने की कोशिश करेंगे तो उससे कतई काम नहीं चलने वाला है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहां शिक्षा के सम्बन्ध

(श्री भैरोंसिंह)

में कई वोलेन्टरी एजेन्सीज वर्क कर रही हैं और उनकी तरफ से सरकारी छात्रावास भी चल रहे हैं। मैंने इस कमीशन की रिपोर्ट को देखा और इस रिपोर्ट को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जो वोलेन्टरी एजेन्सीज़ शिक्षा देने का काम कर रही हैं, उनमें अन-ट्रेन्ड टीचर्स वर्क करते हैं । जहां पर १४ टीचर्स हैं उनमें से सिर्फ दो टीचर्स ट्रैन्ड हैं और बाकी १२ टीचर्स अन-ट्रेन्ड हैं। अगर आप इस कमीशन की रिपोर्ट को शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो आपको मालूम होगा कि कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके यहां कोई रूल्स नहीं हैं, वहां वोलेन्ट्री एजेन्सीज़ में कोई नियमबद्ध व्यवस्था छात्रावास में नहीं है। आज आप किसी भी छात्रावास में चले जावें तो आपको मालूम होगा कि....

श्री भीखाभाई (समाज कल्याण मन्त्री): यह कौन से पेज पर लिखा है ?

श्री भैरोंसिंह : पृष्ठ भी मैं आपको बतला दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): पेज नम्बर तो आप बता दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं अभी सब बता दूंगा।

श्री भीखाभाई : पेज ८६ पर देख लीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : फिर आपने पेज ८६ ही बताया है।

श्री भीखाभाई : ये तो सारे हिन्दुस्तान के हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने राजस्थान का जिक्र नहीं किया है। मैं भी जानता हूँ कि यह सारे हिन्दुस्तान की अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट है। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज वोलेन्ट्री एजेन्सीज़ के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि ट्रेन्ड टीचर्स हों ताकि उनके द्वारा विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाए तो ज्यादा हितकर होगी। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये जिससे शिक्षा का विकास हो । लेकिन आज हम देखते हैं कि राजस्थान में बेकारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिये शिक्षित होकर भी वे सब लोग नौकरी जोइन करें और सब लोगों को नौकरियें मिल जाएं, जो शिक्षित होकर निकलें, यह तो संभव नहीं हो सकता।

आपके यहां उद्योगों की क्या व्यवस्था है और आपने किस प्रकार के उद्योगों को यहां बढ़ाया है, यह तो आप ही जानते हैं। लेकिन मैं यह कहूँगा कि आपके यहां उद्योगों की बहुत कमी है। आप कहेंगे कि हमने सहकारी समितियों का निर्माण किया है। इसके लिये मैं कहूँगा कि आज तक आपकी कितनी ऐसी सहकारी समितियें हैं जिन्होंने आपको डिविडेन्ड दिया और उससे उनकी इकोनोमिक कन्डीशन पर क्या इफेक्ट पड़ा ? अगर उनकी फाइनेन्शियल कन्डीशन पर कोई असर पड़ा हो तो मैं मानूंगा कि कोई पोटेन्शियेलिटी इनमें आई है अन्यथा नहीं। मगर मैं यह समझता हूं कि आपने कोई इन्डस्ट्री ऐसी नहीं खोली, न कोई ऐसा काम किया जिससे अनुसूचित जातियों को फायदा पहुंचे। अगर

Page No 68

(श्री भैरोंसिंह)

आपने अनुसूचित जातियों के लिये सबसे बड़ा कोई काम किया है तो आप कह सकते हैं कि हमने गाडोलिया लुहारों को बसाने का काम किया है। आपने उनके लिये चित्तौड़ में रुपया खर्च किया, सोजत में रुपया खर्च किया और अजमेर में खर्च किया। मगर मैं कहूंगा कि जिन गाडोलिया लुहारों के लिये आपने पैसा खर्च किया वह फजूल गया और वे लोग वहां पर नहीं रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके लिये वहां पर कोई इन्डस्ट्री नहीं। आपने लाखों रुपये खर्च करके उनके लिये कोलोनी बनाई और उसके बाद भी कोई भी गाडोलिया लुहार वहां नहीं रहते हैं। आपके केवल हरिजन कोलोनी बनाने से ही उनका उद्धार हो जाए, यह बात नहीं है। जब तक आप उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और रोजगार मिलने की व्यवस्था न करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी लोग जाकर आपकी कोलोनी में बसेंगे नहीं, इसलिये आपको उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिये।

आपकी वोलेन्टरी एजेन्सी पर मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा,वह है विमुक्त जाति सेवा संघ के सम्बन्ध में। यह विमुक्त जाति सेवा संघ कोई उदयपुर में नहीं है, न शाहबाद में है; यह है इसी जयपुर शहर में। सन् १६५२ में जयपुर में विमुक्त जाति सेवा संघ नाम की एक संस्था बनी। इस संस्था में कुछ कार्यकर्त्ता व कुछ पदाधिकारी भी थे। इसमें कुछ कार्यकर्त्ता ऐसे थे जो आजीवन काल के लिये थे और कुछ ऐसे थे जो पदाधिकारी थे। उन्होंने विमुक्त जाति के छात्रों के लिये एक छात्रावास खोलने की कोशिश की और कंजर, सांसियों व कालबेलियों के बच्चों के लिये छात्रावास के लिये चन्दे इकट्ठे किये गये और इंडिया से भी चन्दा लिया गया और इसके लिये सरकार से भी भूमि की मांग की गई और निवेदन किया गया कि छात्रावास के लिये सरकार भूमि एलोट करे। सरकार ने यह समझ कर कि इससे हरिजनों, कोलियों और कंजरों आदि अनुसूचित जातियों का भला होगा, इसलिये छात्रावास के लिये जमीन एलोट कर दी गई। सरकार ने इसके लिये १५० बीघा जमीन एलोट की और यह जमीन कहीं दूर नहीं, यह जमीन यहीं अजमेर रोड पर विमुक्त जाति सेवा संघ के नाम से एलोट कर दी गई। उसमें कहा गया कि ६० बीघा जमीन छात्रावास के लिये और बाकी जमीन आजीवन कार्यकर्ताओं के लिये रहेगी। इस जमीन से वे अपनी आजीवीकोपार्जन करेंगे। यदि उनके आजीवन पेट पालन का कोई जरिया नहीं रखा गया तो वे सेवा नहीं कर सकते। इसलिये ६० बीघा में से ४४ बीघा भूमि उन आजीवन कार्यकर्ताओं को एलोट कर दी गई। ये आजीवन कार्यकर्ता चार थे : (१ श्री कल्यानलाल (२) अल्लाबक्स,(३) श्री नाथूलाल शर्मा और (४) श्री हनुमान शर्मा। इन चारों व्यक्तियों के नाम पर जमीन एलोट की। जिस समय यह जमीन उनको एलोट की गई थी उस समय यह कन्सीड्रेशन था कि सेवा करने के एवज़ में उनको यह जमीनदी जावे और उनकी आर्थिक स्थिति गिरे नहीं, इसलिये उनको यह जमीन एलोट की जावे। इसका मतलब यह कि किसी को खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकते। इस जमीन पर वही व्यक्ति रहेगा जो इस जमीन से प्राप्त होने वाली आमदनी से अपनी जीवीकोपार्जन करेगा और सेवा करने

(श्री भैरोंसिंह)

का वृत लेकर अनुसूचित जाति के लोगों की सेवा करेगा और वह किसी दूसरी जगह नौकरी नहीं करेगा या कहीं से मेहनताना प्राप्त नहीं करेगा । मैं इसके लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आखिर यह जमीन गई कहां ? चीफ मिनिस्टर को भली-भांति मालूम होगा ही कि आखिर यह जमीन गई कहां, उनकी वगैर जानकारी के या उनकी वगैर रजाबन्दी लिये या उनसे पूछे वगैर तो यह जमीन कहीं जा नहीं सकती । उनसे मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह जमीन एक रामेश्वर विद्यार्थी को मिली और वह २२ बीघा जमीन है

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : आपने अभी कहा कि मेरी रजाबन्दी से जमीन दी गई । मैं इस संबन्ध में इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जमीन किनको दी गई, इसके बारे में न तो मुझे जानकारी है न मेरी कोई रजाबन्दी है ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी इसमें रजाबन्दी नहीं है । जब आपकी रजाबन्दी नहीं है तो मैं आशा करता हूं कि आप उन गरीबों की जमीन को वापिस निकलवा देंगे ।

सभापति महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि यदि इस प्रकार से कंजर, सासी और कालबेलियों की जमीन पर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे तो कंजर और कालबेलियों का किस प्रकारसे भला होगा ? रामेश्वर विद्यार्थी ने जमीन पर कब्जा किया और उसको खातेदारी राइट्स इसलिये नहीं दिये कि यह जमीन इन्स्टीट्यूशन के नाम से थी । मगर फिर भी उन्होंने वहां पर एक छोटा सा घर बनवा लिया । १,४००) रु० कर्जा लेकर मकान बना लिया । बाद में उनको नोटिस दिया गया कि आप इस जमीन में पक्का मकान कन्सट्रक्ट नहीं करा सकते क्योंकि आपके प्रोप्राइटरी राइट्स एक्वायर नहीं हो सकते । मेरे पास कागजात हैं, मगर आप मुझ पर यह आरोप लगाते हैं और कहते है कि मैं कागज दफ्तरों से चुरा कर लाता हूं या किसी को धमकी देकर लाता हूं । मगर मैं यह कहूंगा कि मैंने कल ही ६०)रु० खर्च करके सर्टीफाइड कॉपीज़ प्राप्त की है और उससे मैं यह कह सकता हूं कि उस जमीन पर किसी साधारण कंजर का या कालबेलिये का कब्जा नहीं है, उस भूमि पर कब्जा है आपके राजस्थान कांग्रेस के प्रधान श्री हरिदेव जोशी का ।

राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी लेते हैं और दूसरे भी जमीन लेते हैं, ले सकते हैं; लेकिन जमीन खरीद कर कब्जा करें तो कोई एतराज नहीं हो सकता । अगर किसी साधारण कंजर या कालबेलिये का कब्जा हो जाता तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन लोग कालबेलियों व सांसी-कंजरों की जमीन खा जाएं, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चहूंगा कि यह नैतिक, सामाजिक न्याय का तकाजा है कि आप अपने मित्र जोशीजी से कह दीजिये कि इस पर आपका कब्जा नहीं रह सकता, इस जमीन पर सांसियों का अधिकार होगा । आप उनसे कह दीजिये कि वे उस जमीन को, मकान को और कुए को उन्हें वापिस दे दें । इन चीजों पर आपका अधिकार नहीं होगा और अधिकार होगा साधारण सांसी, कंजर और कालबेलियों का ।

Page No 70

(श्री भैरोंसिंह)

मैं उस समय समझूंगा कि क्या करने की प्रवृत्ति लोगों में है। और यदि आपकी यह इच्छा हो, मैंने आपका भाषण सुना, आपने कहा कि जिस समय जेलों से निकलते थे गांधीजी हमें कहा करते थे, जाकर अनुसूचित जन जातियों की सेवा करो, और हम जाकर उन लोगों की सेवा करते थे; तो हमारी तो सेवा की आदत पड़ी हुई है। पर गांधीजी का यह आशय कभी नहीं होगा कि सांसियों को सेवा करो तो २० बीघा जमीन लेकर जाओ, भूखे मत जाओ, गांधीजी ने आपको यह नहीं सिखाया होगा। ऐसी संस्था पर आप अपना प्रोप्राइटरी राइट कर रहे है। सामाजिक दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से–इन तीनों दृष्टियों से आप उनसे कहलवा दें, जो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं, आर उन पर गर्व करते हैं हालांकि मेरा उनका तो झगड़ा है, जिनकी आप पूजा करते हैं, वे माणिक्यलालजी वर्मा खड़े होकर कह दें कि श्री हरिदेव जोशी ने जिस जमीन पर कब्जा किया है वह वाजिब है, तो मैं इस सदन में खड़ा होकर माफी मांगूंगा। पर इस जमीन का बंटवारा किस तरह होता है? छात्रावास होगा, क्या कभी आपने वहां छात्रावास देखा? लड़के पढ़ते हुए कभी आपने देखे हैं? छात्रावास का सामान नहीं, कमेटी के मेम्बरान की सलाह नहीं, जमीन का उपयोग कर रहे हैं। १५० बीघा जमीन का उपयोग किया जाय, लोग आज एक एक बीघा जमीन के लिये तरस रहे हैं, आज ही प्रश्न उठा था कि जयपुर शहर में रहने के लिये जमीन नहीं मिलती, लोग गंदी गलियों में सड़ रहे हैं, जयपुर शहर में जमीन नहीं, उन लोगों के लिये कोई जमीन की व्यवस्था नहीं और दूसरी तरफ यह हाल है आपकी पार्टी के अध्यक्ष श्री संजीवैया ने कहा कि सन् ४७ के पॉपर्स (paupers) आज महलों में ऐश कर रहे हैं। उनका नक्शा आज मुझे आपकी बैंचेज़ में मिलता है।

मुझे तो उस समय बड़ा अफसोस हुआ। मैं मानता हूं, लोन लेने का अधिकार सबको है, उस जमीन में खातेदारी राइट्स अभी एक हुए हैं, यह टोलेरेट किया जा सकता है। पंचायत से, म्युनिसिपैलिटी से पर्मिशन नहीं ली, इस तरह की छोटी-मोटी चीजों को इग्नोर करके चला जा सकता है, पर इस बड़ी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता।

भोपालसागर से आने वाले माननीय सदस्य ने वील बैरोज का जिक्र किया और बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा कि जिन म्युनिसिपैलिटीज़ को पैसा दिया, सारा पैसा वील बैरोज के काम में खर्चा नहीं करके और कामों में खर्च कर दिया। उनकी दर्दभरी आवाज सुनी, पर मैं माननीय सदस्य से कहूँ कि राजस्थान में जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी तो जयपुर में थी, बाकी स्थानों पर किसकी म्युनिसिपैलिटीज़ थीं, जिन्होंने वील बैरोज़ नहीं खरीदे! जयपुर में भी जोशीजी कह गये, मेरा खयाल है वे इंग्लैंड गये थे तो गोयबल्स की भूमि में से निकले होंगे, इसलिये उन्होंने सोचा कि प्रचार करने के लिये गलत बात कह दो।

३१ अप्रेल, सन् १९६२ को आपने जयपुर की म्युनिसिपैलिटी को पैसा दिया और ऑर्डर दिया कि ३० अप्रेल तक खर्च कर दो; पैसा दिया ३१ अप्रेल को और ऑर्डर

(श्री भैरोंसिंह)

दिया कि ३० अप्रेल को ही खर्च कर दो। दिया बाद में और पहले ही खर्च करने को कहा। खर्च करने की जो तारीख थी उसमे बाद में पैसा दिया तो चैयरमैन ने आदेश दिया कि यह पैसा बैंक में जमा करा दो। पैसा आने वाला था, इसलिये मिस्टर बैजल ने टेन्डर इन्वाइट कर लिये, फोर्जरी की। जब चैअरमैन के नोटिस में आया तो कांग्रेस के सदस्य श्री शान्तिस्वरूप की अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को जांच करके रिपोर्ट करने को कहा। जांच तक वह रुपया बैंक में रहा। ३१ मार्च को रुपया आया, ७ तारीख को नो-कॉन्फिडेन्स का मोशन आया और २७ को चैअरमैन को हटा दिया, उस दिन रुपया बैंक में जमा था। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि आप गलत बात कहने पर गुस्सा करते हैं तो आपके पीछे बैठे मुख्य सचेतक ऐसी गलत बात कह दें और आप कुछ नहीं कहें। कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड किया और सुपरसेशन में चार्ज यह है :

"The amount advanced for the purchase of wheel barrows was diverted towards payment of salaries to the staff and has not been used for the purpose it was sanctioned"

यह पैसा जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी ने खर्च नही किया, कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी ने खर्च किया है। इसका जवाब मैं नहीं देता, आपकी कांग्रेस पार्टी का सुपरसेशन किया जाने वाला था, उसके जवाब में यह उल्लेख है, मैंने कहा हो, इस प्रकार की बात नहीं है।........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (साँचोर) : इस मामले का इस रिपोर्ट से क्या सम्बन्ध है, चेअरमैन महोदय ?

श्री सभापति : इन्सिडेन्टली सम्बन्ध है।

श्री भैरोंसिंह : श्री जोशीजी ने कहा कि हरिजन कर्मचारियों की जगह नोन हरिजन कर्मचारियों को भर्ती कर लिया। मैंने चेअरमैन को बुला कर कहा कि यह क्या बात है, इससे जनसंघ की बदनामी होती है; तो चैअरमैन ने कहा कि मुख्य मंत्री स्वयं जांच कर लें, यह बिल्कुल झूठ है। भंवरलाल शर्मा पर सिवाय उन सदस्यों के जिनको जनसंघ से एक्सपेल किया गया करप्शन के चार्ज पर, जिन्होंने जनसंघ के खिलाफ नो कॉन्फिडेन्स पास करवाया, उसको छोड़ कर किसी पर एक नये पैसे का भी चार्ज लगा दें तो मैं भंवरलाल शर्मा को मुख्य मंत्री की सेवा में तावे उम्र गुलाम बना कर छोडूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : गुलामी प्रथा समाप्त हो गई........

श्री भैरोंसिंह : यह कहने की हिम्मत चाहिये। आप जोशीजी को मेरे सुपुर्द कर देखें; इतने समय से मैं कह रहा हूं। इस तरह की गलत बातें कही गईं और मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। यह तो अच्छा हुआ, इस रिपोर्ट के निर्माताओं और पेश करने वालों का आभारी हूं कि इनके माध्यम् से मुझे यहां यह कहने का

(श्री भैरोंसिंह)

मौका मिला। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मुख्य मंत्रीजी, जो जवाब दिया है चार्जेज का, उन्हें पढ़लें और देख लें कि जो श्री हरिदेव जोशी ने आरोप लगाये थे वे कहां तक सही हैं ?

कोटा का मैं जिक्र नहीं करता, उनके कहने को मानता भी नहीं, क्योंकि मल्कानी ने कोटा की नगरपालिका को राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नगरपालिका बताया है। उसका तो बहुत बड़ा प्रमाण हमारे पास है, जिसकी चिन्ता करने की आवश्यता नहीं कि हरिदेवजी कुछ भी कहें।

अब एक बहुत बड़ा प्रश्न यह रहता है कि आखिर इतना पैसा खर्च किया उसके बाद में भी यह सारी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई ? इसका दोष किस पर है ? मैं वॉलंटेरी एजेंसी पर पूरा दोष नहीं देता, इसका दोष सरकार पर है; इसलिये है कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा ठीक नहीं है, एक साल में डाइरेक्टर का ट्रान्स्फर करते हैं, जल्दी-जल्दी असिस्टेन्ट डायरेक्टर का ट्रान्स्फर हो जाय। पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सारा काम मिशनरी स्पिरिट से होना चाहिये। मैं किसी की शिकायत नहीं करता कि कौनसे अधिकारी की मिशनरी स्पिरिट है ? कौनसे अधिकारी समाज कल्याण विभाग को अपने कन्ट्रोल में लेकर समाज की सेवा कर सकते हैं, इन वॉलंटरी सर्विसेज, एजेंसीज़ के जरिये काम करा सकते हैं ? आप रिपोर्ट्स देखें, जितनी कोलोनीज़ बसाई है. इन्स्पेक्शन रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स उनके खिलाफ बोलती हैं। वह बहुत बड़ा मसला है, भाषणों से सुधार नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जो ऑडिट पार्टीज़ स्थान-स्थान पर भेजी हैं वे इन सब चीजों को निकाल कर सामने रखेंगी।

लोगों को स्कोलरशिप दी जाय, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि स्कोलरशिप की माध्यम आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। आज मैं२५०)रु. की तनख्वाह पाता हूँ और १५ रुपये रोज का अलाउंस लेता हूँ और उधर एक हरिजन को ४० रु० तनख्वाह पाते देखता हूँ। मेरे दो-तीन बच्चे हो सकते हैं, उसके ८ बच्चे हो सकते हैं। जितना आदमी गरीब होगा उसके बच्चे ज्यादा होंगे और जितना आदमी मालदार होगा बच्चे कम होंगे। मैं हरिजनों का मुकाबला नहीं कर सकता और हरिजन मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आज मैं राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूँगा, आपने जितनी स्कोलरशिप्स दी हैं, क्या आपने इकोनोमिक बेसिस पर दी हैं ? क्या आपने रूल्स का पालन करके दी हैं ? क्या उन गरीब छात्रों को दी हैं जो इसके अधिकारी हैं; जैसे भोपालसागर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को सहायता दी जाय, लेकिन उनको नहीं दी जाती। इसलिए कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है पेज ३१६ पर :

"The lack of educational facilities for the children of Bhang is is conspicuous. It will be universally agreed that there cannot be a more deserving case for the award of a scholarship than that of a Mehtar girl and therefore, it was highly re

(श्री भैरोंसिंह)

retable that even the Mehtar girls who had applied for the award of these scholarships were not granted the same in Rajasthan".

मंत्री महोदय को जोश आएगा इस बात पर। आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा होगा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। अगर आज भी आपके हाथों में दम है, आप किसी प्रकार का कानून लाइये, हम सब लोग आपके साथ हैं। जिन लोगों को स्कोलरशिप मिली हैं, उनकी लिस्ट बना कर इकोनोमिक बेसिस पर उनकी स्क्रूटिनी कराइये। जिनकी इकोनोमिक कन्डीशन अच्छी है, उनके बच्चों को किसी प्रकार की स्कोलरशिप देने की आवश्यकता नहीं। आज ऐसे व्यक्तियों के बच्चे भी पढ़ते हैं जिनको ५ रु०, १० रु०, २० रु० नहीं मिलते। उनके बच्चों को किताबें नहीं मिलतीं, स्कोलरशिप नहीं मिलती। गांधीजी कहते थे कि किसी दिन हरिजन का लड़का भारत का राष्ट्रपति बनेगा और यहां मेहतर की लड़की को स्कोलरशिप नहीं मिलती !

मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल जवाब दें; जिस तरह से नो कॉन्फीडेन्स मोशन का जवाब देकर संतोष कर दिया पर, इसलिए कहता हूँ कि आप अपने विभाग में जितना सख्त कन्ट्रोल कर सकें, करिए। आज इकोनोमिक कन्डीशन के आधार पर सुविधाएं देने की व्यवस्था करें। इन्कमटैक्स देने वालों के लड़कों को ट्यूशन फीस देनी हैं और उधर से स्कोलरशिप मिल जाती है; इन दोनों का तालमेल कैसे बैठता है ? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री महोदय उस लिस्ट को देख लें कि कहीं ऐसे व्यक्ति भी उसमें हैं क्या ? यदि आप क्वेश्चन करेंगे कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं है तो नाम भी बताऊंगा, लेकिन इस समय इतना ही कहना चाहूँगा शिक्षा मंत्री से कि आपकी एप्लीकेशन्स का डिस्पोज़ल लेट, स्कालरशिप लेट।

जरा इस रिपोर्ट को पढ़कर तो देखें। आपके छात्रों का सन् १९५९ और १९६० का जो कम्पैरेटिव स्टेटमेंट है इसमें दिया गया है कि १९६०-६१ में छात्रों की कमी हुई। उसमें रीज़न्स दिए गए हैं। बताया गया है कि स्कोलरशिप देने के अन्दर नियमों के विपरीत कार्यवाही होती है, एप्लीकेशन्स की स्क्रूटनी समय पर नहीं होती, उनको स्कोलरशिप समय पर नहीं मिलती। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती, अच्छी तरह से व्यवहार नहीं होता। इस प्रकार की कई कमियां इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। आप यदि इन लोगों का सुधार करना चाहते हैं तो आप तय करिए। जहां १०० रु० या २०० रु० की स्कोलरशिप देना जुलाई में तय किया तो वह अगस्त में देना शुरू हो जाना चाहिए था। यह नहीं होता है, फरवरी के महीने में रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से देते हैं। यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हरिजन और आदिवासी छात्र नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरा और आप जैसा व्यक्ति २५० रुपये पाकर भी बर्दाश्त नहीं करता, तो उस गरीब छात्र को, जो बड़ी मुश्कल से अपनी पढ़ाई कर रहा है, यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आप इस सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था करें।

बीमारियां फैल रही हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में खासतौर से स्किन डिज़ीज़ेज़

Page No 74

(श्री भैरोंसिंह)

हैं । वहां पर लोगों को स्टोन्स निकलते हैं । यह बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, नारवे ज्यादा निकलती है । हमारे मुख्यमन्त्री महोदय ज्यादा एक्सपीरियन्स्ड हैं । अगर किसी गरीब के नारवे निकल जाय तो किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से ज्यादा खेती करेगा ? इन बीमारियों को खत्म करने के लिये कुछ नहीं किया जाता । आप डूंगरपुर में व्यवस्था करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उदयपुर में करें, बांसवाड़ा में करें । जिस जगह पर जरूरत है वहां करिए । लेकिन जिस जगह पर बीमारी हैं उन लोगों को सहायता समय पर मिलें । इस प्रकार की व्यवस्था ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस रिपोर्ट के अन्दर एक जगह इस बात का भी उल्लेख आया कि राजस्थान के अन्दर हमारी सरकार कहती है कि अन्टचैबिलेटी हमने समाप्त कर दी है और कमिश्नर कहता है कि समाप्त नहीं हुई है । उन्होंने एक उदाहरण दिया है । मन्त्री महोदय पेज २४ निकाल लें :

"The findings of that investigation were incorporated in the 1958-59 Report. Subsequent studies undertaken by my organisation in the States of Kajasthan, Gujarat and Orissa have confirmed the persistence of the practice of untouchability in one form or the other but on a wide scale in the rural areas."

इसी तरह से पेज २६ निकालिए । उसके ऊपर आपकी तारीफ की गई है :

"The Governmet of Rajasthan have reported that cases of untouchability are not very common and that there is only infrequent observance of untouchability at public places. This is not at all correct as accordnig to our information Rajasthan is one of those few erestwhile feudal areas where untouchability and other social disabilities are practised in the worst, even violent form. Perhaps the extent of harassment of Scheduled Caste persons by caste Hindus and others in the Shekhawati region of that State is the highest in the country."

मैं भी शेखावाटी का हूं, लेकिन जो सही स्थिति है उस स्थिति का किस प्रकार से चित्रण किया गया है उसको देखना आवश्यक है और उसमें यह लिखा गया है कि हरिजनों का जो सेवक संघ है, हरिजनों का जो एडवाइज़री बोर्ड है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है । वैसे तो झूठ बोलने में तो हमारी सरकार बहुत एक्सपर्ट है । आज एक बात कह दी, कल जहां मौका आया, पिंड छुड़ा लिया, असली बात की जांच नहीं करते । एक बात इस तरह की अन्टचैबिलेटी के बारे में हमारे अधिकारियों की इस पैरा में है; पेज ४३ :

"During the visit of the Assistant Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Jaipur to the Government (Scheduled Castes) Hostel run for Kanjar boys by the Social Welfare Department at Bundi in Rajasthan, the boys complained that caste Hindus did not allow them to draw water from a well adjining the hostel. The matter was referred

(श्री भैरोंसिंह)

to the Collector who informed that the case had been earlier brought to his notice and that the police had reported that the Kanjar boys were taking both without any hinderance."

वे कहते हैं कि हमको पानी नहीं मिलता, कलेक्टर कहता है कि स्नान करने की छूट मिली हुई है :

"It appears that your local representative in order to come into prominence makes falese allegation"

यह चार्ज लगाया है और वह कमीशन फिर लिखता है :

'The Assistant Commissioner again wrote to the Collector that the former had himself visited the hostel where the boys had made the complaint. Thereupon the Collector personally looked into the matter. The complaint was found to be true and the Collector got the boys free access to the well"

अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका कलेक्टर इस बात का दर्द महसूस नहीं करता है । शिकायत करते हैं तो नेता होने के लिए कह देते हैं । कहते हैं कि पॉपुलेरिटी शो करने के लिए बात करते हैं । आज-कल यह भी एक बीमारी है । कोई बात कहने जाओ तो कहा जाता है कि यह तो नेतागिरी की बात है, असलियत छिपाने की बात है । जैसे भोपालसागर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमको अनटचेबलिटी को दूर करने के लिए सख्ती से काम लेना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि जिस कलेक्टर ने गलत शिकायत की, लोगों के पास जाकर जिसने जांच नहीं की, गलत बात जिसने कमीशन के सामने रखी उस कलेक्टर के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ? आज आप यदि कलेक्टर के खिलाफ जो इस प्रकार की गलत बातें पेश करें, सख्त कार्यवाही करते हैं तो अपने आप दूसरों को भी मालूम हो जायगा कि इस प्रकार की गलत सूचना देना और गलत बात कहने का क्या परिणाम होता है ।

अन्त में सभापति महोदय, मैं रिज़र्वेशन के बारे में कहना चाहूंगा । मैं कहूंगा कि यह गलत है । जो आंकड़े दिये जाने चाहिये थे वे नहीं दिये गये, पीने के पानी का प्रबन्ध आज तक सरकार नहीं कर पायी । नारवे की बीमारी कुओं का पानी पीने से नहीं होती है, किन्तु यह बीमारी तालाब का पानी पीने से होती है । छोटे २ तालाब जिनमें वर्षा का पानी आकर इकट्ठा हो जाता है, उन तालाबों के अन्दर छोटे २ कीटाणु होते हैं और उन तालाबों का जब लोगों को मजबूरन पानी पीना पड़ता है तो ये जर्म पैदा होकर नारवे की बीमारी में फैल जाते हैं । यदि गावों के अन्दर कुओं के पानी की व्यवस्था हो जाय तो इस नारवे की बीमारी से लोगों को काफी मुक्ति मिल जायगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि गांवों में पीने के पानी के लिये कुओं की व्यवस्था नहीं है । सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर पायी ।

अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा

(श्री भैरोंसिंह)

कि जितना रुपया स्लम क्लियरेन्स के बारे में दिया गया है उसको आप खर्च नही कर पाये हैं। इसका उल्लेख कई बार सदन में आया है, समाचार-पत्रों में भी इसका उल्लेख आया है उसको क्यों दोष दिया जाय ? इसके लिए सरकार दोषी हैं, उसको किसी तरह डिफेन्ड नहीं किया जा सकता। मैं उदयपुर गया। वहां पर स्लम क्लियरेन्स के नाम पर लगभग १३० क्वार्टर्स बनाये गये। बनाये किनके लिए गये थे ? जो वास्तव में स्लम्स में रहते हैं उनके लिए ये क्वार्टर्स बनाये गये थे, जो वास्तव में दुखी हैं आबहवा की दृष्टि से, जो दुखी हैं परिवार की दृष्टि से, जो दुखी हैं इस प्रकार के स्लम्स में रहने वाले लोगों को उन १३० मकानों में बसाने की व्यवस्था थी। लेकिन आज उनमें कौन बस रहे हैं ? कौन बस रहे हैं उनमें आज ? किनको वे अलॉट किये जा रहे हैं ? वे अलॉट किये जा रहे हैं जो वोहरे हैं उनको, जो स्लम एरिया में नहीं रहते हैं। हो सकता है कि वे आपके वोटर्स हों। वे आपकी कोन्स्टिट्युएन्सी के वोटर्स हों, यह समझ में आ सकता है। स्लम क्लीयरेंन्स के नाम पर बने हुए क्वार्टर्स वे उनको प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उनको उदयपुर में मिल सकते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं उन लोगों का कोई विरोध नहीं करता। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कम से कम जो स्लम में रहने वाले लोग हैं जो वास्तव में उन क्वार्टर्स के हकदार हैं, जिनके लिए ये बनाये गये हैं, आप कम से कम उनको तो एलॉट करिये। उनसे किराया वसूल करिये, जिस तरह से आप देना चाहते हैं नियमों के अनुसार उनको दीजिये। सभापति महोदय, इस संबंध में दो कमेटियां बनायी गईं। एक कमेटी तो बनी हरिभाऊजी उपाध्याय, हमारे दा साहब की अध्यक्षता में जब वे समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे। नवम्बर १९५७ में वे जयपुर शहर में आये। हमारे दा साहब गांधीवादी हैं, गांधीजी के भक्त हैं, वे हरिजनों के बड़े हमदर्दी अपने आपको बताते हैं, उन्होंने हरिजन बस्तियों का चक्कर लगाया। जब हरिजनों की जयपुर शहर में दशा को देखा तो वे बड़े दुखी हुए और उनकी हालत को देखने के बाद कहने लगे कि हरिजनों की हालत बहुत खराब है, जयपुर राजस्थान की राजधानी में स्वीपर्स की यह हालत है, वह देख कर दंग रह गये। जब उन्होंने यह कहा तो यह सोचा उन लोगों ने कि गांधीजी का स्वप्न पूरा हुआ। दा साहब ने इसको देखा है, कहने लगे गांधीजी का स्वप्न पूरा होगा। दो वर्ष बाद १९५९ में वे जब मंत्री चुन कर आये, वे वादा करने वाले मंत्री आज तक उस गांधीजी के स्वप्न को पूरा नही कर सके। पता चला कि उन्होंने इस संबंध में कुछ डिसिज़न्स लिये थे लेकिन सरकार ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सरकार ने

(३.५५ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

दौलतरामजी की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बनायी। जिन उप-मंत्री की अध्यक्षता में ६१ में रिपोर्ट पेश हो जानी चाहिये वह अभी तक नहीं हुई और अब होगी कब ? क्या ६५ में जाकर होगी ? रिपोर्ट पेश हुई या नहीं हुई, इसकी कोई परवाह नहीं। कितनी बैठकें हुईं आज तक उस कमेटी की ? स्वायत शासन

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग के उप-मंत्री आप हैं। आखिर आपने किया क्या रिपोर्ट का? कुछ नहीं। आखिर आप हरिजनों और महतरों का क्या भला करना चाहते हैं? राजस्थान में. जो आंकड़े दिये है इस रिपोर्ट में, २७०८ व्यक्ति ऐसे हैं, जो स्वीपर्स हैं, कई हैं लेकिन गिनती नहीं है, जिनको बड़ी आवश्यकता है। जयपुर में चले जाइये, जोधपुर में चले जाइये, उदयपुर में चले जाइये, बीकानेर में चले जाइये, पंचायत समितियों में चले जाइये; आपको मालूम हो जायगा कि किनको लोन दिया गया है लो इनकम हाउसिंग के नाम पर, मीडियम हाउसिंग के नाम पर लोन दिया जाता है। कई ऐसे बैठे हैं जो लोन लेकर मकान बनाना चाहते हैं लेकिन उनकी पहुँच नहीं, उनका कोई एप्रोच नहीं। एप्रोच क्यों नहीं? एप्रोच इसलिए नहीं कि समाज कल्याण विभाग में काम करने वाला जो लोकल एलीमेंट है वह वहां पर प्रभाव जमा कर बैठा हुआ है। उसकी कहां पहुंच? कोई मेहतर कलेक्टरी में घुस नहीं सकता, दरख्वास्त नहीं कर सकता कि उसको रुपया दिया जाय। न हरिजन जा सकता है, न चमार जा सकता है। उन बेचारों को मकान बनाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। उनके नाम पर पैसा आता है मकान बनाने के लिए, उसको सरकार खर्च नहीं करेगी। वह कर्जा लेने की कोशिश करे तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं। इसका मतलब यह है कि पन्द्रह वर्ष तक, काफी कुछ राज्य सरकार कर सकती थी। पहली योजना में और दूसरी योजना में कई तरह के आंकड़े तैयार किये गये इस नाम पर कि हम हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं, हम हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह रिपोर्ट बताती है। फिगर्स लिखने वालों ने उनको कम्पाइल करके आपके सामने सारे भारत के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया है कि वास्तव में क्या स्थिति है और कहते क्या है; मैं उनको धन्यवाद देता हूं और राज्य सरकार से अपील करता हूं इन हरिजनों के उद्धार के नाम पर, उनके कल्याण के नाम पर इस रिपोर्ट में जितनी सिफारिशें की गई हैं उनको एक्चुअली, एक्टिवली और एग्रेसिवली लागू करके राजस्थान के लोगों को रिलीफ देने का वास्तविक प्रयत्न करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (बैर) : सभापति महोदय, ६ वीं और १० वीं रिपोर्ट्स पर यहां सदन में बहस हो रही है। अनुसूचित जाति के जो कमिश्नर हैं उन्होंने जो कुछ कहा है इसको अगर नजर में रखें तो पता लग जायगा कि राज्य सरकार की प्रवृत्ति क्या है। आम तौर पर इस रिपोर्ट के हर पेज को, हर अध्याय को पढ़ें तो एक ही बात मिलती है। राज्य सरकार ने यह कहा कि चीज़ हो जायगी, लेकिन वह हुई नहीं। इस रिपोर्ट में तथ्य दिये गये हैं, आंकड़े दिये गये हैं और जो लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये जाने चाहिये थे वे लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके हैं। सभापति महोदय, सरकार की प्रवृत्ति तो इसी से मालूम हो जाती है कि सदन में दोनों रिपोर्टों पर एक साथ बहस हो रही है जब कि होना चाहिये यह था कि लोक सभा

(श्री रामकिशन)

में और विधान सभाओं में हर साल हर रिपोर्ट पर बहस हो। कितनी प्रगति हुई, हालत में कितनी प्रगति हुई है, कौन कौन से सुझाव आये हैं इन रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि राज्य सरकार इन पर ध्यान नहीं देती। सरकार केवल और औपचारिक कार्यों में ही संलग्न रहती है। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि समस्या का केवल दो रिपोर्टों से ही सम्बन्ध नहीं है। इन पर बहस का होना भी उतना महत्व का नहीं है जितनी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति (हिंदू संस्कृति) पर पांच हज़ार वर्ष का जो कलंक हैं, जो लांछन है वह कितना मिट पाया है। कितने मकान बने, कितने कुए खुदे, कितने होस्टल बने, ये उतने महत्व के सवाल नहीं हैं जितना कि इस प्रश्न के पीछे जो मूल भावना है कि हमारे समाज का जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अंग है उसको भारतीय संस्कृति ने किस प्रकार से रख रखा है। जब तक हम इस प्रश्न पर इस तरह से नहीं सोचेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप कुओं की संख्या गिना सकते हैं, होस्टल की संख्या गिना सकते हैं, मकान कितने बनाये इसकी भी संख्या गिना सकते हैं लेकिन जो मूल प्रश्न है वह इन गिनतियों से हल नहीं होगा।

मैं राजस्थान की बात करता हूं। ६० लाख के करीब राजस्थान में आदिवासी और हरिजन हैं, जो हमारी आबादी का एक तिहाई हिस्सा है। जितने हम यहां सब लोग रहते हैं उनका एक तिहाई हिस्सा है वह मैं आंकड़े और तथ्यों से इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करूंगा कि ये लोग किस प्रकार से जिन्दगी बिता रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि आदिवासी महुए खा कर जीवन बिता रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी को मालूम होगा कि लोक सभा के अन्दर डॉ० लोहिया ने यह बताया था कि एक आदमी की औसत आय तीन आना रोज है तो योजना मन्त्री श्री नन्दाजी ने बताया कि नहीं सात आना रोज व्यय है। यदि मान लिया जाय कि सात आना रोज व्यय भी सही हो तो जिन गरीब लोगों की सारे देश में जिनकी ७ करोड़ की आबादी है और राजस्थान में जिनकी संख्या ६० लाख है वे किस प्रकार से गुजर कर रहे हैं। योजना मंत्री के आंकड़ों को यदि सही भी मान लिया जाय तो आज सात आने रोज पर गुजर करने वाली इतनी बड़ी आबादी है।

राज्य सरकार समय समय पर लम्बी घोषणायें करती रहती हैं कि उसने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के लिये, हरिजनों के लिए, चमारों के लिए, कंजर और सासियों के लिए यह किया है, वह किया है और बड़ी बड़ी योजनायें भी प्रकाशित करती रहती हैं, कभी कभी बड़े बड़े रंगीन पोस्टर भी छापती रहती है। अक्सर बड़े बड़े पोस्टर और बुलेटिन छपते रहते हैं। इन तीनों योजनाओं की रकम को हम देखें तो इन सारे सालों में हमारे प्रदेश में राजस्थान भर में जहां कि आदिम जातियें और जन जातियों की संख्या ६० लाख है उन पर कुल ३१ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि १२ साल में हम ६ रुपया एक आदमी पर खर्च कर पाये हैं यानी

(श्री रामकिशन)

एक आदमी पर ८ आना साल के। इस बारे में मैं अपने यहां के किसी आदमी की भारतीय की राय नहीं रखता क्योंकि आप उसको प्रमाणित भी नहीं मानते; मैं एक विदेशी की, एक अमेरिकन की जो हमारे यहां इन योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं उनकी ही राय आपके सामने रखना चाहूंगा। उनका कहना यह है कि योजना का ६० परसेन्ट धन ही केवल योजना पर खर्च हो पाता है, शेष ४० परसेन्ट पैसा तो भ्रष्टाचार में ही चला जाता है। इसमें हिन्दुस्तानी के राय को मानने का सवाल नहीं है। यह एक विदेशी का मत है। इससे यह पता चलता है कि ६ रुपया भी वास्तव में खर्च नहीं हुआ। अब आप छः रुपये में कितना नतीजा निकालना चाहते हैं वह निकालिये कुछ भी निकाल नहीं सकते। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान सरकार ने छः रुपया साल का प्रति व्यक्ति पर खर्च किया है यह राशि बहुत कम है। दूसरी बातों को आप जाने दीजिये प्रदेश की जो आर्थिक हालत है उसको देखने से पता चलता है जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट में आया है इस संदर्भ में हिन्दी अनुवाद बता देता हूं। हमें पिछली साल की योजना के लिये जैसा कि इसमें बताया गया है २ करोड़, २७ लाख रुपया मिला जिसमें से केवल खर्च कर पाये १.६७ लाख। अब यह प्रश्न सामने आता है कि हमारे पास रुपये की कमी है, कई योजनायें धन के अभाव के कारण स्थगित कर दी गई हों यह बात भी नहीं हो सकती क्योंकि हमें पैसा अधिक मिला, लेकिन हम उससे बहुत कम खर्च कर पाये। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार इनकी समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखती। राज्य सरकार को चुनावों के दिनों में वोट प्राप्त करने होते हैं इसलिये उस मौके पर कुछ खर्च कर देते हैं। आज हालत यह है कि जो रुपया हमें इनकी भलाई के कामों के लिये मिलता है उसको भी हम खर्च नहीं कर पाते हैं।

सभापति महोदय, इस रिपोर्ट में दूसरी जगह बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने १७ लाख रुपये केन्द्रीय योजनाओं के लिये जो हमें चालू करनी थीं, उसके लिये दिये; उनमें से केवल हम सात लाख रुपया ही खर्च कर पाये हैं। जहां हमें धन मिलता है उसको भी हम खर्च नहीं कर पाते इससे सरकार की प्रवृति का पता चलता है। कल्याणकारी कामों के लिये जब कहा जाता है तो कई दफा मुख्य मंत्री जी जवाब देते है कि पैसे की कमी है दूसरी तरफ हालत यह है कि पैसा होते भी कुछ करना नहीं चाहते। वैसे इस पैसे से ही इस जाति का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जो धनराशि राज्य सरकार ने इस काम के लिये दी है वह बहुत थोड़ी है। लेकिन यह तो उसे भी खर्च नहीं कर पाते। इस तरह से सारे के सारे पैसे लेप्स हो गये और कुछ काम नहीं हुआ। इससे एक बात का पता लगता है कि चाहे हम इस रिपोर्ट पर कितनी ही बहस करें इससे हमारी प्रवृत्ति का जो आभास मिलता है वह इस प्रकार से मिलता है कि छोटे वर्गों के लिये, छोटी जातियों के लिये कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर पाये हैं।

मुख्य मंत्री महोदय ने अभी थोड़े दिन पहले अपने एक जवाब में कुछ आंकड़ें दिये थे कि हमारी आमदनी इतनी बढ़ गई है।

Page No 80

(श्री रामकिशन)

लेकिन अगर उसको दो दृष्टि से देखें तो पता लगता है कि राजस्थान की कुछ पंचायत समितियें और कुछ जिले ऐसे हैं जहां अनुसूचित जातियां व जन जातियां रहती हैं जिनकी संख्या ज्यादा है; जैसे बांसवाड़ा-डूंगरपुर जहां शिडयूल्ड ट्राइब्ज़ की संख्या ज्यादा है। सभापति महोदय, अगर हम वहां की हालत को देखें और वहां की आमदनी को देखें तो पता चलेगा कि जहां राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय ३२५ रुपया बतायी गई है वहां इन जिलों में भी सवा तीन सौ तक ही पहुंच गई हो, यह बात नहीं है। इनमें से एक भी जिला ऐसा नहीं जहां पर इनकी आमदनी का लक्ष्य हमारे यहां की आमदनी तक पहुंच गया हो। कोटा में इनकी संख्या ज्यादा है, जयपुर में ज्यादा है, झुंझुनू में ज्यादा है, भरतपुर अलवर सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या ज्यादा है। कोटा में इनकी आमदनी २८६ जयपुर में २७५, भरतपुर में २११, अलवर में २३६ और सवाई माधोपुर में २५५ है। जहां ये वर्ग बसे हुए हैं वहां इनकी हालत में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो यह इस आमदनी से जाहिर नहीं होता है। वैसे आप रिपोर्ट में चाहे कुछ भी लिख दे और शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर कुछ भी लिख दे, कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। हमने राज्य की पर-कैपीटा इन्कम जो बतायी है वह इस जिले के रहने वालों की भी हो गई हो, यह बात नहीं है, यह जो मैंने आमदनी बतायी है यह इन्हीं जातियों की नहीं, इसमें बड़े बड़े सेठों की आमदनी भी शामिल है। इन बारह सालों में इन जिलों में रहने वाले आदिवासियों और आदिम जातियों की आर्थिक हालतों में परिवर्तन हो गया हो, यह मैं मानने के लिये कतई तैयार नहीं हूं। इनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन, इनकी सामाजिक हालत में परिवर्तन नहीं हुआ जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कमीशन को यह सूचना दी कि हमारे राज्य में छुआछूत का प्रश्न नहीं है। उसी में आगे जाकर कहते हैं उस समय जब समाज कल्याण विभाग के मंत्री हरिभाऊजी उपाध्याय थे उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि यहां सब से बुरे रूप में छुआछूत विद्यमान है, ऐसा प्रस्ताव पास किया। इस तरह से, सभापति महोदय, दूसरी बात यह भी है कि इस विभाग का स्टाफ लायक है या नालायक है, योग्य है या अयोग्य है, यह मैं नहीं कहता लेकिन समाज कल्याण विभाग में जिन कर्मचारियों को लगाया है उसके बारे में रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अधिकारी जो लगाये गये है कैसे हैं, वह रिपोर्ट में अंग्रेजी में लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं उसका हिन्दी अनुवाद बता रहा हूं। उनकी योग्यता या नहीं हैं। अनुभवी है या नहीं हैं विभाग की जो रुचि है उसके अनुसार कर्मचारी नहीं लगाये गये हैं; बल्कि सप्लाई विभाग से जो रिट्रेन्चड कर्मचारी थे उनको वहां पर लगा दिया गया है। न उनमें भावना है, न लगन है, न मन है, न कर्म करने की क्षमता। उनमें रूचि भी नहीं है, महज उनको कहीं न कहीं लगाना था इसलिये इस विभाग में लगा दिया गया है।

यह महकमा किस तरह का है इसके

(श्री रामकिशन)

कार्य-कलाप किस तरह के हैं, ये कर्मचारी मन से यह महसूस करते हैं या नहीं कि हमारा गरीब लोगों को, दलित लोगों को ऊपर उठाने का धर्म है । इस रिपोर्ट के सफा नं० १३ पर कहा गया है इसमें किस तरह के कर्मचारी लगा दिये गये हैं । दूसरी तरफ राज्य सरकार आम तौर पर दावा करती है कि छोटे आदमियों की हालत को सुधारेंगे । इसी रिपोर्ट में जिक्र आया है कि राज्य के कर्मचारी अब तक इस चीज को नहीं समझ पाये हैं कि उनका क्या फर्ज है, हमारे संविधान में भी कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ मर्यादायें बांधी हुई हैं, उनका पालन करना हमारा धर्म है । हम भले ही यहां बड़े बड़े कानून बनाते हैं लेकिन राज्य चलाने वाले जो लोग हैं उनके मन इस मामले में अभी नहीं बदले हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में बतलाया गया है । इसके संदर्भ में ४२ वें पेज पर बताया गया जिसमें नीम के थाने का जिक्र है; गनेशर के हरिजन वहां विश्राम करने को ठहरे वह तालाब में नहाना चाहते थे । वहां एस० डी० एम० ने तय किया कि हरिजन लोग केवल एक घंटे तक इस तालाब में नहा सकते हैं उसके बाद सवर्ण बहिनें पानी भरने आयेंगी । इससे यह साफ पता चलता है कि वहां के एस० डी० एम० भारत के विधान को नहीं जानते हैं ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

अभी मेरी पार्टी का टाइम बाकी है ।

तो सभापति महोदय, मैं नहीं जानता कि वहां के एस० डी० एम० विधान की मर्यादा को जानते भी थे या नहीं । ये जो इस रिपोर्ट में सारी बातें कही गई हैं उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि जान बूझ कर एक घंटे का समय दिया गया बाद में सवर्ण महिलायें पानी भरने आयेंगी उसमें वे जा नहीं सकते, यह पेज ४२ पर साफ बात लिखी हुई है ।

अब में अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रवृत्तियां नहीं बदल रही हैं, यहां प्रश्न रुपये पैसों का नहीं है । हरिजनों को समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रश्न है । जितने प्रतिशत स्थान उनके लिये हम रिजर्व रख रहे हैं वे भी नहीं भर पाते । सरकार ने इस संबन्ध में कुछ नहीं किया है जो अगर कुछ किया भी है तो वह केवल दिखावा मात्र है,उसका कोई मतलब नहीं होता, वह बेकार है । वास्तव में उससे लोगों की हालत में कोई सुधार हो गया हो यह मैं नहीं मानता ।

आज आम तौर पर देश में चर्चा चलती है। हमारे प्रदेश में भी चलती है,लोग कहते हैं कि छोटी जातियों को रिज़र्वेशन क्यों दिया जाय । मैं नहीं कहता कि रिर्वेज़शेन दिया जाय, मैं तो यह कहता हूं कि अगर हरिजन आदिवासी और महिला वर्ग को, जो हिंदुस्तान में पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है, अगर इनको समाज में पूरा स्थान नहीं दिया गया तो कहीं इस समाज में बगावत न फैल जाय । इस संबन्ध में एक दिलचस्प बात आपको सुनाना चाहता हूं– बर्लिन युनिवर्सिटी में आज से कुछ दिनों पहले एक बहस हुई थी । यह सन् १६२१–२२ का किस्सा है उस समय बर्लिन युनिवर्सिटी में इस बात को लेकर कि जब हिन्दुस्तानी इतने सभ्य थे तब हिन्दुस्तान में इतने विद्वान होते हुए, इतने योद्धा होते हुए भी हिन्दुस्तान गुलाम क्यों हुआ ?

(श्री रामकिशन)

उस बहस में भाग लेने वाले दो तरह के विद्यार्थी थे एक मार्क्सियन और दूसरे हेगेलियन । इन दोनों ने इस बात का अपनी अपनी तरह से जवाब दिया है। उस सारे वर्णन में मैं जाना नहीं चाहता। एक हेगेलियन विद्यार्थी ने जिसका नाम रोज़ लक्जम्बर्ग था उसने जवाब दिया कि हिन्दुस्तान में इतने आला दिमाग के आदमी होते हुए, इतने आला योद्धा होते हुए भी हिन्दुस्तान लगातार पराजित क्यों हुआ और गुलाम क्यों बना। इस सब का कारण यह था कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने यह कभी नहीं माना कि समाज में हमारा स्थान है या राज्य में हमारा कोई स्थान है। यह तो संग्राम ही करते रहे, मुगल आये तो उनको भी और अंग्रेज आये तो उनको भी दिल्ली में आकर सलाम करना ही उनका काम रह गया क्योंकि करोड़ों लोगों को दबा कर रखा गया, दरिद्रता में रखा गया, अन्धेरे में रखा गया, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कभी किसी शासक ने नहीं की। वे उनके द्वारा सताये गये और इसका नमूना मिलता है, इसका दृष्टान्त मिलता है, बक्सर के युद्ध से। उस युद्ध में इस मुल्क के भाग्य का फैसला हो रहा था, देश के दुश्मन जीत रहे थे, देश की फौजें हार रही थीं और उधर वहां के किसान हल जोत रहे थे। देश हार रहा है युद्ध में और वहां का किसान आराम से हल जोत रहा है। उनको जब यह पूछा गया कि क्या तुम्हें इससे दर्द नहीं होता, क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं होता कि इस युद्ध में तुम भी हिस्सेदार बनते, भाग लेते, अपने देश की रक्षा करते, तो उनका एक ही जवाब था कि हमारे पास तो जो आवेगा वह हमारे ऊपर शासन ही करेगा, राज करेगा और हमें दबा कर ही रखेगा, हमें दबा कर पहले वाले ने भी रखा और अब जो आवेगा वह भी वैसा ही रखेगा। हम पहले भी ऐसे थे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह था वह मूल कारण वह था, वह भेद जिसके कारण इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान होते हुए और हर तरह से योग्य होते हुए भी हम करोड़ों की संख्या वाले मुल्क को, हिन्दुस्तान को, विदेशी दासता से नहीं बचा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि अभी भी हमारे मुल्क की उस स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है। आज भी हमारे मुल्क की स्थिति वही है जैसी गुलामी के समय थी। आज जो देश के करोड़ों दलित, शोषित, पीड़ित और गरीब लोग है जब तक वे ऊपर नहीं उठेंगे, उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जावेगा, जब तक उनको राज में, समाज में, व्यापार में, वाणिज्य में, कला में, कौशल में, फौज में और प्रगति के हर क्षेत्र में बराबर का स्थान नहीं दिया जावेगा तब तक उनमें अपने देश को अपना देश समझ कर उसके लिये त्याग और परिश्रम करने की भावना अंकुरित नहीं हो सकती, वे इस देश को अपना देश नहीं समझ सकते, उनको इन्सेन्टिव नहीं मिल सकता। करोड़ों हरिजन और आदिवासी आज अभी इस स्थिति में नहीं आ पाये हैं। हो सकता है आपने उनके लिये कुछ स्कूल खुलवा दिये हों, कुछ कुए बनवा दिये हों, कुछ अस्पताल बनवा दिये हों। पर इतने से यह

(श्री रामकिशन)

मसला हल नहीं होने वाला है । हमें हर पिछड़े वर्ग को हर क्षेत्र में उचित स्थान देना होगा । कुछ टुकड़े डालकर या उनको कुछ प्रलोभन देकर हम सन्तोष नहीं कर सकते । उनमें वह भावना जागृत नहीं कर सकते जो देश के एक नागरिक में अपेक्षित है । आज जब देश खतरे में है तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता है कि हम यह पिछड़े वर्गों को उठाने का काम शीघ्र अति शीघ्र करें ।

चीन ने आज हमारी धरती पर आक्रमण किया है. ऐसी हालत में करोड़ों लोगों को आप जब तक यह नहीं समझावेंगे कि देश तुम्हारा भी वैसा ही है जैसा कि हरेक उच्च कहलाने वाले नागरिक का है या वर्ग का है, तब तक काम नहीं चलेगा । आपको वास्तव में यह सब कुछ असल में करना होगा, केवल भाषणों से और इन रिपोर्टों से कुछ नहीं होने वाला है ।

सुझाव तो मेरा यह है कि आज जो छोटी जातियां हैं, छोटी से मेरा मतलब दबी हुई जातियों से है, शोषित जातियों से है, उनको राज में केवल राज की नौकरियों में ही नहीं, बल्कि राज-काज में, व्यापार में, वाणिज्य में, विज्ञान में, टैकनिकी क्षेत्र में, बड़े-बड़े उद्योग धन्धों में, उनको समान अवसर देने होंगे और इस तरह से उनमें यह भावना अंकुरित करनी होगी कि वे भी आज इस देश के वैसे ही नागरिक हैं जैसे दूसरे और यह भावना जब जाग जावेगी तो वे किसी भी देश के हमलावर का डट कर मुकाबला कर सकेंगे और तब हमारी ताकत पूरी होगी मुल्क की हिफाजत के लिये । आज पहली बार प्रश्न पूछा गया था इस सदन में कि इन पिछड़े लोगों को मोटरों के परमिट कितने दिये गये, त जवाब आया कि तीन-चार । तो इससे सरकार की क्या प्रवृत्ति है इसका पता चलता है । शासक उनको इन क्षेत्रों से अलग रखने की लगातार कोशिश करते हैं वे । पर चूंकि वोट लेने की जरूरत रहती है इसलिये उनको कुछ टुकड़े डाल देते हैं, थोड़ा बहुत दे देते हैं, बाकी उनको ऊपर उठाने की अपने जैसा समाज बना देने की, उनकी इच्छा कतई है ही नहीं ।

इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कहां कितने हरिजन मन्त्री हैं, या आदिवासी ।

मन्त्री हैं । लेकिन जहां राज की आबादी का १।३ हिस्सा उनका है, वहां उनका केवल एक मन्त्री बना दिया । एक डिप्टी मिनिस्टर बना दिया और वह भी केवल इसलिये कि वे कांग्रेस का समर्थन करते रहें । असल स्थिति तो यह होनी चाहिये; थी जैसा कि गांधीजी ने कहा था, उन्होंने इस सारी स्थिति को समझा और समझ कर बहुत ही महत्वपूर्ण एक घोषणा की थी, एक बात कही थी कि स्वराज्य तब होगा जब एक हरिजन की लड़की स्वतन्त्र भारत के प्रेसीडेन्ट की कुर्सी पर बैठेगी, लेकिन आज उसी गांधीजी के अनुयायी क्या कर रहे हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट आज हरिजन है ।

श्री रामकिशन : यह तो आपने एक अच्छा काम किया । पर गांधीजी ने हरिजन

(श्री रामकिशन)

की लड़की के लिये ही क्यों कहा, लड़का क्यों नहीं कहा ? गांधीजी जानते थे कि हिन्दुस्तान में सबसे अधिक दबी हुई कोई अगर आज है तो वह हरिजन जाति है और उसमें भी हरिजन की लड़की की स्थिति और भी खराब है। इसलिये उन्होंने जान बूझ–कर यह कहा था कि हिन्दुस्तान जब भी कभी आजाद होगा तब हरिजन की लड़की स्वतन्त्र भारत के राज-काज की मालिक बनेगी। पर आज हालत क्या है ? हम मन्त्रि-मण्डल के गठन को देखें, सरकारी अधिकारियों को देखें, उनकी नियुक्तियों को देखें, सरकारी नौकरियों को देखें, व्यापार के क्षेत्र को देखें, किसी भी क्षेत्र को देखें, आज भी वे पददलित ही हैं, आज भी वे दबे हुए हैं, इतना फर्क जरूर पड़ा है उनके वोट लेने के लिये उनको थोड़े बहुत टुकड़े जरूर डाल दिये गये हैं। उनको बहकाने के लिये यह काफी है; यह समझ लिया गया है। कुछ स्कूल, कुछ अस्पताल और कुछ दूसरे काम उनके लिये जरूर कर दिये गये हैं और इसी में सन्तोष मान लिया गया है। तो मेरा इस बारे में एक तो निवेदन यह है कि हमें मानवता के दृष्टिकोण से इस बारे में सोचना होगा। मानव समझ कर हमें उनके साथ भी समानता के वे सब अवसर देने की बात करनी होगी जो हम उच्चवर्ग के कहे जाने वाले लोगों के साथ करते हैं। आपने उनके लिये कुछ तालाब बनवा दिये, कुए बनवा दिये, तकावी दिलवा दी, यह ठीक है, लेकिन यह सब नाकाफी है। भ्रष्टाचार की बात आप नहीं करते, पर कभी सोचा आपने कि आपके ये कार्य भी क्या उसी श्रेणी में नहीं आते कि आपको चूंकि उनसे वोट लेने हैं इसलिये प्रलोभन के रूप में आपने उनको ये कुछ राहत की बातें दे दी हैं। आपने इस तरह ध्यान दिया हो या न दिया हो आज तक पर देश की हालत आपको इस तरह विचारने के लिये मजबूर कर रही है। चीन के आक्रमण के बाद तो आपको इस दृष्टिकोण को बदलना ही होगा। आपको मानवता और समानता के आधार पर उनके साथ काम करना होगा।

दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम बात कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका वाले उल्टा हमें कहते हैं कि पहले अपना चेहरा तो देखो। बांसवाड़े की अपनी हरिजन बस्तियां को तो ठीक कर लो पहले। हम कहते हैं काले-गोरे का फर्क न रहे। इसके जवाब में वे कहते हैं पहले अपना घर तो सुधार लो। तो इस पर हमें सोचना होगा। सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिये।

जैसे आप उनके लिये होस्टल खोलते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके लिये कोई अलग आप खोलें। यह जरूरी कर दिया जाय कि जो भी सवर्ण कहे जाने वालों के होस्टल्स हैं उनमें वे भी रहें। यह जब तक नहीं होगा आप जात-पात को तोड़ नहीं सकते।

हमें दूसरी बात यह करनी चाहिये जात-पात ने सबकी तबाही की है। मुसलमानों में यह नहीं थी। पर हिन्दुओं की संगति से उनमें भी यह जात-पात की बुराई आ गई है। आज उनमें भी पिछड़े और छोटे वर्ग हैं, जैसे धोबी, जुलाहे, अन्सार, रंगरेज वगैरह, इन जातियों को भी हमें पिछड़ी जाति वर्ग में शामिल कर लेना चाहिये, क्योंकि ये भी इसी तरह से दुःखी

श्री रामकिशन)

हैं । जैसे हिन्दुओं में ब्राह्मण,बनिये, राजपूत हैं वैसे इनमें भी शेख, सैयद पठान हैं । इनसे ये दुःखी हैं ।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि हम जब जात-पात तोड़ना चाहते हैं, छूआछूत मिटाना चाहते हैं तो राज्य सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि जो ब्राह्मण हरिजन बालक बालिका का पालन-पोषण करेगा उसके लिये दस या बीस या ऐसा ही कुछ रुपया आप तै कर दीजिये वह माहवारी उसे मदद के रूप में दिया जावेगा । यह कोई नई बात नहीं है । बम्बई सरकार ने यह कर भी दिया है ।

जब यह आप करेंगे और कोई ब्राह्मण परिवार उनको रखेगा तो उन बच्चों की टट्टी-पेशाब को वे साफ करेंगे और तब जातीयता टूटेगी और यह चूंकि आज गरीबी है, इससे प्रेरित होकर ब्राह्मण परिवार इसे भी अपने लिये एक सहारा समझ कर करेगा । जो आज पिछले पांच हजार वर्ष से जातीयता का कठघरा बना आ रहा है वह इतना मजबूत है कि इन जैसे प्रयत्नों के बिना यह आपका मामूली-सा हरिजन कल्याण बोर्ड उनको नहीं तोड़ सकता । अब ऐसे मामूली से बोर्ड से काम नहीं चलने वाला है । इसके लिये तो आपको कुछ ऐसे ही क्रान्तिकारी कदम उठाने होंगे ।

इसके लिये मैं कोई कानून बनाने के लिये नहीं कह रहा हूँ । केवल राज्य सरकार को घोषणा कर देनी चाहिये कि जो द्विज यह काम करेगा प्रति बच्चे पर उसे २०)माहवार मिलेगा । आर्थिक स्थिति आज चूंकि उनकी ठीक नहीं है गरीब हैं, वे इसलिये वह ऐसा करेंगे भी, इसका लाभ यह होगा कि यह जो जात-पात के हजारों वर्ष पुरानी प्रथा है टूटेगी । तो सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये ।

इस रिपोर्ट में राज्य सरकार के बारे में तरह-तरह की बातें कही गई हैं, उन पर आरोप लगाये हैं, मैं उन सब में नहीं पड़ूंगा । मन्त्री जी उसको देखें और उन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करें ।

इनके अलावा कुछ प्रश्न और हैं जिन पर गम्भीरता से सोचना चाहिये, वे साधारण प्रश्न नहीं हैं ।

(६. १६ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो समय है । केवल १५ मिनट हुए हैं ।

तो उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष : बीस मिनट तो आप ले चुके हैं । पांच मिनिट में खत्म करें ।

श्री रामकिशन : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि यह अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न आसान नहीं है । मैं राजस्थान सरकार से एक ही प्रश्न पूछता हूँ । राजस्थान में १४ हजार मन्दिर हैं जिनका संचालन सरकार करती है, क्या किसी मन्दिर में गैर

(श्री रामकिशन)

ब्राह्मण पुजारी है ? यह मामूली प्रश्न नहीं है। बहुत बेसिक प्रश्न है । हम तो आज अपने एक्शन से जात-पात तोड़ नहीं रहे हैं। बल्कि इसे कड़ा कर रहे हैं और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। हम कहते हैं मन्दिर की पूजा ब्राह्मण ही करेगा। अगर सरकार सचमुच जात-पात तोड़ना चाहती है, समानता का व्यवहार करना चाहती है तो सरकार को आज घोषणा कर देनी चाहिये कि चाहे हरिजन हो, चाहे जाट हो, चाहे बनिया हो कोई भी हो, जो पूजा की विधि जानता होगा वह पुजारी बनने का हकदार हो जावेगा। यह सीधी सी निष्पक्ष बात है । पर आज हम इस घोषणा को करने से डरते हैं। हम हर तरह से जात-पात को बढ़ावा दे रहे हैं । कहते हो आप लोग कि जाति अपने आप टूट जावेगी धीरे धीरे। पर मैं पूछता हूँ कि टूटेगी कैसे ? हिन्दुस्तान में एक हरिजन नेता की बात बताता हूँ मैं जो आज के युग का एक प्रतिभाशाली नेता था। डाक्टर अम्बेडकर। मैं नेता की बात नहीं कहता हूँ। योग्यता और गुण की बात कहता हूँ। क्या उनको अपना नेता माना हिन्दू जाति ने ? वह केवल हरिजनों के ही नेता बना कर रख दिये गये, वह हिन्दू जाति के नेता नहीं बन सके । आज नेहरूजी और सुखाड़ियाजी हिन्दू जाति के नेता हो सकते हैं। आज आप उनको तो अपना नेता मान सकते हैं। लेकिन जगजीवनराम को नहीं, डा० अम्बेडकर को नहीं, वे तो हरिजनों के नेता ही रहेंगे। भीलों के नेता भीखाभाई हैं, भीलों के ही रहेंगे और भील अपना नेता उनको मान भी सकेंगे । लाखों पिछड़े लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग दिया, जिन्होंने कांग्रेस में भी शानदार काम किया, अपने इतिहास में पहली बार कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया है कि हरिजनों का नेता कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट बनाया है। पर उसकी हैसियत क्या बना रखी है। जब प्रधान मन्त्री हैं नेहरूजी और कांग्रेस के सभापति हैं संजीवैयाजी तो बेचारे की चलेगी क्या ? मजा तब आता जब प्रधान मन्त्री होते संजीवैयाजी और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के एक सदस्य होते नेहरूजी । आज भीखाभाई हैं । बना दिया उनको वन मन्त्री। उनकी यहीं नहीं चलती, हर बात उनको मुख्य मन्त्रीजी से पूछनी पड़ती है। आज यहां नेता बने हुए हैं सुखाड़िया जी । आखिर केवल वोट लेने के लिये उनको कुछ देते हैं, उनका सहयोग लेना है इसलिये कुछ देते हैं। आप तो राजनीतिज्ञ हैं, प्योंग्ली राजनीतिज्ञ।

असल स्थिति यह है कि हमारा मन नहीं बदला। जब संजीवैया और अम्बेडकर को नहीं माना तो रोग यह मामूली नहीं है। कड़ाई से काम करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूँ, मेरा इस रिपोर्ट से सम्बन्ध नहीं है। पिछड़ा वर्ग और जातियां हैं कौन, इस विवाद में भी नहीं जाना चाहता । इसके पूर्व के इतिहास में भी नहीं जाना चाहता।

मैसोर की सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि १४३ जातियां पिछड़ी जातियां हैं वहां। राजस्थान सरकार कहती है उसके यहां ४३ जातियां ही ऐसी हैं जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। मैं निवेदन करू कि जितने दबे हुए छोटे मुसलमान वर्ग हैं और

(श्री रामकिशन)

जो दूसरे वर्ग हैं उनको तो इसमें शामिल किया ही जाय। इसके अलावा राज्य सरकार को सिफारिश करनी चाहिये कि महिलाओं को भी पिछड़े वर्ग में शामिल किया जावे। चाहे गायत्री देवी हो, चाहे कोई आदिवासी महिला हो, वे हमेशा पिछड़ी हैं और मैं उनके पिछले सारे इतिहास में न जाकर एक ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अगर आपको समाजवाद को एक जीवित शक्ति बनाना है तो महिलाओं को भी उनका उचित स्थान देना होगा। हजारों साल से उनका उपहास हुआ है, उनकी मजाक हुई है। हमने हर दोष उन पर थोप दिया है।। रामायण में राम को बनवास हुआ। उसका दोष मढ़ दिया कैकेई पर। कैकई को दोषी बना दिया। महाभारत किसके दोष से हुआ, पर दोष मढ़ दिया द्रौपदी पर। आज भी नई दुनिया में, नई सभ्यता में अभी इस परम्परा का अन्त नहीं हुआ है, कीलर को मैं कोई आदर्श महिला नहीं मानता, वह मेरी आदर्श महिला नहीं हो सकती, पर जहां तक महिला का सम्बन्ध है, आज भी सारा दोष मढ़ दिया गया उसके सिर पर। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक बात देखें कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने जब घोषणा की तो कहा कि कुछ आवारा छोकरियों के पीछे हम अपनी सल्तनत को नहीं बदलने देंगे। वहां भी सारा दोष कीलर पर ही रख दिया। तो उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं को समाज में बहुत गलत नजर से देखा जाता है, उनको बहुत दबाया जाता है, उनको बहुत सताया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह यहां से सिफारिश करें कि इन महिलाओं को भी पिछड़े वर्ग में रखें ताकि इनको व्यापारिक, समाजसेवा और दूसरे-दूसरे क्षेत्रों में ६० प्रतिशत स्थान दिये जाये और इसको जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की स्थिति नहीं सुधर सकती। मैं महिलाओं के सारे इतिहास पर नहीं जाऊंगा और न मैं उनकी संस्कृति के इतिहास में जाऊंगा....

श्री उपाध्यक्ष : महिलाओं को आप शिडयूल्ड कास्ट में करना चाहते हैं?

श्री रामकिशन : पिछड़े हुए वर्ग में।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, उसकी सारी संस्कृति में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन राम, कृष्ण और शिव हमारे बहुत बड़े ये तीन देवता हुए हैं। यह हुए हैं या नहीं, इसके विवाद में नहीं पड़ूंगा। कोई इनको माने या न माने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सारे इतिहास में एक मौका ऐसा आया है दस, बारह, पन्द्रह हजार वर्षों में जहां महिलाओं को पढ़ने का मौका मिला है और वह है कृष्ण और राधा का समय। आपने रसखान को पढ़ा होगा। कृष्ण को रसखान तलाश कर रहे हैं। वह न झाड़ी में मिले और न कहीं और वह राधा के पैर दाब रहे थे। उस समय हमें नर और नारी के बराबरी का दर्जा मिला है। शायद राधा की तबियत खराब हो और कृष्ण पैर दबा रहे हों। लेकिन हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। पर बराबरी का दर्जा हमें उस समय में मिलता है। हमारी पार्टी की मीटिंग थी भावनगर में तो मेरा दिल वहां टूट गया। वहां मैंने देखा कि रुकिमणीजी का मन्दिर है, सत्यभामा का मन्दिर है, लेकिन राधा-किशन का मन्दिर गायब....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : राधा का मन्दिर बृज में होता है द्वारिका में नहीं। राधा द्वारिका गई ही नहीं थी।

श्री रामकिशन : यह आपके बस की चीज नहीं है। वहां राधा का मन्दिर नहीं तो हम यह सोचने के लिए मजबूर हुए कि राधा के साथ....

श्री उपाध्यक्ष : मेरे विचार से इसका पृथक रिज्योल्यूशन कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री रामकिशन : बस मैं खत्म ही कर रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्त्रियों को भी पिछड़े हुए वर्ग में शामिल किया जाये। इनको राजनीति, व्यापार, समाज सेवा का अधिकार दें। हमारे यहां मंत्रि-मण्डल में भी दो उप-मंत्राणि हैं और मुख्य मंत्रीजी की मैं दो वजह से इज्जत करता हूं। एक तो आज के ३० साल पहले....

श्री भीखाभाई (समाज कल्याण मंत्री) : आपके अनुसार तो घर घर में बैकवर्ड क्लास हो जायेगी और आप प्रोग्रेसिव क्लास में आ जायेंगे।

श्री रामकिशन : केवल मुख्य मन्त्रीजी को दो वजह से मैं इज्जत करता हूं। एक तो ३० साल पहले जब कि ऐसी शादी कि जिससे हिन्दुस्तान के समाज को हिलने का मौका मिला और दूसरे इसलिए कि उन्होंने अब की बार दो महिलाओं को उप-मंत्राणि बनाया। लेकिन उनको कमजोर बना रखा है। मैं कहूंगा कि वह उनको मंत्री मण्डल में लें और मंत्राणि बनायें और उनको राजनीति, समाज सेवा का मौका दें, तब हम हिन्दुस्तान के समाज को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो रिपोर्टों से और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी,....

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री महोदय....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : शिड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट पर बहस चल रही है और उनको ही टाइम नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, इस बहस का मैं जवाब देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, इसका जवाब तो संबंधित मंत्री देंगे। कुछ ही मिनटों के लिये बीच में मैं अपने विचार जाहिर करने के लिए इसलिए खड़ा हुआ कि यह एक अहम मसला है, सारे भारत वर्ष की दृष्टि से और राजस्थान की दृष्टि से भी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि छूआ-छूत, उसके अलावा जो हरिजनों के साथ भेद-भाव की नीति रही यह एक प्रकार से हमारी सामन्ती मनोवृत्ति के साथ जुड़ी हुई चीज है और जब एक आधार समाप्त होना शुरू हुआ तो उस आधार की समाप्ति के साथ इस आधार के अन्दर भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन चालू हुआ। राजस्थान के अन्दर यह पिछड़ापन सबसे ज्यादा रहा इसमें कोई शक नहीं। इसी प्रकार अगर हम भारतवर्ष

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को देखें तो सौराष्ट्र और कुछ ऐसे प्रदेश जहां सामन्ती प्रथा ज्यादा से ज्यादा गहरा असर था । लेकिन उन चीजों के अन्दर पहले के मुकाबिले में आज, मैं समझता हूं, कि कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि महात्मा गांधी ने जब कि सारा समाज इसके विपरीत था उस समय हरिजनों के बारे में आवाज उठाई और उटाने के बाद इस प्रश्न की तरफ मानवीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और हर दृष्टि से कहा जाये सारे समाज का और देश का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ। आज राजनैतिक और सामाजिक समानता के अधिकार दिये उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया और पिछले वर्षों में, अगर हम २० वर्ष पहले के हालात पर निगाह डालें और आज के हालात पर निगाह डालें, तो बहुत से व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वह जमाना किस प्रकार का था कि किसी हरिजन मोहल्ले के अन्दर से जाना भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति के लिए मुश्किल था और व्यक्ति झिझकते थे, वह मैं समझता हूं कि किसी से छिपा हुआ नहीं है ।

आज कमियां हैं, कमियों के अन्दर अगर यह कहें कि हम बिल्कुल आदर्श स्थिति को पहुंच गये तो वह कहना गलत होगा । सदियों से और हजारों वर्षों से चले हुए आ रहे इस कलंक को मिटाने के लिये स्वर्ण समाज को प्रायःश्चित के रूप में आगे बढ़ाकर चलाना होगा । माननीय उपाध्यक्षजी, इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता ने यह जिक्र किया कि एक व्यक्ति के पीछे साल भर के अन्दर ६ रुपये खर्च किये गये । इसके लिए मैं समझता हूं कि यह आंकड़े सही नहीं हैं । इसलिए कि जो पंचवर्षीय योजना है उस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो खर्च किया जाता है, प्लान के अन्तर्गत वह सब जगह किया जाता है । आज मान लीजिए कि एजूकेशन के अन्दर, इस सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट के अन्तर्गत जो धनराशि रखा गई है, वही सारी उनके पीछे खर्च की जाती है, यह समझना गलत है । आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अन्तर्गत जो धनराशि खर्च होती है वह इसके अलावा है । अगर तालाब के लिए योजनायें बनाई जाती हैं और उसके द्वारा खर्च किया जाता है, वह अलग है । सड़क के द्वारा या मेडीकल के द्वारा या आयुर्वेद के द्वारा जितनी प्लान और योजनायें हैं उनका खर्च जो होता है वह तो होता ही है, लेकिन उनके अलावा विशेष तौर से आज उनके लिए खर्च किया जाना चाहिए । उस धन-राशि को इसके अन्दर दिखलाया जाता है कि उनके लिए यह धन-राशि रखी जाती है जिससे विशेष तौर से उनकी शिक्षा के बारे में पिछले वर्षों में प्रयत्न किये गये और मैं समझता हूं कि जो भी हालात को जानते हैं इस बात को मानेंगे कि पहले के मुकाबिले में आज शिक्षा का जहां फैलाव दूसरों में हुआ वहां हरिजनों और आदिवासियों के अन्दर भी काफी फर्क पड़ा । हमारे यहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, वहां इस बात को देखें कि आज से १५ साल पहले वहां स्कूलें कितनी थीं और आज कितनी हैं । तो यह अन्तर मालूम हो सकता है कि कितना इनमें उस समय से परिवर्तन हुआ । आज भी उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गयी हो कि सब के पास में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बारहों महीने पेट भरकर खाने के लिए हो गया हो, तो उस बात को न मैंने पहले कहा और न आज कहता हूं। उनके अन्दर बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको मजदूरी करनी पड़ती है। यह तो अच्छी बात है कि आज तालाबों के लड़कों के, रेलवे के, और और चीजों के, खान वगैरह के, कई प्रकार की और मजदूरी शुरू होने की वजह से उन लोगों को काम-धन्धा मिलता है और उससे उनकी पहले की स्थिति के अन्दर परिवर्तन हुआ है। पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में निश्चयपूर्वक हम इस बात को कह सकते हैं कि काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर हम यह कहें कि सब कुछ ठीक हो गया है वह बात मैं कहकर नहीं चलता, लेकिन परिवर्तन पहले से हुआ है। इस बारे में जो भी व्यक्ति तटस्थ दृष्टि से इसके बारे में कहना चाहें, मैं समझता हूं, कि वह इस बात से इन्कार करके नहीं चल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां राजस्थान में जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थी हैं उनकी फीस के लिए चाहे वे साइन्स कॉलेज हों, चाहे आर्ट्स कॉलेज हों, चाहे इन्जीनियरिंग कॉलेज हों, चाहे मेडिकल हों, उन सब के लिए फीस माफ करने के बारे में सरकारी आदेश हैं, इसके साथ एडमिशन के लिए और रियायतें दी गई हैं कि दूसरे व्यक्ति के मुकाबले में अगर ५ पर्सेन्ट मार्क्स कम भी हों तो भी उस व्यक्ति को भर्ती के लिए सुविधाएं दी जाती हैं।

इस प्रकार सर्विसेज़ के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि कुछ सर्विसेज़ में जो साढ़े बारह पर्सेन्ट उनकी भर्ती के बारे में व्यवस्था की गई है, पूर्ण रूप से, सब तरफ से, उसकी पूर्ति नहीं कर पाये हैं, लेकिन फिर भी इस ओर लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं १९६१–६२ के आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं कि गज़ेटेड सर्विसेज़ में जहां ४.०७ पर्सेन्ट ही भर्ती हो पाई है। सबोर्डिनेट सर्विसेज़ में ८.०६ पर्सेन्ट और उसके मुकाबले में मिनिस्टीरियल सर्विसेज़ में १७.०५ पर्सेन्ट और क्लास फोर्थ में २४.०८ पर्सेन्ट उनकी भर्ती के अन्दर ६१–६२ के अन्दर हुआ है, क्योंकि जहां पर कॉम्पीटिशन और क्वालिफिकेशन की उतनी दिक्कत नहीं आती है वहां पर उस सीमा से ज्यादा भर्ती की गई है। हमने कोशिश की कि किसी तरह से जितना परिवर्तन किया जा सके वस्तुस्थिति में उतनी कोशिश की जाय। अभी सेक्रेटेरियेट में राज्य के सेक्रेटेरियेट में क्लास फोर्थ ३६६ हैं उसके अन्दर ३८ हैं जिसका मतलब साढ़े बारह पर्सेन्ट से कुछ कम है, क्योंकि पहले से वह टोटल नम्बर चला आ रहा है, इसलिए वहां पर कम हैं, लेकिन उसमें बराबर बढ़ोत्तरी की गई है, यहां तक कहा था हमने कि मेहतरों को वहां पर भर्ती किया जाना चाहिए और उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ एक हरिजन भी वहां पर भरती किये गये हैं, सेक्रेटेरियेट के अन्दर, और हम स्वयं यह चाहते है कि समाज में यह भेद-भाव, दूसरी बातें हैं, उनके अन्दर परिवर्तन होना चाहिये, और उस परिवर्तन में शिक्षा और सर्विसेज़ के अन्दर जब आदमी समानता के आकर बैठता है तो समाज पर उसका बड़ा भारी असर पड़ता है। एक हरिजन व्यक्ति अधिकारी बनता है तो समाज के ऊपर असर पड़ता है। और शिक्षा के द्वारा जब दूसरे लड़के हरिजन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों के साथ बैठकर पढ़ने लगते हैं तो उसके अन्दर परिवर्तन होने लगता है। यह सदियों से जो एक मनोवैज्ञानिक संस्कार पड़ा हुआ है उनके अन्दर परिवर्तन करने का काम है। मैं समझता हूं कि इस काम में जितना परिवर्तन पिछले अर्से में राजस्थान में, जिस पिछड़ेपन की स्थिति के अन्दर हम कर पाये हैं, उस भूमिका में इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

राजस्थान में भूमि के जहां तक एलॉटमेंट का सवाल है इस तरह के आदेश दिये गये हैं कि जो भूमि एलॉट की जाय सिवाय कोलोनाइज़ेशन के जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के अलावा, दूसरे एरियाज़ के अन्दर जनरल तौर से यह नियम बना हुआ है कि वहां पर भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाय। कोलोनाइज़ेशन एरियाज़ के अन्दर भी भूमिहीनों को जमीनें दी गई हैं और भूमिहीनों को जब राजस्थान के अन्दर बसाने की बात कहते हैं तो भूमिहीनों की जो आर्थिक स्थिति के अनुसार सबसे ज्यादा तादाद हरिजनों की और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की मिलेगी कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन नहीं है, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को ही प्राप्त होता है और हम इस बारे में प्रयत्नशील हैं कि राजस्थान में जहां-जहां हो पाये उन लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाय।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो लीगल एडवाइस करने के लिए नियम हैं और यहां पर उसकी तरफ हमारे मंत्रीजी आपका ध्यान आकर्षित करेंगे।

एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, जो बारबार सामने आता है कि कुछ जो गज़ेटेड सर्विसेज़ हैं उन गजेटेड सर्विसेज़ के लिए अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो उसमें कॉम्पीटिटर्स होते हैं उन लोगों को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मुसीबतें सामने आती हैं, तो सरकार ने इसके बारे में यह विचार किया है और इसके ऊपर निर्णय कर रहे हैं कि जिससे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कैन्डीडेट्स हों उन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग इस प्रकार की दी जाय उस इन्टरव्यू के पहले कि जिससे इन्टरव्यू के अन्दर विशेष रूप से लाभदायक हो सकें। इस प्रकार की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की जानी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्षजी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्लम क्लीयरेंस के बारे में कहा और उसमें उदयपुर की एक स्कीम का जिक्र किया है। शायद यह उनकी जानकारी में यह नहीं आया कि स्लम क्लीयरेंस स्कीम का आधार एक अखिल भारतीय आधार पर बनाया गया था। उसमें यह शर्त थी कि जिस जगह के स्लम क्लीयर किये जायं उस जगह के रहने वाले वहां से हटा दिये जायेंगे और जिनके मकानात इस तरह के बन जायं उन मकानों में रहने के लिए किराया देना होगा। किराया देने के बाद भी मकान का मालिक नहीं हो सकता है। अब जो वहां पर स्कीम बनाई गई थी उस मोहल्ले के रहने वाले मुस्लिम हैं। फूल बावड़ी एक जगह है, मैं भैरोंसिह जी को बता दूं; वहां के लोगों के लिए मूल रूप में और कुछ हरिजनों के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लिए उस योजना को बनाया गया था। वे लोग जाने को तैयार नहीं हुए और काफी अर्से तक उसकी संख्या पूरी नहीं हुई और एक प्रश्न सामने था। वे बने हुए थे और उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ; तो बोहरों के लिए, उन्होंने कहा तो बोहरावाड़ी में जिनको जाने का अवसर नहीं मिला वे जायं तो उनको मालूम होगा कि वह भी स्लम से बहुत बहतर स्थिति के अन्दर हो, ऐसा नहीं है। वहां पर आबादी काफी बढ़ती हुई चली गई है और वहां पर रहने वालों को जगह नहीं है। वहां के गरीब लोग जिनको मकान बनाने का मौका नहीं मिला उनको वहां पर जगह दी गई और साथ में हरिजनों को भी जगह दी गई, जिनमें जाकर वे बस सकें। उसके लिए कहा गया कि बोहरों से वोट लेने के लिए आश्वासन दिया था, तो मेरा कहना है कि वे लोग भी ऐसी बस्तियों में थे....

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : इसके बारे में उन्हें उस वक्त दिया नहीं था। वे आज भी तैयार हैं। यह गलत बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उनकी बात नहीं कहता। जिन लोगों के लिए योजना बनी थी और जो जाने को तैयार थे उनको भेजा गया और जिन लोगों को आज दिया गया है वे लोग भी काफी खराब हालत में थे, सिवाय इसके कि वे जाति के बोहरे हैं और वे उस एरिया में रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका कोई और दोष तो है नहीं। मैं निवेदन करना चाहता था कि जो बात यहां पर कही गई उसे स्लम बस्तियों के बारे में लेना है, यह व्यवस्था की जानी चाहिये, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। इस सदन में एक दो-रोज़ बहस जो रखी जाती है वह इसीलिए रखी जाती है ताकि अलग अलग दृष्टिकोण इस सदन के समक्ष, हमारी राज्य सरकार के समक्ष, आयें और उन चीजों पर विचार करके इसके बारे में कार्यवाही की जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष जी, बहस के दौरान में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री हरदेव जोशी ने जो एक कजरों के लिए जमीन थी उस जमीन पर जबरदस्ती से अधिकार कर लिया और उस जगह वे बस गये हैं। तो मैं इतना कहकर चल सकता हूँ कि अगर हरिदेव जोशी ने गैरकानूनी तरीके से कब्ज़ा किया होगा तो हरिदेव जोशी को उस जगह पर कायम नहीं रखा जा सकता है। मैं इतना कहकर चल सकता हूं और इस मामले में कोई किसी प्रकार कानूनी या गैर-कानूनी तरीके से हुई कार्यवाही के बारे में हम हमेशा विचार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात को मानकर चलें कि जयपुर के आस-पास, इसके इर्द-गिर्द श्री हरिदेव जोशी अकेले ही नहीं रहते, बहुत से व्यक्ति यहां के रह रहे हैं और उस जमीन के बारे में कोई विशेष तौर से कोई खास बात कर दी गई हो राज्य सरकार की तरफ से, ऐसा मानने का कारण इसके अन्दर नहीं आता है।

जो जयपुर म्युनिसिपैलिटी के बारे में उदाहरण दिया, उसके लिए मेरे पास तथ्य इस वक्त मौजूद नहीं है कि मैं कुछ कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में जानकारी करूं तो अवश्य अपनी तरफ से जानकारी करने का मैं प्रयत्न करूंगा।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं उन सिफारिशों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट पुरानी है जिसके आधार पर यहां बहस हो रही है। कुछ चीज़ों के बारे में कदम मैं समझता हूं, उठाये जा चुके हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में जो कदम उठाये जा सकते हैं, राज्य सरकार इस बारे में आगे भी उठायेगी। हम लोग स्वयं चाहते हैं कि जहां कि राजस्थान के अन्दर विकास करके आर्थिक स्थिति सुधारते हैं वहां मैंने अभी हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट को यह भी कहा है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट इस बात की सर्वे करने की कोशिश करे कि जिन जगहों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की मिलकर ५० प्रतिशत से ज्यादा पॉपुलेशन है जिस पंचायत समिति में, उस जगह होल्डिंग एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा काम कहां है और वहां एनिमल हस्बेन्ड्री की क्या पोज़ीशन है, इस बात का पता लगावें, जिससे राजस्थान के बैकवार्ड एरियाज़ को स्पोट कर सकें और आने वाली योजनाओं में और भी सामुहिक तौर से अपना ध्यान दे सकें, इन इलाकों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो और वहां की आर्थिक स्थिति को इस प्रकार सुधारा जा सके। मैं इतना ही आश्वासन दिला सकता हूं सदन को। विस्तार में सब बातों का उत्तर तो मंत्रीजी देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी चाहते हैं कि हरिजनों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो और इसके लिये प्रयत्न करना है, जो भी साधन हैं, जो भी कर सकते हैं राजस्थान में इन परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, जो भी किया जा सके किया जायगा।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने महिलाओं के लिये और हरिजनों के लिये बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखाई, उसके लिये उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद दूं; इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। मुझे पता नहीं शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट के साथ साथ महिलाओं के बारे में उन्होंने क्यों कहा, पता नहीं उनके लिये रिज़र्वेशन के लिहाज से कहना चाहते हैं या और लिहाज से कहना चाहते हैं, मेरा ख्याल है आखिर में जाकर पहुँचना चाहते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये रिज़र्वेशन है बाकी का रिज़र्वेशन महिलाओं के लिये हो जाय, यह बात हो सकती है। उनके दिमाग का पता नहीं आगे या पीछे उनकी पार्टी इस बात को ज्यादा से ज्यादा सामने लाना चाहती हो, लेकिन उनके महत्व की दृष्टि से, और और दृष्टि से इस बात को कहते हैं या या केवल इस दृष्टि से कहते हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग है और उनके बारे में कहने से उनका वोट मिलने में सहूलियत हो जाय, इसका पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो उनके विचार सुन्दर हैं, भावनाएं अच्छी हैं। आगे मौका आयेगा सन् ६७ में चुनाव के समय कम से कम वे तो इस बात की कोशिश करेंगे कि अपनी सीट से किसी महिला को खड़ा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, अभी मैं हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी का भाषण सुन रहा था, मैं यह सोचता था कि

(श्री केदारनाथ)

इस कमीशन की रिपोर्ट से पहले बहुत से कमीशन्स की रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। ढेबरभाई कमीशन की रिपोर्ट है, प्रोफेसर मलकानी की रिपोर्ट है और इसके अलावा यह रिपोर्ट हमारे सामने है। राजस्थान की आबादी का चौथा हिस्सा हरिजनों का उन्होंने बताया है। मैं यह भी ख्याल करता था कि आज घोषणा यह सुनने को मिलेगी कि सर्विसेज़ में उनका रिज़र्वेशन २५ पर्सेन्ट हो जायगा, अभी १२॥ पर्सेन्ट है, क्योंकि यहां की टोटल आबादी का चौथा हिस्सा हरिजनों का है इसलिये सर्विसेज़ में इतना रिज़र्वेशन उनका होना चाहिये, लेकिन एक भी बात सुनने को नहीं मिली। जो लोग इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि उनमें एज्युकेशन बढ़नी चाहिये क्योंकि उनका स्टेन्डर्ड अच्छा नहीं है इसलिये वहां कोचिंग क्लासेज़ फ्री होंगी जैसा कि इलाहबाद विश्वविद्यालय में हैं जिससे स्टेन्डर्ड ऊंचा हो जाय और कामयाबी हो आयन्दा सर्विसेज में, मैं ख्याल करता हूँ कि हमारे मंत्री, जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं, जिनका जन्म इस जाति में हुआ है, स्वभाव से आदिवासी और क्रान्तिकारी हैं, शक्ल से हिन्दुस्तान के बेकवर्ड क्लासेज़ के प्रतीक हैं। मैं यह मानकर चलूंगा कि आसपास के वातावरण में और आज के हालात में, इस मशीनरी में अपने आपको हैपी नहीं फील करते हैं, वे आज स्टेटमेंट देंगे सही हालात के बारे में, १२ साल के प्लान के बारे में कि बेकवर्ड क्लासेज़ के ऊपर उसका किस कदर इम्पेक्ट हुआ है। जैसा कि मेरे से पहले जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी पर-केपिटा इन्कम कितनी है और १२ वर्ष के विकास के बाद कितना पैसा उनके तहत खर्च हुआ, दूसरी एजेन्सीज़ की तहत इस पर अलग खर्चा हुआ, आज तक ५॥ करोड़ रुपये खर्च हुए, १२ साल में इन योजनाओं के तहत कितना खर्चा हुआ, ये सारी रिपोर्ट्स आपको इसका अन्दाज कराती हैं। विशेषज्ञों की राय यह है कि उनकी आर्थिक हालत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं प्रोफेसर मलकानी के बयान के दो लफ्ज़ सुनाना चाहता हूँ :

अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की मूल्यांकन समिति राजस्थान का दौरा करती हुई यहां पर आई, उनके संघ मंत्री श्री जयरामदास के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर मलकानी, गुजरात हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष, मजूमदार पधारे। समिति ने राजस्थान के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों को देखकर प्रसन्नता होती है लेकिन यहां सामाजिक दृष्टि से पिछड़ेपन को देखकर दुःख होता है। आज भी राजस्थान में कई स्थानों पर हरिजनों को कूओं से पानी नहीं भरने दिया जाता, नाई उनके बाल नहीं बनाते, धोबी उनके कपड़े नहीं धोते, शहर की होटलों में उनको प्रवेश करने की इजाजत नहीं है।

इसके अलावा आगे फिर कार्य संबंधी सुधार के सिलसिले में बताते हुए समिति ने दुःख प्रकट किया। भारत सरकार ने कूड़ा उठाने के लिये ठेले आदि दिये, अनुदान दिया, लेकिन राजस्थान सरकार ने उनका उपयोग नहीं किया; इस ढंग से यह रिपोर्ट है।

दूसरी रिपोर्ट मान्यवर, एग्रीकल्चर लेबर इन्क्वायरी कमेटी की सैकन्ड रिपोर्ट है। उसमें

(श्री केदारनाथ)

सही तरीके से बयान किया है। इसके अलावा बहुतसी Study teams (समितियां) ने यही निष्कर्ष निकाला कि इन १२ सालों में कम्युनिटि का जो वीकर सेक्शन है, सबसे नीचे का Lowest running of the ladder (तबका) है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में और उसकी आर्थिक हालत में। यह बात सही है, तो क्या हमारी राजस्थान सरकार और कंसर्न्ड मिनिस्टर एलान करेंगे कि हमारे ट्राइबल एरिया के लिये क्या सुधार करने जा रहे है ? कौनसा इन्टेनसिव इकोनॉमिक प्लान करना चाहते हैं ताकि कुछ मूल सुधार हो सके। अब मैं आपके सामने भारत सरकार की एग्रीकल्चर लेबर इन्क्वायरी कमेटी की सेकन्ड रिपोर्ट में से कुछ शब्द पढ़कर सुनाता हूँ :

मान्यवर, खेतिहर मजदूरी करने वालों की संख्या १ करोड़ ८० लाख थी, वह कम हो गई, १ करोड़ ६३ लाख हो गई। भूमिहीनों की संख्या जहां पहले ५० प्रतिशत थी वहां ५७ प्रतिशत हो गई। कर्जदारों की पुरानी संख्या ४५ प्रतिशत थी वहां ६४ प्रतिशत हो गई। पहले कर्जा कुल ८० करोड़ का था वहां अब १४३ करोड़ का है। इसी तरीके से हरिजन जन-जाति के २० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। २५ प्रतिशत वे हैं जिनके पास १ एकड़ भूमि है। इसी तरह ५० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन की पर-केपिटा इन्कम साल में ५००) से कम है। यहां पर २५ प्रतिशत वे लोग हैं जिन की पर-केपिटा इनकम प्रतिमाह ६०) है। ये सारे आंकड़े एग्रीकल्चर लेबर इन्क्वायरी कमेटी की सेकन्ड रिपोर्ट के हैं और यह सही हालत है। इसी तरह से जयप्रकाशनारायणजी की स्टडी टीम नियुक्त हुई, उन्होंने कहा और सही हालात लिखे। गांवों में जाकर उन्होंने देखा उनके काम करने के घंटों में कमी हो गई। पहले २६५ दिन काम करते थे आज १४० दिन काम करते हैं। ये दिन घट गये, इससे उनका स्टेन्डर्ड और सामाजिक प्रतिष्ठा कम हुई और कर्जे की राशि में बढ़ोतरी हुई। काम करने में कमी हुई तो मैं सोचता हूं यह बड़ा रिफलेक्शन है कि प्लान कहां से चला, लोगों की क्या एप्रोच थी, क्या संस्कार सेक्शन्स के थे, इस तरफ ध्यान नहीं था। इनकी समस्याओं का किसी ने विश्लेषण नहीं किया। विश्लेषण करने के बाद उनका किस तरह हल ढूंढ़ना है, कहां डेवलपमेंट करना है, किस तरह करना है–इस तरफ ध्यान नहीं था। इसलिए इस कम्युनिटी में, मान्यवर, सारे हिन्दुस्तान में यह भावना पैदा हो गई कि हम अलग हो जायं। तभी हमें अमेंडमेंट करना पड़ा संविधान में कि कहीं नागाज़ की तरह ये कौम अलग प्रदेश की मांग न करने लग जायं। मेरा आब्जर्वेशन है कि जिस तरह रिज़र्वेशन किया है, जिस तरह नई क्लास पैदा कर दी है सारे हिन्दुस्तान में, इनके लिए सीट रिज़र्व हैं, ये लोग पंच, सरपंच, एम० एल. ए. और कोऑपरेटिव के मेम्बर हैं। यह साफ दिखाई देता है कि वे किस तरह से अपने वेस्टेड इन्ट्रेस्ट बना कर बैठ गये हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर इनकी सामाजिक हालत न सुधरी, तो हो सकता है कि हिन्दुस्तान के नेशन में वीकी सेक्शन हो जाय। यह खतरा हमें मालूम पड़ता है, यह खतरा भयंकर रूप न ले ले-इसलिए हमारा एप्रोच है कि भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का हरिजनों की स्थिति को सुधारने का यह तरीका गलत है। मैं समझता हूँ कि इनकी सामाजिक हालत

(श्री केदारनाथ)

और आर्थिक हालत में सुधार हो । आपका प्लान इस तरह का हो कि जो डिस्पेरिटी ऑफ इन्कम है, उसको कम करने के और इनकी हालत को सुधारने के लिए इनको तरीके मिलें, उद्योग मिले, काम मिले–ताकि इनमें कॉन्फीडेंस पैदा हो कि ये समाज के हिस्से हैं, समाज के मजबूत और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आज यह भावना नहीं है। लोग कहते हैं और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोऑपरेटिव से इन्हें लोन दें। कौनसी कोऑपरेटिव ? आपने इनको इतना मौका नहीं दिया है कि ये सहकारी प्रयास कर सकें । आपने इनमें साइकोलोजिकल इफेक्ट पैदा नहीं किया है, आपने ऐसा वातावरण पैदा नहीं किया है कि इस रास्ते पर वे चलें। इन्हें सुबह से शाम तक मजबूरी करने से फुर्सत नहीं मिलती है, इनके घरों में इतने झगड़े हैं, समाज में इनकी गिरी हुई प्रतिष्ठा है– इसलिए वे कुछ समय बैठ कर बात नहीं कर सकते। ऐसी हालत में, मैं सोचता हूँ, कि कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव प्रयास से कोऑपरेटिव बना कर मनी लैंडर्स से इन्हें दूर कर दें, कान्ट्रेक्टर्स से इन्हें दूर कर दें और इनकी आर्थिक हालत में सुधार कर सकें–यह कोरी कल्पना है, प्लान में चर्चा है और कागजों में यह स्कीम हो सकती है । लेकिन ऐसी हालत में, जैसा मेरे दोस्त कल बोल रहे थे, उस समय मैं सोच रहा था कि जिस मशीनरी के साथ भीखाभाई काम करने जा रहे हैं, और जो पांच, साढ़े पांच करोड़ का खर्चा करना है, वह मशीनरी क्या आदिवासियों की भाषा बोल सकती है, वह उनकी आदत को पहचानती है, वह क्या उनकी मेन्टेलिटी को पहचानती है, क्या इनके पिछड़ेपन को दूर करने में नेक-नीयती है, क्या उनमें यह स्प्रिट है ? वह कहीं नहीं है । इस रिपोर्ट में से यही आवाज़ आती है कि आपके पास एडीकेट मशीनरी नहीं है । हम इस मशीनरी को उनसे फेमिलराइज नहीं कर सके हैं, हमरी–ओरियेन्टेशन नहीं कर सके हैं। इसलिए हमारी स्कीम फेल हुई है। और जितना अच्छा इफेक्ट होना चाहिए वह नहीं हुआ है, क्योंकि आपके पास मशीनरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान सरकार ये आंकड़े पेश नहीं कर सके कि कितने लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं; कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास तीन एकड़ से कम जमीन है, कितने खेतिहर मजदूर हैं ? यह हमारी सरकार आंकड़े पेश नहीं कर सकी। जिसके पास आंकड़े नहीं है, जिसके पास इस एरिया की मेन्टेलिटी की जानकारी नहीं है, जिसके पास समस्याओं का विश्लेषण नहीं है– मैं नहीं समझता कि वह समस्या को हल कर सकेंगे। लाजिमी मंत्री महोदय कहेंगे कि हम समस्याओं को हल करने वाले हैं, अभी मिनिस्टरों की एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें डिसाइड किया कि फलां रिकमन्डेशन को माना जाय और फलां फलां तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाय। मैं समझता हूँ, उनकी तरफ से यह एलान होगा और चर्चा होगी । मैं सोचता हूँ कि हम यहां सीरिअसली थिंक करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं और न मिनिस्टर सीरिअसली रिप्लाई करने के लिए आये हैं।

क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है, इसलिए मैं आखिरी बात निवेदन करूं, मान्यवर, हिन्दुस्तान की समस्या यह न हो;

(श्री केदारनाथ)

लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है कि बेकवर्ड इलाका जो है उसमें पर-केपिटा इन्कम सबसे कम है, उस सेक्शन की बहुत कम पर-केपिटा इन्कम है जो बोर्डर पर है। और जैसी मशीनरी आपको मिली है और जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं–उसके कारण जो फंड का एलोकेशन होता है उसका ३५ पर्सेन्ट यूटीलाइजेशन हमारे यहां होता है। इस रिपोर्ट में एक वाक्य है कि हर एक स्टेट में जितने फंड का एलोकेशन हुआ, जितना पैसा दिया गया उसका ३५ पर्सेन्ट यूटीलाइजेशन हुआ है। यह हालत है। मुझे विश्वास है कि चूंकि मिनिस्टर कन्सर्न्ड उस सेक्शन के हैं, और क्योंकि सोच रहे हैं नाम पैदा करने को, उनकी तरफ से एलान होगा वह इस बारे में होगा कि वे क्या करने जा रहे हैं, उनके पास कौनसी स्कीम है, और ढेबर भाई की रिपोर्ट है, जयप्रकाश की रिपोर्ट है, प्रोफेसर मलकानी की रिपोर्ट है उनकी सिफारिशों के संबंध में कहेंगे कि फलां सिफारिश को मानेंगे या फलां को इम्प्लीमेंट करेंगे। इतने स्कूल होंगे, इतने दवाखाने होंगे-यह उनका जवाब होना चाहिए। यह नहीं कि वे इस तरह का जवाब दे दें, और सरकार की पालिसी बयान करें। वैसे उनके पास सिवाय इसके कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में और पहली पंचवर्षीय योजना में इतना खर्चा हमने एलॉकेट किया, इतना किया-और कुछ नहीं है। इतने स्कूल खोल दिये, इतनी क्लास हैं और इतनी स्कालर शिप ग्रांट कर दी हैं, इतना रिज़र्वेशन कर दिया है–इसके अलावा इनका क्वालिटेटिव अफेक्ट होना चाहिए, इतने खर्चे का जो इम्पेक्ट होना चाहिए, इनकी सामाजिक कन्डीशन पर, आर्थिक कन्डीशन पर और इनकी मेन्टेलिटी पर, स्प्रिट पर, उसकी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे हाउस की एक कमेटी बने। वह टीम सर्वे करे सारे राजस्थान की कि कौनसे कम्युनिटी एरिया में कौनसे कार्य पर कितना खर्चा हुआ, क्या क्या समस्यायें हैं, उनमें से कौनसी गम्भीर समस्या हैं, अपनी कौनसी समस्यायें हैं–यह मैं सुझाव करना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट पर असेम्बली में डिस्कशन हुआ है, पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ है और जो मिनिस्टर कन्सर्न्ड थे, उन्होंने जवाब दिया है कि सारी रिकमन्डेशन्स मान ली हैं, जो स्टेट में जो इन्स्टीट्यूशन्स काम कर रही हैं, वे इस पर्पज में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, इसलिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट फेल होती है और जितना फंड देते हैं उसका यूटीलाइजेशन नहीं होता है, और जितना काम होना चाहिए वह नहीं होता है। इसके अलावा जो हीट होनी चाहिए, जो टेम्पो होना चाहिए वह कतई राजस्थान में ग्रो नहीं हुआ है और इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हो गई है। यह चीज है।

अब कन्सर्न्ड मिनिस्टर महोदय से आखिरी बात कह देता हूँ। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जमीन एलॉट करते हैं, जहां आबादी ज्यादा है उसके लिहाज से प्रायोरिटी देना चाहते हैं। मैं अर्ज कर दूं, जो आज तक एलॉटमेंट हुआ उसका क्या एवरेज है, क्या परसेन्टेज है? आपने ३० परसेन्ट को एलोट किया है। गंगानगर में जो हरिजनों की आबादी है, उसके ३० परसेन्ट को जमीन दी है। आज से दस साल के बाद मालूम पड़ा है कि ३० परसेन्ट २५ परसेन्ट के पास जमीन नहीं है और

केवल ५ परसेन्ट उस जमीन को होर्ड कर सके हैं। क्या कारण है इसका ? आपने इकोनोमिक होल्डिंग नहीं दी। इस कारण जो आपने जमीन दी, उसके अन्दर उनको घाटा हुआ। उनको आपने साधन नहीं दिये। फिर वे काश्त कैसे करें ? वे हल रखें, दो बैल रखें और साधन जुटायें और फिर मंत्री साल भर के बाद कीमत नहीं भर सकेंगे। आज यह हालत है, पाकिस्तान से आने के बाद जिन हरिजन लोगों को बसाया उनकी भी यही हालत है। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी। यह कहना आसान है कि मनी लेंडर बिल आने वाला है, उसको पास करने के बाद इन लोगों को मनी लेंडर्स के चंगुल से निकाल दिया जायगा। मैं नहीं समझता कि जब तक आप alterative adequate opportunties (मशीनरी में क्रियेटिविटी) पैदा नहीं करते हैं,, जब तक इनकी आर्थिक हालत नहीं सुधरती है जब तक एक हवा पैदा नहीं करते हैं, जब तक एक स्प्रिट पैदा नहीं होती है तब तक इन्हें मनी लेंडर्स के चंगुल से या कॉन्ट्रैक्टर्स के चंगुल से नहीं हटा सकते। इसके साथ ही पोलिटिकल एक्सप्लोइटेशन से नहीं बचा सकते। आज उनका एक्सप्लोइटेशन होता है, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है। हरिजन और आदिवासी हैं वे एक ग्रुप लीडर के पीछे रहने वाले हैं। इस कारण जो नॉन ऑफिशियल एजेन्सीज़ हैं, उनके अन्दर जो लीडर हैं वे किसी तरह अपना पद बनाये रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीच में एक बार्गेन किया है, हरिजनों और आदिवासियों की ईमानदारी, इज्जत का और खुले आम राजनैतिक एक्सप्लोइटेशन करने के प्रयत्न किये हैं। वह लीडरशिप जब तक खत्म नहीं होती उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती।

क्योंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए एक शब्द कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम हिन्दुस्तान की हालत देखें या राजस्थान की हालत देखें–सब जगह यही चीज है। आज आप चाहते हैं कि इनकी आबादी के लिहाज से इन्हें सर्विस मिले, इनकी आबादी के लिहाज से इन्हें जमीन का अलॉटमेंट मिले, साथ ही साथ जो स्कीम है इनको बसाने के लिए, जो स्लम क्लीयरेन्स की बात है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप गांवों में चले जाइये, गांव के कोने में जो झोंपड़ी दिखती हो, जो झुग्गी दिखती हो तो वह हरिजन की होगी। इसी तरह से आप शहरों में चले जाइये, वहां एक तरफ आपको झोंपड़ी या झुग्गी मिलेगी। म्यूनीसिपैलिटी में गवर्नमेंट की तरफ जो नुमाइन्दे भेजे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, उनकी हिदायत है कि सारी झुग्गियों को वहां से हटा दें, सारी झोंपड़ियों को वहां से हटा दें। मैं नहीं सोचता, राजस्थान सरकार या उस इलाके के जो भीखाभाई हैं वे यह पसन्द करते हैं, उनका यह मन्तव्य है, कि जो झुग्गी या झोंपड़ी जिस जगह शहर में है, वह वहां नहीं रहे। वह वहीं रहेगी, लेकिन उसको पक्का कराया जाय, और उसका उससे पैसा ले लिया जाय और उस पैसे को इस ढंग से लिया जाय कि किश्तों में वह भर सके। मैं सोचता हूं, यह होना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अलग अलग छात्रावास नहीं हों। मुझे अनुभव है

(श्री केदारनाथ)

छात्रावास किस तरह से चलते हैं। मुझे एक्सपीरियेन्स है, हॉस्टल में क्या लाइफ होती है, क्या खाने को मिलता है होस्टल्स में। मुझे मालूम है, संस्कार केन्द्रों में क्या होता है। जो आश्रम बनाये हैं, जो बस्तियां बनाई हैं, उनमे क्या हुआ, कितना पैसा एलाट किया गया, कितने बीच के लोग खा गये, कितना नॉन ऑफिशियल एजेन्सी खा गई। इनकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर है।

(समय–समा सूचक घंटी

आखिरी शब्द मैं कह दूं, मिनिस्टर कन्सर्न्ड इस हाउस में एलान करेंगे, झुग्गी-झोंपड़ी के बारे में, लैंड के एलोटमेन्ट, के बारे में, रिज़र्वेशन के बारे में।

आखिर में यह कहूँगा कि अगर कांग्रेस सरकार यह समझती हो कि १० वर्ष पहले बढ़ा दिये और १० वर्ष बाद में बढ़ा दें तो हमारी मिनिस्ट्री कायम रहेगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि आपके इस प्रकार के रवैये से आपकी मिनिस्ट्री कायम रह सकती है। आप राजस्थान में जो दावा करते थे कि सारे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के वोट जो ५० प्रतिशत से ज्यादा हैं आपको मिल जावेंगे लेकिन वे आपको मिले नहीं। आप किसी और कारणों से जीत गये हैं, लेकिन हरिजनों के प्रोब्लम को लेकर नहीं जीते हैं। इसलिये मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप अपनी पोलिसीज़ को देखें और उसके बाद आप अपने ऐलानों को सुनावें। अन्यथा आपके एलानों को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट ६वीं और १०वीं विचारार्थ प्रस्तुत है। मैं सदन का ध्यान ६वीं रिपोर्ट के बारे में दिलाना चाहूँगा। यह सर्व विदित है कि इस समय सरकार के सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है बेरोजगारी का और उसको दूर करना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिये तरह तरह के उद्योग खोले जावें, जिनका इस रिपोर्ट में उल्लेख है और मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। पैज १८६ में कुटीर उद्योग के विकास के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बारे में मैंने कुछ अध्ययन किया है। इसमें बिहार प्रान्त है, उसका जिक्र किया है। उसमें प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों का जिक्र किया गया है। वहां पर १३ केन्द्र चलते हैं :

१. बढ़ईगीरी।
२. टोकरी बनाना।
३. रस्सी बनाना।
४. मधुमक्खी पालन।
५. हाथ-कर्घा बुनाई।
६. दर्जीगीरी।
७. लौहारगीरी।
८. साबुन बनाना।
९. तेल निकालना।
१०. टसर गुल्ले बनाना, कातना, बुनना, व बाढ़ना।
११. दरी बुनना।
१२. दरी बुनना।
१३. चमड़ा रंगना।

(श्री गोकुलचन्द)

ये १३ प्रकार के काम सिखाये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बीच में सदन के सभी माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि ७॥ बजे से सरकारी पक्ष का उत्तर होगा । इसलिये प्रत्येक सदस्य दस दस मिनट लें तो ज्यादा सदस्य बोल सकेंगे ।

श्री भीखाभाई (समाज कल्याण मन्त्री) : हमारी सरकार ने भी खोले हैं।

श्री गोकुलचन्द : अगर हमारी सरकार ने खोले हैं तो बहुत खुशी की बात है । मैंने जो बात इसमें अध्ययन की है वह बता रहा हूं और निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार से केरल, मद्रास और मैसूर में प्रशिक्षण चलते हैं । उत्तर प्रदेश व उड़ीसा आदि में भी देखा है और उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बिहार में छात्रों को शिक्षा-काल में २५) रु० छात्रवृत्ति दी जाती है । इसी प्रकार केरल और मध्यप्रदेश में भी प्रशिक्षण का प्रबन्ध है और लोगों को सहायता भी दी जाती है। मध्यप्रदेश में जब वह प्रशिक्षण समाप्त करता है तो उसको ४००) रु० उद्योग में लगाने के लिये दिये जाते हैं । इसी प्रकार केरल में छात्रवृत्तियां २५) रु० मासिक की दर से और बस का किराया दिया जाता है । मद्रास में एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है, यानी ३०) रु० मासिक पड़ता है और प्रशिक्षण-काल ६ महीने का होता है और महिलाओं को प्रतिदिन ७५ नये पैसे की दर से मिलता है । मैसूर में २५) रु० मासिक छात्रवृत्ति मिलती है और इसके अतिरिक्त ११) रु० मासिक और दूसरे उद्योगों के लिए, ५) रु० मासिक पाठ्य शुल्क व जब वह शिक्षार्थी ट्रेनिंग लेकर जाता है तो उसको एक सिलाई की मशीन देने का प्रस्ताव है । यह मशीन उसको फ्री देने का प्रस्ताव है । इसके बाद उड़ीसा में आप देखेंगे कि अन्य उद्योगों के साथ ईंटें व खपरैल बनाना भी है । केरल में बहुत सुविधाएं हैं । वहां ३०) रु० मासिक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । राजस्थान सरकार को चाहिये कि ईंटें और खपरैल यहां पर भी बनावे व अन्य प्रशिक्षण केन्द्र भी खोलें और छात्रों को छात्रवृत्ति दें । लेकिन आप पेज १८९ और १९० पर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान और दूसरे प्रान्तों में छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उसमें बहुत अन्तर है । जहां दूसरी जगह २५) और ३०) रुपये दिये जाते हैं वहां हमारे यहां राजस्थान में केवल १५) रु० की छात्रवृत्ति मिलती है । इसलिये मैं राजस्थान सरकार से कहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें ।....

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार से १५) रु० नहीं मिलते, २५) रु० मिलते हैं ।

श्री गोकुलचन्द : आप २५) रु० तो अजमेर में देते हैं और दूसरी जगह नहीं देते हैं ।

श्री भीखाभाई : सारे राजस्थान में देते हैं।

श्री गोकुलचन्द : इस रिपोर्ट में लिखा है कि राजस्थान क्षेत्र के केन्द्रों के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को १५) रु० मासिक छात्रवृत्ति

(श्री गोकुलचन्द)

और अजमेर क्षेत्र के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ३०) रु० व २५) रु० मासिक।

यह रिपोर्ट १९५९–६० की है।

श्री भीखाभाई : सब जगह है।

श्री गोकुलचन्द : अगर है तो ठीक है। आपको अन्य उद्योग यहां पर चलाने चाहिये; जैसे छींट, छपाई, फिटर, बिजली मिस्त्री, नल–कूप का काम; जैसे उत्तर प्रदेश में चलाये जाते हैं उसी भांति राजस्थान में भी होने चाहिये और राजस्थान सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

उत्तर प्रदेश में २५) रु० मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है उसके साथ साथ ५) रु० मासिक प्रशिक्षण अनुदान, निःशुल्क निवास और औषधि चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर में ३०) रु० और नैनीताल में ३५) रु० मिलते हैं।

अब मैं सहकारी समितियों को रियायतें जो आंध्र प्रदेश में मिलती हैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

शेयर कैपिटल की अदायगी के लिए २५) रु० प्रति सदस्य की दर से बिना ब्याज का ऋण देना जो दो वर्ष में वापिस लिया जाता है।

समितियों के संचालन में निःशुल्क आवश्यक सहायता करने के लिए सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति करने को सहमत हो गई है और जहां आवश्यक हो जंगल कूप समितियों को १ लाख रुपये का ऋण देने के लिये भी सहमत हो गई है, जहां हरिजनों की सहकारी समितियें हों। सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि जंगल कूप-समितियों को रियायती शर्तों पर जंगल कूप दिये जायं। इसकी दर प्रत्येक मामले में अलग अलग बिना टेन्डर मांगे हुए उस नीलाम के आधार पर होनी चाहिये जो उससे पिछले वर्ष रखी गई थी। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश ने व्यवस्था की है, लेकिन यहां राजस्थान में इस प्रकार की बात नहीं है। राजस्थान में ४७ समितियें हैं और हर साल हम देखते हैं कि कीमत तय करने का झगड़ा पड़ जाता है। इसमें शेयर केपिटल को निकाल दिया है।

श्री भीखाभाई : सब सही तरह से यहां भी है।

श्री गोकुलचन्द : अलवर में तो कम से कम इस तरह का नहीं हो रहा है। इसके अलावा गृह भूमि और स्वामित्व अधिकार मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में लिखा है कि जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है वहां प्राइवेट जमीनें सरकारी लागत पर प्राप्त की जाती है और चलती-फिरती पिछड़ी जातियों को मकान निर्माण के लिए दी जाती है। सरकार ने एक योजना स्वीकृत की है जिसके मातहत ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य प्राइवेट जमीनें अनु–सूचित जातियों के मकानों के लिए खरीद ली जावेंगी। ऐसी जमीन सामान्यतः प्रति परिवार को गुण्ठे से अधिक नहीं होगी और उसकी कीमत २००) रु० से अधिक नहीं होगी; लेकिन राजस्थान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और यहां की ग्राम

(श्री गोकुलचन्द)

पंचायतें हरिजनों को भूमि देने में सर्वथा असफल रही है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

नीलाम करने का प्रावधान उनके हित में नहीं है। क्योंकि ऊंची बोली देकर हरिजनों के लिये जमीन लेना मुमकिन नहीं है। सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि पिछड़ी हुई जातियों को मकानों के लिए शीघ्र सरकारी जमीन दी जाय। इसकी तरफ में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त की ९ वीं और १० वीं रिपोर्ट सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुई है। जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मुझे अफसोस है कि इस रिपोर्ट में जो क्रांतिकारी परिवर्तन होने चाहिये समय और मौजूदा हालात को देखते हुए होने चाहिये वे इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं हैं। इस रिपोर्ट में कहीं वर्ग संघर्ष की बात नहीं है, इस वर्ग के मेल-मिलाप की बात नहीं है। कुछ हृदय-परिवर्तन के भाषण हैं और इस रिपोर्ट में बिल्कुल इस तरह की लीपा-पोती की गई है कि जिससे बुनियादी समस्या है उसका पता नहीं चलता। बुनियादी समस्या को कहीं भी टच तक नहीं किया गया है जितने भी समाज कल्याण के कार्य मुख्यत: हुए हैं वे तमाम इस तरह के हैं कि हिन्दुस्तान में नारे बाजी करते रहे हैं, नेताओं को बुलाते रहे हैं और इस तरह से छोटे से लेकर बड़े कामों पर रूपया यों ही खर्च करते रहे हैं जिससे छोटे छोटे काम फैल हो जावें और काम करने वाले निराश हो जावें। छोटे छोटे उद्योग बड़े बड़े उद्योगों के मुकाबले में खड़े नहीं रह सकते; जैसे तेल का उद्योग पनप नहीं सकता, इसी तरह से साबुन का छोटा कारखाना चल नहीं सकता। जिस तरह की वे सहायता देते हैं उससे उनका इस कॉम्पीटीशन में कोई उद्धार नहीं हो सकता। उनकी बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकती, उनका सामाजिक स्तर ऊपर नहीं उठ सकता, उनके साथ छूआछूत का भेद-भाव किया जा रहा है उसमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है। थोड़ी बहुत बातों का जिक्र किया भी है, यह मैं मान सकता हूं। अभी मुख्य मंत्रीजी साहब बोल रहे तो वे उस समय से मुकाबला करते हैं जब राजाओं का राज्य था, विदेशी शासन था, हम गुलाम रहते थे। गुलामी से आजादी मुकाबला किया जाता है! इसमें फर्क दिखा कर हमें खुश करने की कोशिश की जाती है, दूसरों को खुश करने की कोशिश की जाती है।

श्री भीखाभाई : इसके लिये माननीय सदस्य क्या सजेस्ट करते हैं ?

श्री हरिराम चौहान : अभी बताता हूं, सब्र रखो, जल्दी मत करो।

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह का सुझाव दे रहे हैं, उससे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी समस्या हरिजनों की कोई है तो यह है कि उनको रोजगार दो, काम दो। मुख्य बात यह नहीं कि उन्हें मन्दिरों में चढ़ाया जाय। नहीं जरूरत है हमें मन्दिरों की, हम मन्दिरों

(श्री हरिराम चौहान)

में नहीं चढ़ना चाहते, हम चढ़ना चाहते हैं इन गद्दियों के ऊपर, हम चढ़ना चाहते हैं इन कुर्सियों के ऊपर। हमको जरूरत नहीं है उन मन्दिरों को, वे मन्दिर आपको ही मुबारिक हों, या जो पुजारी हैं उनको मुबारिक हों, उन मन्दिरों में चढ़ने से हमारी कोई भूख नहीं मिट सकती, न हमारी छूआछूत ही मिट सकती है। यदि हमारी छूआछूत मिटाना है तो बुनियादी तौर पर हमें काम देना होगा। कोई भी सरकार हो उसकी यह गारन्टी होनी चाहिये। सोलह साल करीब आजादी मिले हुए हो गये। जो सरकार सोलह साल के अन्दर इन हरिजनों के सिर के ऊपर से मैला उठाना बन्द नहीं कर सकी उस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो सरकार दावा करती है कि समाजवादी समाज का निर्माण करेंगे, असमानता को खत्म करेंगे, इस प्रकार का दावा करने वाली सरकार १६ साल से वह सरकार राज्य कर रही है और मुझे अफसोस है कि मेहतर उसी तरह मैले की टोकरी सर पर लेकर बाजार में से निकलते हैं। १६ साल की आजादी के बाद भी कोई मंत्री खड़े होकर कहें कि हिन्दुस्तान में लोग जूठन खाकर गुजारा नहीं करते? आज भी लोग जूठन खाकर गुजारा करते हैं और दूसरी तरफ वे लोग जो हरिजनोद्धार का नाम लेकर, हरिजनों के ठेकेदार बनते हैं, हरिजनों की सेवा का दम भरते हैं वे लोग एशोइशरत करते है, दूसरी तरफ हरिजन लोग जूठन खाकर गुजारा करते हैं। हम सवाल यह पूछते हैं कि एक मंत्री के बंगले पर ३३ हजार रुपये खर्च हो जाते हैं, मुख्य मंत्री के बंगले पर ३३ हजार मरम्मत वगैरह में खर्च हों और दूसरी तरफ हरिजन जूठन खाकर गुजरा करें, यह कैसा समाजवाद? क्या यही आपके समाजवाद का नमूना है?

श्री हरिराम घारू (सिवाना–सु०) : Point of Order, जो माननीय सदस्य ने बात कही है....

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है या पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन?

श्री हरिराम घारू : ये गलत बात बता रहे हैं। जूठन कभी की छोड़ रखी है। सरकार हरिजनों के लिये सब कुछ कर रही है। इनने कहा कि मैला सिर पर उठाते हैं। मैला तो सब बहिनें-माताएं उठाती हैं, तो मैला भी उठावें सिर पर तो मैला उठाने से आदमी गन्दा नहीं हो जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष, यह तो पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं, पोइन्ट ऑफ मक्खन है।

श्री उपाध्यक्ष : That is no point of Order.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम निश्चित कर दीजिये, अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक शंका पैदा हो गई है..

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : माननीय सदस्य ने कहा था कि गद्दियों पर चढ़ना चाहते हैं तो वे गद्दी बता दें कि वे कुम्हार की गद्दी पर चढ़ना चाहते हैं या किसी और गद्दी पर ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मैं इन गद्दियों पर बैठाना चाहता हूं । सोलह साल के बाद भी इस सरकार से लिस्ट लें कि कितने हरिजन और आदिवासियों को इसने इन गद्दियों पर, इन कुर्सियों पर बैठाया है । वैसे साढ़े बारह परसेंट रिज़र्वेशन रखा हुआ है, पर मुख्य मंत्री ने बताया कि कहीं पर भी नहीं है, फोर्थ क्लास कर्मचारियों के लिए कहा कि पूरा कर दिया है; पर वह पचास-साठ रुपये की नौकरी है । पचास-साठ रुपये में दूसरे लोग काम करने को तैयार नहीं हैं । सस्ते से सस्ता इन लोगों के सिवा मिल नहीं सकता, इसलिए इनको रखा है । हर उद्योग में यही होता है, हर सेठ अपने मिल में सस्ते से सस्ता मजदूर मिलेगा, उसे रखने की कोशिश करेगा । हमारी सरकार भी बनिये की दूकान है, सस्ते से सस्ता मजदूर, हरिजन आदिवासी मिल सकता है इसलिये इनको इन कम तनख्वाह की नौकरियों पर रखा है । जब हम पूछते हैं कि आपके सेक्रेटेरियेट में हरिजन आदिवासियों में से कितने सेक्रेटरी हैं, कलेक्टरों में कितने कलेक्टर हैं तो कहते हैं कि इनमें अनुभव नहीं, योग्यता नहीं । किस तरह का अनुभव, किस तरह की योग्यता आप चाहते हैं ? पहले कलेक्टर बनाओ, सेक्रेटरी बनाओ, फिर अनुभव मांगो, फिर देखो कि इन्हें अनुभव होता है कि नहीं । आप मास्टरों को अनट्रेन्ड लेते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं, इसी तरह से इन्हें भी ट्रेनिंग दें । साढ़े बारह परसेंट जो तुम कहते हो वही हम मांगते हैं, उससे ज्यादा नहीं मांगते । हालांकि चाहिये तो यह कि ज्यादा मांग करें । पर हम तो आपकी घोषणा के मुताबिक सोलह साल बाद आपसे यह हिसाब लेना चाहते हैं कि हर सीट पर साढ़े बारह परसेंट हैं कि नहीं ? अगर नहीं हैं तो आपको कहना चाहिये कि यह हमारी कमजोरी है, हमारी अयोग्यता है और आज आप जितना ढोंग रचते हैं वह कोई ठीक चीज़ नहीं है ।

अब मैं कुछ जमीनों के बारे में कहना चाहता हूँ । जो सरकार का हरिजनों के प्रति प्रेम है, उसकी मिसाल देकर बताता हूँ । हमारे यहां अलवर में और भरतपुर में पट्टेदारों की समस्या है और पट्टेदार भूमिहीन किसान हैं जो कि ९० फी सदी हरिजन हैं । किसी के पास डेढ़ बीघा, किसी के पास दो बीघा, किसी के पास ५ बीघा, तो किसी के पास ८ बीघा जमीन है और इसी तरह की जमीनें शरणार्थियों के पास हैं । शरणार्थियों से डेढ़ सौ रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ मांगते हैं और हरिजनों से जो कि गरीब हैं, सताये हुए हैं, हर साल आपको वोट देते आये हैं, हर साल सरकार की घोषणाओं पर अमल करते आये हैं, हर साल मन्त्रियों के, सरकार के जलसों में जाते हैं, हर काम सरकार के आदेश से करते हैं, उनसे साढ़े चार सौ रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ मांगते हैं । यह महकमा मुख्य मन्त्री के पास है । इन लोगों ने बार-बार उनके पास मांग की है, जुलूस निकाले हैं, पर मुख्य मंत्रीजी उसे मानने से इन्कार करते हैं ! शरणार्थियों से डेढ़ सौ रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ और हरिजनों से उसी जमीन के साढ़े चार सौ रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से लेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स से क्या सम्बन्ध बैठाते हैं ?

श्री हरिराम चौहान : आप इन्हें जमीन देने की घोषणा करते हैं, इस रिपोर्ट में बहुत सजेशन्स हैं कि हरिजनों को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीनें देनी चाहिये। आपके बड़े–बड़े भाषण होते हैं कि हमने मुफ्त में जमीनें हरिजनों को दी हैं ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह इवेक्यूई पूल की जमीन है या इवेक्यूई पूल के बाहर की जमीन है ?

श्री हरिराम चौहान : उस पर राजस्थान सरकार अब मालिक है। इसका सेन्टर पहले मालिक था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : आज भी हम मालिक नहीं हैं।

श्री हरिराम चौहान : उन्होंने जमीन की ज्यादा कीमत देना भी मान लिया है, मालिक चाहे राजस्थान सरकार हो....

श्री उपाध्यक्ष : समय हो चुका है। दूसरे सदस्यों का भी ख्याल रखना पड़ेगा।

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ जो हमारे ऊपर लागू होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी हालत इस सरकार ने क्या कर रखी है ? एक कूंजड़ा था वह अपनी गधी पर बहुत ज्यादा बोझ लादता था। वह एक हरी घास की पूली रखता था और उस पूली के अन्दर एक डंडा रखता था। जब गधी नहीं चलती थी तो वह उसे पूली दिखा देता था और कहता था कि थोड़ा और चलो, फिर तुझको यही पूली दूंगा। फिर भी अगर वह नहीं चलती थी तो उसे डंडे से मारता था। आज वही हालत हमारी इस कांग्रेस सरकार ने कर रखी है। आपके बोर्डिंग हाउस बनते हैं। आप थोड़े से वज़ीफे दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि देखो आप में से एक मंत्री भ बनाया गया है। फिर उसको हटा देते हैं और दूसरे को बिठा देते इस तरह की पूली बना रखी है। इसलिए आपने चुनाव के अन्दर इनसे काफी वोट ले लिए। आठ आने फी आदमी पर खर्च करते और बड़ा कीमती वोट ले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्षजी : Now you have finished, I think.

श्री हरीराम चौहान : दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। बाकी सब बातें रह गई। हमारी सरकार कहती है कि हम विकास करेंगे शहरों का। जालोर की एक रिपोर्ट मिली है कि भीलों ने कर्जा मांगा बस्ती बनाने के लिए, तो उनको दो साल हो गए लेकिन कर्जा नहीं दिया। अब उनको नोटिस दिया गया है कि आप यहां से चले जाइये क्योंकि यदि आप लोग रहेंगे तो हमारा शहर शोभा नहीं देगा। उनको बाहर भेजा जा रहा है और उनको जालोर के अन्दर वहां की म्युनिसिपैलिटी ने....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय सदस्य, रोंग फैक्ट्स स्टेट कर रहे हैं। यह एक कॉलोनी छोड़कर नई कॉलोनी बसाने का सवाल है।

श्री हरिराम चौहान : असेम्बली के अन्दर सरकार की तरफ से आश्वासन है कि उनको बसाया जायगा। किशनगढ़, तहसील अलवर में हरिजन १०० फीट ऊंचाई पर पहाड़ी पर रहते हैं। अगर समाज कल्याण मंत्री को वहां पर चढ़ाया जाय तो वह भी वहां चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो उनको नीचे बसने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Shri Vijaypal. Five minutes.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कुछ समय बढ़ाया जाय तो क्या हर्ज है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगर माननीय सदस्यों की राय हो तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के ऊपर पांच मिनट बोलने का समय दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि सदन का कुछ समय बढ़ाया जाय क्योंकि यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण चालू करें।

श्री विजयपाल कटारा : आज आदिवासियों के नाम पर जो पैसा राजस्थान सरकार मदद के रूप में दे रही है उसका कम से कम २५ प्रतिशत भ्रष्टाचार के अन्दर जा रहा है। आज आदिवासियों के अन्दर कम से कम पढ़ाई तो जरूर हुई है, लेकिन वे सिर्फ आठवीं या दसवीं करके रुक जाते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जा रही है उसके अन्दर ३० या ४० रुपये तक की वृद्धि की जाय क्योंकि २५ रुपये बहुत थोड़े हैं। इन थोड़े से पैसों से उनके लिए आगे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। महंगाई का टाइम है। आप भी सोच सकते हैं कि अच्छी पढ़ाई के लिए विद्यार्थी को क्या सुविधायें मिलनी चाहिए। कम से कम हमको सिर्फ अच्छा भोजन, कपड़ा और रहने के लिए मकान मिल जाता है तो आदिवासी के अन्दर पढ़ने की काफी हिम्मत होगी। लेकिन आज खाने के लिए बड़ी मुश्किल से मक्की और महुए मिलते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार ने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया है। काम हुआ है, लेकिन बड़ी मंद गति से चल रहा है। उस काम को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कम से कम आदिवासियों के लिए एक अलग सी परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि सीनियोरिटी के हिसाब से परीक्षा में बैठने की सुविधा है इसमें परीक्षा में नहीं आ सकता है। आदिवासियों की परीक्षाओं के लिए विशेष रिक्त-स्थान व अधिकार मिलने चाहिए ताकि वे पूरा लाभ उठा सकें। वैसे तो पूरा अधिकार मिला है समाज कल्याण विभाग की तरफ से; इस विभाग से जो रकम मिलती है वह हम पर पूरी खर्च की जाय। आज इस रकम से बड़े २ अधिकारी, डाइरेक्टर्स और दूसरे कर्मचारी पलते हैं। आपने आदिवासियों के लिए कोलोनी बनाने के लिए योजना बनाई, लेकिन आदिवासियों की यह स्थिति है कि आदिवासी इकट्ठे होकर वहां रहना कभी पसंद नहीं करेंगे। जहां उनकी दो-तीन बीघा जमीन

(श्री विजयपाल कटारा)

पहाड़ी पर होगी वहां पर जाकर बसना पसंद करेंगे। आज जहां जहां भी कोलोनीज़ बनी हैं वहां जाकर देखें तो बहुत कम आदिवासी रहते हैं। जैसे खेरवाड़ा में जमीन है, राता-पानी, बिखुपली, जोरापुरा में जाकर उनकी दशा देखिए। आपने खेती करने के लिए बड़े बड़े हल दे रखे हैं, औजार दे रखे है, लेकिन सब सड़ रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि खेती करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं हैं। आज तक आपने कोई ध्यान नहीं य आदिवासी चिल्लाते हैं। लेकिन आज उनकी कोई सुनाई नहीं करता है। एक आदि-वासी प्रतिनिधि होने की हैसियत से मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वहां आदिवासियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। राजनैतिक हैसियत से एड दी जा रही है। तो आज मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आदिवासियों में रहे हैं, आपने भ्रमण किया है, इसलिए अधिक से अधिक आदिवासियों के कल्याण के लिए आप ध्यान देंगे।

जो अध्यापक समाज कल्याण विभाग में सर्विस कर रहे थे उनको आपने पंचायत समिति मे अलॉट कर दिया। उनका फिक्से-शन नहीं हुआ है। ग्रेड नहीं बढ़ायी है और कईयों की तनख्वाहें भी अभी तक बाकी हैं। एक आदिवासी डूंगरपुर रह कर जयपुर को कागज लिखता है, लेकिन माह निकल जाता है कोई जवाब तक नहीं मिलता। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यल्ड ट्राइब्स के लिए अलग विभाग कायम कर दिया है तो फिर उस ओर ध्यान देना चाहिये। आर. ए. एस., आई. ए. एस. की परीक्षाओं में विशेष कर भोजन चाहिए। इन पर ही अधिक खर्चा होना चाहिए, अटम-सटम खर्चा जरूर किया जा रहा है, लेकिन प ई के लिए जो खर्चा होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इसलिए इसके लिए अधिक पैसा खर्चे होना चाहिये। इसी से आदिवासियों और हरिजनों की उन्नति कर सकते हैं। पढ़ाई में खर्चा न करके, मकान व कुए बनाने के लिए जो भी पैसा आ रहा है वह भी ठीक प्रकार से उपयुक्त ढंग से खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सर-कार से निवेदन करूंगा कि इस ओर पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिये। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, इन्टरव्यू के समय जाना चाहिए ताकि आदिवासियों का ध्यान रखें, उनकी कोई रिपोर्ट तक नहीं पहुंचती। उनके पास भी पूरे अधिकार नहीं है। न तो शिक्षा विभाग बुलाता व अन्य विभाग; कम से कम लिस्ट मंगानी चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप भी तो आश्रम में पढ़े हो।

श्री विजयपाल कटारा : मैं भी गांधी आश्रम में रह कर पढ़ा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री विजयपाल कटारा : १२ परसेन्ट के हिसाब से नौकरियों के अन्दर लेने के लिए रखा है और मुख्य मंत्री साहब ने इस बात को रखा है, लेकिन १२ परसेन्ट के हिसाब से भी नहीं लिये जा रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : सेवा सदन के अन्दर·······

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री विजयपाल कटारा : पुलिस विभाग क्या, समाज कल्याण विभाग क्या, निर्माण विभाग क्या, शिक्षा विभाग क्या, लिस्ट उठा कर देखिये कि उनमें कितने आदमी हैं ? मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वयम् ही देख लीजिये कि उदयपुर से लेकर सीमलवाड़ा तक ये चल रहे हैं, छात्रालय में कितने आदिवासी व्यवस्थापक हैं, आदिवासी सेवक संघ में आदिवासी मंत्री, अध्यक्ष, आदिवासी कितने हैं ? लेकिन दूसरी संस्थाएं चल रही हैं उनमें कितनों को लिया गया है ? कोई लाल है, कोई शर्मा है। एक भी आदिवासी नहीं है। अलग अलग ढंग के नामों से पुकारते हैं। अपने कल्याण के अलावा कोई धन्धा ही नहीं अपनाया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ समय और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप दस मिनिट बोल चुके हैं।

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजयपाल कटारा : तो मैं निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय मंत्री।

(विराम)

मैं समझता हूं, सदन यह मान्य करेगा कि जब तक माननीय मंत्री का भाषण समाप्त न हो जाय समय बढ़ा हुआ माना जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इधर बोलने वालों की मांग थी कि इसके लिए समय बढ़ाया जाय, लेकिन आपने समय बढ़ाया नहीं। उधर जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने समय बढ़ा दिया और ५ मिनिट और दे दिये।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों की यह मंशा हो कि टाइम बढ़ाया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पहले कहा था कि समय बढ़ाया जाय।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

जब तक माननीय मंत्री का भाषण समाप्त न हो जाय तब तक समय बढ़ा हुआ माना जाय !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव जब पेश हुआ था और जिस समय विरोधी दलों को कुछ समय और जवाब देने के लिए बढ़ाने की मांग की गई थी तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था और यह कह कर एक परम्परा डाली गयी थी कि ८ बजे तक मंत्री महोदय का

(श्री भैरोंसिंह)

भाषण हो जाना चाहिये और समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिये, तो अब किस प्रकार से हम उस परम्परा के खिलाफ जा सकते हैं और क्यों ८ बजे के बाद माननीय मंत्री का भाषण सुनें ?

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा यह है कि सरकारी पक्ष की ओर से जितने भी माननीय सदस्यों से सुझाव, अभाव-अभियोग आते हैं उनका उत्तर मिलता है वह हमको ग्रहण करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इस परम्परा का तो हम विरोध करेंगे। आप यह परम्परा डालें...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जवाब दिया जा रहा है उसको सुनें तो सही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब वक्ताओं के बोलने का सवाल हो, आदिवासियों के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ जब टाइम बढ़ाने की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मंत्री महोदय को जवाब देना है और समय नहीं है। जब मंत्री महोदय जवाब दें तो टाइम बढ़ाया जाय; यह कहां का न्याय है ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो समय है। माननीय मंत्री को भाषण देने दिया जाय।

श्री भीखाभाई (समाज कल्याण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो दिन से बहुत ही ध्यान-पूर्वक कमिश्नर फोर शिड्यूल्ड कास्ट्स एन्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स की १९५९-६० और ६०-६१ की जो रिपोर्ट्स है और जिनको मैंने यहां सदन में प्रस्तुत किया था उनके सम्बन्ध में जो बहस हुई वह सुनी। बहुत से सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये, जो रचनात्मक तरह के थे उनको मैं बहुत ही पसन्द करता हूँ और मैं सोचूंगा कि उनका क्रियान्वन राज्य सरकार के द्वारा किया जा सके। उसके बाद में कुछ जो यहां पर बातें वैसे भी कही गयीं जो उस मौके के लिए मौजूं नहीं थीं और ऐसा लगता था कि कोई राजनैतिक चश्मा पहने हुए कुछ बातें कही गयी हों; मैं उनके सम्बन्ध में कुछ जवाब देना चाहूंगा इसके पूर्व, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बताना चाहूँगा कि यह बड़ा अहम सवाल है, यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो हरिजनों और आदिवासियों की समस्य है वह एक राष्ट्रीय समस्या है। देश की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं में इसका एक स्थान है और विशेषकर जब कि प्रजातन्त्र हो तो उसमें स्वाभाविक रूप से इस मसले का बहुत ही बड़ा असर रहता है।

बहुत पुरानी बात मुझे याद आती है कि आज हम लोग जो इस सदन में बैठे हुए हैं, जितने माननीय सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइब्स के हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम पहले किस प्रकार की स्थिति में थे और आज किस प्रकार की स्थिति में हैं। आज हम जो बातें यहां करते हैं वे बातें करने का क्या हमको अधिकार है ? इस खुले मुंह से हम बात कर सकते हैं क्या ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे आप क्षमा करेंगे, बहुत पुरानी बात है, मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे यहां ठक्कर बापा पधारे हुए थे, तो उन्होंने पहले पहले एक अलख जगायी थी। यह अलख क्या थी ? देश के अन्दर जो बड़े बड़े कार्यकर्ता थे उनका आह्-

(श्री भीखभाई)

वान किया था। आज हम जिस रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं उस रिपोर्ट पर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल बड़ों बड़ों को ही बुलाया या छोटों को भी बुलाया !

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये ।

श्री भीखाभाई : जिस रिपोर्ट पर हम बहस कर रहे हैं उस रिपोर्ट का जिक्र मैं करना चाहता हूं । जो रिपोर्ट यहां प्रस्तुत हुई है; उनका आधार है संविधान का आर्टिकल ३३८। ३३८ वे आर्टिकल का संविधान में किस प्रकार से समावेश हुआ, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : वे बातें तो आप पिछली बार बता चुके हैं।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) आप जब बोलते हैं तो पिछली बातों को ६६ परसेन्ट रिपीट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप क्यों गुस्सा कर रहे हो ! क्यों खफा हो रहे हो ! किसी को डराने के लिए ? मैं जानता हूं आपके जोश को ।

श्री भीखाभाई : जो आर्टिकल मैंने कहा है उसके लिए निवेदन करूं कि उस समय ठक्कर बापा उस इलाके में थे.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे इतिहास से क्या मतलब है ?

श्री भीखाभाई : जब कॉंस्टीट्युएन्ट असेम्बली में थे उसके सदस्य की हैसियत से वे घूमते थे । लेकिन वे अपने सब कामों को छोड़ कर आये थे। अगर आज यह सोसाइटी नहीं होती या हरिजनों के लिये यह अधिकार नहीं दिया गया होता तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जयपुर से जो माननीय सदस्य आते हैं और जो आमेर से आते हैं उनको यहां बहस करने का कोई हिस्सा ही नहीं होता ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय ...

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री मानसिंह महार (आमेर) : श्रम मंत्री ने हमारे लिये क्या कहा ? जरा दुबारा दोहराइये ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन यह कर रहा था कि.....

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री मानसिंह महार : On a Point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने आमेर से आने वाले सदस्य का नाम लेकर क्या बात कही, जरा उनको दोहराने के लिये कहा जाय ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री मानसिंह महार : मैं इन बानिये भगवानिये की वार्तो की परवाह नहीं करता।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था, संविधान की धारा २४४ व १७ तथा उसके बाद में आर्टिकल्स ३३८, ३३९ व ३४० में जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं, जिन सारे आर्टिकल्स को बनाने में डॉ० अम्बेडकर और ठक्कर बापा जैसे महान् व्यक्तियों का हाथ था और उनके साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनका हाथ था, जिसके कारण मैं समझता हूं माननीय सदस्य जो आमेर से आये हैं और जयपुर से आये हैं और हम सब यहां बैठकर बहस कर पा रहे हैं; इस प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, जो कुछ भी वे कहना चाहें कह सकते हैं....

श्री मानसिंह महार : पहले भी खुला हुआ था, इसमें आपकी कौन सी महरबानी है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : इससे भी ज्यादा खुला हुआ था, अब तो आप जैसे आ गये जो पाबन्दी लगा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपके इस तरह से गर्मी दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मानसिंह महार : उधर से जो कह रहे हैं वो क्या ठीक है ? मिनिस्टर महोदय चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सब कुछ बोलने का अधिकार है ?

श्री भीखाभाई : मैं जब बोलता हूं आप सब लोग इतने व्यग्र क्यों हो उठते हैं ? जब उधर के माननीय सदस्य बोल रहे थे मैंने किसी प्रकार की बात नहीं कही थी। इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि मुझे आप इन्टरप्ट न करें, मेरी बातें सुन लिया करें। मैं आदिवासी हूं, आदिवासियों के बीच में रहता हूं, उनकी कठिनाइयों को जानता हूं। वे महुआ खाते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनकी सब बातें मैं जानता हूं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, उधर बिराजे हुए जो माननीय सदस्य हैं उन्हें मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, सब लोग जो पढ़े हुए हैं वे इन्हीं संस्थाओं में पढे हुए हैं, कांग्रेसी राज्य में पढ़े हुए हैं कांग्रेसी सरकार ने यह काम किया है....

श्री मानसिंह महार : आप भी किस के राज्य में पढ़े थे, वह भी बता दीजिये।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो यह बात कही जाती है उसके लिये बता देना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर ठक्कर बापा ने आदिवासियों की उन्नति के लिये अलख जगाई थी। उन्होंने उदयपुर में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नाम की संस्था की स्थापना की थी और राज्य सरकार ने भी उसी प्रकार की संस्थायें कायम कीं। जब १९२२ में सरकारी संस्थायें नहीं थीं उस समय १९२२ में भील आश्रम दोहद में खोला। वहां से सुखदेव

Page No 112

(श्री भीखाभाई)

काका, डाया भाई, श्रीकान्त आदि लोगों को तैयार किया। श्री कान्त भाई जैसे कार्यकर्त्ताओं ने इस काम को हाथ में लिया। उसी प्रकार से जो कार्यकर्त्ता इस देश के अन्दर मिलते हैं उन्होंने जो इसके लिये संस्थायें खोली है वे आज से कई वर्षों पहले खोल दी गई थीं। वीर टक्कर बापा की प्रेरणा से यह काम हुआ। माणिक्यलालजी वर्मा, भोगीलाल जी पंड्या जैसे कार्यकर्त्ता हमारे राजस्थान में तैयार हुए, जिन्होंने इन जातियों के लोगों की बहुत सेवा की है।

एक माननीय सदस्य : उनमें एक भीखाभाई भी थे।

श्री भीखाभाई : सन् १६३५ के अन्दर मुझे याद है, मैं मेरे मित्र को बता देना चाहता हूं, सदन में जो विरोधी दल के नेता हैं, महारावल साहब, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले फरमाया था कि श्री माणिक्यलाल वर्मा उनके यहां शरणार्थी के रूप में आये थे, यह सत्य नहीं है। महारावल साहब का इसमें हाथ था, उन्होंने इस कार्य में श्रेय दिया। इस श्रेय को हम मानते हैं और मानना चाहिये। कई राज्य उस समय भी ऐसे थे जो वीर टक्कर बापा की रीति-नीति थी उसके अनुसार हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिये कार्य प्रारम्भ किया जाय कई रियासतों ने किया था। जगह जगह छोटी मोटी रियासतों में जहां दकियानूसी विचारों के लोग थे, जहां लोगों को तालाबों से पानी नहीं भरने दिया जाता था इस प्रकार का जो वातावरण था उस हालत में जो कार्यकर्त्ता थे उन्होंने उस समय भी काम किया और आज भी काम करते हैं, राजनैतिक तौर से भी काम करते हैं और उसके लिये उनको इसमें स्थान भी मिला है; इसलिये नहीं कि आजादी आई और हमारा राज्य स्थापित हुआ, इससे इनके कार्य में प्रगति नहीं हुई, यह कहना सत्य नहीं है

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने वॉलन्टियर एजेन्सीज़, स्वयं सेवी संस्थायें हैं उनके बारे में कहा कि इनमें केवल राजनीतिक लोग काम करते हैं। किसलिये करते हैं, अपने स्वार्थ के लिये। मैं यह पूछना चाहता हूं सन् ३५ में क्या कल्पना थी कि हिन्दुस्तान आजाद होगा और आजाद के होने बाद इस प्रकार का रचनात्मक काम होगा। इसलिये यह कहना कि अमृतलाल यादव ने हरिजनों की सेवा की; उन्होने उस समय १६३५ के अन्दर राजपूताना हरिजन सेवक संघ नाम की जो संस्था थी उसके अध्यक्ष के रूप में काम किया। वर्माजी ने ३५ से काम किया, रामनारायण चौधरी, दुर्गाप्रसाद चौधरी, एस० एल० गुप्ता, नारायणन, वणिकलाल-ये सब इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता थे।....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह पुराना इतिहास तो आप पहले भी बता चुके हैं।

श्री भीखाभाई : यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है वह ज्ञान हो जाय। आज यहां सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उन्हीं के कारण वे चाहे इधर बैठे हो चाहे उधर बैठे हों आज इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलिदान, त्याग और

Page No 113

(श्री भीखाभाई)

तपस्या का परिणाम है, हम आज सदन में बैठकर उनके लिये बातें कर रहे हैं। इस प्रकार माननीय सदस्यों द्वारा गलत बातें कह कर लीपापोती करने की बात की जाती है वह ठीक नहीं है ....

एक माननीय सदस्य : आप भी तो वही कर रहे हो।

श्री भीखाभाई : स्वयं-सेवी संस्थायें हैं वे अपना काम तो करती हैं राजस्थान में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ जिला डूंगरपुर में सेवा संघ बांसवाड़ा में, सेवा संघ कई प्रकार की संस्थायें काम कर रही हैं उनमें किसी प्रकार की भी गड़बड़ी न हो यह मैं नहीं कहता। हरेक जगह पर कोई गड़बड़ी हो सकती है इसकी संभावना है, सभी जगह की कोई आदमी गारन्टी कैसे ले सकता है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही नहीं है कि रचनात्मक संस्थाओं में अखिल भारतीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के बाहर, मुझे याद है जब मैं जापान गया था, जापान में अनुभव हुआ, वहां सोसाइटीज़ काम करती हैं। उनके आजीवन सदस्य होते हैं। हमारे यहां पर आदिम जाति सेवक संघ के आजीवन सदस्य हैं, दूसरी तरफ सर्वेन्ट्स ऑफ इन्डिया सोसाइटी के भी आजीवन सदस्य हैं और वे सिर्फ अपने निर्वाह के लिये सौ डेढ सौ रुपया लेते हैं और उनमें काम करते हैं। कल मैं भी मिनिस्टर न रहूं तो क्या भूखा मरता रहूं ? नहीं, मेरे लिये इस संस्था में जाकर काम करने का अवसर है। मैं वहां जाकर काम करता रह सकता हूं और अपनी आजीविका चलाने के लिये खर्च ले सकता हूं। इसी तरह से दूसरे दूसरे प्रावधान हैं। मैं मानता हूं, social security is an important item of other countries. यह मैं इसलिये निवेदन कर रहा था क्योंकि हमारे राजस्थान में जैसा कि माननीय भैरोंसिंहजी ने कहा, सोसाइटीज़ काम करती हैं, उनके लिये कोई नियम ही नहीं हैं। उनका कहना है कि नॉन ऑफिशियल एजेन्सीज़ हैं वे बिना किसी नियम के काम करती हैं। और ऐसी बात बताई। पर यह फैक्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि 'There was a heavy shortfall in expenditure in Andhra-Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and West Bengal which could not utilise full amounts provided for grants to non-official agencies working for Scheduled Tribes. In case of Bihar, however, the exdenditure on grants to voluntary agencies working for the welfare of Scheduled Tribes exceeded the plan provision. As regards the provision made for grants-in-aid to voluntary organisations working for the welfare of scheduled castes, there was excess expendture in the states of Rajasthan and U. P. while other States & Union Territories could not utilise the full amounts provided for the purpose .."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वॉलन्टरी संस्थाओं को जो काम हम देते हैं उनके बारे में विदेशों में भी ऐसी धारणा है कि शिक्षा, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में इस प्रकार की संस्थाओं का योगदान लाभकारी होता है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है

(श्री भीखाभाई)

वह यह है कि यह अस्पृश्यता आई कहां से ? हमें जड़ तलाश करनी होगी। यह वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप है और इसके कारण उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह दूं कि यह राजस्थान सरकार या आने वाली सरकार, आपकी हो जावे या किधर की हो जावे, मुझे पता नहीं, किसकी सरकार कब हो जावे, इसे सामाजिक प्रश्न समझ कर हल करें, तभी उपयुक्त होगा। हमने संविधान के अनुच्छेद १७ में इसे निषिद्ध करार दिया है। सारे देश में दिया है। लेकिन आज भी हम मानते हैं कि समाज के मानस को बदलने में हम कितने सफल हुए हैं ? कानून कितना बदल सकता है जन–मानस को, यह हम-आप सब जानते हैं।

तो हमें इस समस्या का हल सामाजिक-दृष्टि से ढूंढना होगा। मानवता और राष्ट्रीयता की दृष्टि से इसे देखना पड़ेगा और साथ–साथ सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे।

आप सवाल कर सकते है कि पहले अपने में तो अपना मानस बदलो। अगर मैं भील हूं तो मेरे यहां दूसरे लोगों के प्रति क्या मेरा मानस बदल गया। मैं इस बात को नहीं मानता। आज जो सोशल हायार्की है वह आप में भी है और हम में भी है। शिड्यूल्ड कास्ट्स में भी और ट्राइब्स में भी सोशल हायार्की है। आज सवर्ण लोगों की तरफ से सोशल हायार्की चलती है जिसका अनुसरण करते हैं हरिजन लोग। हरिजनों में भी आपसी भेदभाव मिटा नहीं है। चमार, भंगी, मेघवाल, भांभी क्या एक हो गये ? इस तरह की दलील दी जाती है। पर सही बात तो यह है कि सवर्णों में अन्तर की भावना को जब तक बदला नहीं जाता तब तक यह अस्पृश्यता मिटने वाली नहीं है। सरकार के कानूनों के द्वारा भी इसका मिटना मुश्किल है। मेरे पास आंकड़े हैं। उसमें २०० का चालान किया, बीस-पच्चीस को सजा हो गई। पर इससे भी अन्तर नहीं पड़ा। यह फैक्ट है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बहुत सी बातें बताईं। तो यह सही है कि अस्पृश्यता अभी गई नहीं है। हम मानते हैं इसे। इसे बदलने के लिये तो हम सब सदस्यों को काम करना पड़ेगा। इसके लिये हमें बिना किसी राजनैतिक भावना के मानवता की दृष्टि से काम करना पड़ेगा, बल्कि हमें इसके लिये शपथ लेनी पड़ेगी।

इसलिये मैं इस बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि इस प्रश्न को राजनैतिक स्वरूप न दिया जावे। यह सही है कि ज्यों ज्यों हमारी आर्थिक और राजनैतिक स्थिति सुधरती जाती है और साथ साथ जबान की ताकत और सत्ता का भी थोड़ा बहुत साथ मिलता जा रहा है, इसलिये अब उतनी हिम्मत तो नहीं रही कि उतना डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके। आज यह ताकत जरूर आई है। विधान सभाइयों में शक्ति है, वह राज्य की सत्ता की शक्ति है। बोलने की शक्ति है इसमें चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये यह सोचना हमारे लिये जरूरी है कि क्या किया जावे, जिससे यह अस्पृश्यता मिटे ? इसके लिये क्या प्रयत्न हों ? मैं इसके लिये आपसे अपील करता हूँ कि आप-हृदय परिवर्तन की भावना सब में फैलावें। इसी से हम अपने प्रयत्नों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हम जो दरिद्र-नारायण लोगों के साथ जाने वाले हैं उनके

(श्री भीखाभाई)

तो १४ सूत्री कार्यक्रम में यह एक काम है। यह तो हमारे पार्टी के मैनीफेस्टो में भी है। अब मैं अपने अन्य दलों के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वे भी इस तरह का परिवर्तन अपने में लावें कि यह काम भी हमारा फण्डामेंटल काम होगा। यह अगर आप भी कर लेते हैं तो कम से कम एक मामले में तो हम सब एक हो जावेंगे। अगर दूसरे मामलों में न हो सकते हैं तो न सही, पर इस राष्ट्रीय महत्व के मामले में तो एक हो सकते हैं और होना चाहिये। यह निवेदन करना चाहता हूं। हमें पर्सुएशन की भावना से, हृदय परिवर्तन की भावना से काम करना होगा यह।

छात्रवृत्तियों के बारे में कहा गया। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने महतर वाली बात कही। वह बात वाजिब सी लगती है। ठीक लगी। क्या कारण है इसका? मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा। हो सकता है उसने 'हरिजन' लिखा हो।

श्री भैरोंसिंह : हो सकता है की बात मत कहो।

श्री भीखाभाई : तो मैं जानकारी करके अलग से आपको इस बारे में सैटिस्फाई करने की चेष्टा करूंगा।

आगे मैं निवेदन करूं कि आज कौनसा ऐसा बैरोमीटर है जिसके जरिये से हम यह जान सकें कि उनकी आर्थिक स्थिति किस सीमा तक ठीक हुई है या हुई भी है या नहीं हुई है; अछूतपन मिटा है या नहीं मिटा है। यह आपने बताया नहीं। मैंने पूछा भी सही कि आपके पास ऐसी कौनसी यार्डस्टिक है इसको नापने की। मैं अपनी तरफ से सुझाव रखना चाहूंगा कि वह बेरोमीटर हमारे हिसाब से इस प्रकार है। ३५, ३६ में यहां यह हालत थी कि हमारी जाति वाले लोगों को लोग घोड़ों पर नहीं बैठने देते थे, स्त्रियों को पैरों में जेवर नहीं पहनने देते थे, कुओं से पानी नहीं भरने देते थे, नाई हजामत नहीं करते थे। इन स्थितियों में आज निश्चित रूप से अन्तर आया है, हालांकि एक-दो इन्स्टान्स आज भी मिल जाते हैं यहां वहां।

एक माननीय सदस्य : समय समाप्त हो गया साहब।

(शोरगुल एवं कोलाहल के कारण अश्रव्य)

मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, ८ बज गये, अब १५ नहीं तो दस मिनिट का टाइम और बढ़ा दिया जावे तो मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : I suppose the time has been extended.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : Not extended.

श्री भीखाभाई : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

(विपक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

आपके सवालों के जवाब तो सुनकर जाइये।

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

(श्री भीखाभाई)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई बेरोमीटर हो सकता है तो ये आंकड़े हो सकते हैं। इससे जाहिर होगा कि हमने आदिवासी और हरिजनों के उत्थान के लिये, उनके विकास के लिये किस प्रकार का कितना काम किया है।

जो सामाजिक प्रयत्न सरकार द्वारा किये गये हैं उनके सम्बन्ध में प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स की जो संख्या है उसमें छात्रवृत्ति की जो संख्या है वह बढ़ती जा रही है। उससे प्रतीत होता है कि किस प्रकार से शिक्षा के कार्यक्रम में हरिजन और आदिवासी जनता को आकर्षित किया गया है।

मैं बताऊं ५६-५७ में छात्रों की संख्या ११,३२० थी।

५७–५८ में १४,१६६ थी

५८–५६ में २२,१४४ थी

५६–६० में १४,४१२ रह गई। मैं मानता हूं ६०–६१ में आंकड़े कम रहे और इस कारण कठिनाई हुई, जब स्कॉलरशिप में दिक्कत आ गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रवृत्तियों में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। मैं छात्रवृत्ति के सारे स्टेटमेन्ट को सदन में रख देना चाहता हूं. परन्तु समय ज्यादा हो गया है इसलिए मैं सारे आंकड़ों को पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि जहां पहले प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति १ लाख ५२ हजार २५७ थी उसके अगेन्स्ट ३७ लाख ८५ हजार ४१३ रुपये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रि–मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गई। क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि हरिजनों के उत्थान के लिए अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए यह प्रयत्न सराहनीय नहीं हैं? उसके साथ में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पोस्टमैट्रिक स्कॉलरशिप जो भारत सरकार से स्कॉलरशिप मिलती है उसमें निरन्तर वृद्धि हुई है। १९५६–५७ में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए १२८ थी, १९५७–५८ में २५६ हुई, १९५८–५६ में ३३१ हुई और १९५९–६० में ३५७ हुई और १९६०–६१ में ४७० हुई। तो उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की यह वृद्धि हुई है क्या यह सारी बातें इसका संकेत नहीं है कि हमने काफी प्रयत्न किये हैं और काफी प्रगति की है? उसी तरह से छात्रावासों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। हमारे होस्टल्स में जो लड़के पढ़ते हैं चाहे वे सरकारी होस्टल हों या गैर सरकारी, उनमें ५,७५६ स्टुडेन्ट्स पढ़ते हैं।

इससे मालूम होता है कि शैक्षणिक प्रगति जो राज्य सरकार द्वारा की जा रही है वह बहुत अच्छी है। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कोऑपरेटिव की बात कही गयी और सवर्ण सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात कही, इसके लिए मैं आपको बताऊं, सभी प्रकार के सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है उसके शेयर कैपीटल के अन्दर उसका पार्टीसिपेशन होता है। उसके अतिरिक्त जो मेनेजेरियल एक्सपेन्डीचर है उसमें भी हिस्सा लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अन्दर जितनी ठेकेदारी प्रथा है

(श्री भीखाभाई)

वह बन्द कर रखी है और उसमें अब कोई कान्ट्रेक्ट्स नहीं दिये जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे राजस्थान के अन्दर इस बात का प्रयत्न किया जा सके कि यह सहकारी समितियों को ही दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सर्विसेज़ के बारे में बहुत कुछ कहा गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इसके बारे में आंकड़े दिये उसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि राज्य सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया था और वह रावत जो मैम्बर हैं उनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। उस बोर्ड ने कुछ एप्ली-केशन्स इन्वाइट की थीं और उसमें कुछ और समय लगने की सम्भावना है। इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इस बोर्ड को नियुक्तियों आदि के राइट्स दिये जायें। यह बड़ा कदम होगा राजस्थान के अन्दर कि जो शिडूयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिए अलग से सर्विसेज़ की व्यवस्था करके उसके लिए प्रोवीज़न किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कही गयी वह यह है कि यहां पर पंचायतों के बारे में कहा गया था कि पंचायतों में जो कुछ खर्च होता है, जो कुछ ग्रान्ट वगैरह उनको दी जाती हैं उनके बारे में निरीक्षण करने के लिए सख्ती बरती जाये। इसके बारे में राज्य सरकार की ओर से आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे और इसके लिए पंचायत विभाग को भी लिखा जायेगा कि वह भी इसी तरह के इन्सट्रक्शन्स जारी कर दे।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिन्सिपल्स और दूसरे लोगों को यह अधिकृत किया गया है कि वे छात्र-वृत्ति दे दें। जो शिकायत आई है कि फार्म देरी से पहुंचते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से भी अतिरिक्त फार्म्स प्रिन्ट कराके उनको भेजे जा सकें, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां से विरोधी दल के सदस्य चले गये हैं और उपस्थित नहीं हैं, लेकिन एक माननीय सदस्य ने कहा था हमारे असिस्टेन्ट डाइरेक्टर के बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इन्डीविजुअल कैपेसिटी के लिहाज से जो भी कहीं मैं नहीं कहता कि वह सस्पेन्ड हो गया है। लेकिन जिस विभाग में उसको स्थानान्त-रित किया है यह तो उस विभाग का काम है। लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि १६-८-६३ को उनका चालान करने के लिए ऑर्डर्स हो गये हैं और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट बांदीकुई में चालान हो चुका है। यही मुझे निवेदन करना था....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir. क्या मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि जब चालान हो जाता है तो सरकार उसको तुरन्त ऑटोमेटिकली सस्पेन्ड कर देती है? इस तरह का रूल है? तो इनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया?

श्री भीखाभाई (समाज कल्याण मंत्री) : मैंने कहा कि हमारे यहां से वह चला गया।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारे यहां से क्या होता है ? जिसका चालान होता है उसको फौरन डिपार्टमेन्ट सस्पेन्ड कर देता है । ऐसा सरकार के कानून में है ।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करूं कि व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार का केस चले और सस्पेन्शन की कार्यवाही जेरेपेश है । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मल्कानी कमेटी के सम्बन्ध में....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपका महकमा और होम मिनिस्ट्री अलग हैं क्या ?

श्री भैरवलाल "कालाबादल"(अकलेरा-सु०) : इतना ही काफी है । समय भी बहुत हो गया है । रिपोर्ट का जवाब भी मिल गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब आपने भाषण प्रारम्भ किया तो हाउस की सेन्स ले ली गयी थी कि जब तक भाषण समाप्त करें तब तक का समय बढ़ाया जाये ।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो आर्ग्युमेंट्स दिये हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो चले गये उन्होंने एक बात बताई थी कि हमारे यहां भील क्षेत्र में इन्डस्ट्रीज़ में कोई प्रगति नहीं हुई । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सत्य नहीं है ।

मल्कानी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में इधर और उधर के लोगों ने कहा कि मैला उठाने के बारे में राज्य सरकार की क्या प्रणाली होगी और मल्कानी कमेटी ने जो सजेस्ट किया है उसके बारे में राज्य सरकार की क्या स्थिति है उसके बारे में मुझे बताना बहुत आवश्यक है । वह यह है कि मैं यह कहना चाहता था कि जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि कुछ नगरपालिकाओं को कुछ धनराशि दी गयी और वह धनराशि अलग अलग नगरपालिकाओं को दी गयी थी । उन्होंने, बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज़ ने अपने फण्ड से काम किया और कुछ ने नहीं किया । जिन्होंने नहीं किया हमने उनकी ग्रान्ट इन एड से वह पैसा वसूल कर लिया और बाद में राज्य सरकार की ओर से ३ लाख ७५ हजार का व्हील बैरोज़ का राज्य सरकार की ओर से ऑर्डर दे दिया । डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़ ने ६१४ व्हील बैरोज़ १० म्युनिसिपैलिटीज़ को दे दिये हैं....

श्री मोतीलाल चौधरी : Point of information, Sir, कितनी म्युनिसिपैलिटीज़ इतनी थीं कि जहां एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और उस रुपये का मिस-यूज़ किया और उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया ? काम में नहीं लाये और बाद में आपने ग्रान्ट इन एड से काटा क्योंकि सरकारी अधिकारी ही म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे । ६० म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने भी काम में नहीं लिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया?

श्री भीखाभाई : मेरे पास नाम नहीं हैं इस समय । अगर जानकारी माननीय

(श्री भीखाभाई)

सदस्य लेना चाहें तो मैं बाद में दे दूंगा। अभी तो मेरे पास जितनी इन्फोर्मेशन है वह मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर–सु०) : यह आश्वासन मिलना चाहिए कि जिन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने पैसे का दुरुपयोग किया उनके खिलाफ गवर्नमेन्ट एक्शन लेगी।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करूं कि उनसे वापिस वसूल कर लिया गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह रुपया वसूल करने का मामला नहीं है। इस प्रकार हरिजनों के साथ ज्यादती की गयी है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। पैसा वसूल करने की क्या बात है ?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जो भी कार्यवाही हो सकती है सरकार की तरफ से वह की जायगी। साढ़े नौ लाख रुपये राज्य सरकार ने रखा है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर हमारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उधर के सदस्य तो अब रहे नहीं, तो भी सहिष्णुता की भावना से काम करना है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो मानवता का प्रश्न है, जो राष्ट्रीयता की समस्या है, उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि सभी सदस्य जो हैं उसको उसी प्रकार से क्रियान्वित करें। जो सामाजिक क्रान्ति हम देश में करना चाहते हैं वह एक दिन में नहीं हो सकती, उसके लिए धीरे-धीरे प्रयत्न करना पड़ेगा।

अन्त में, जिन माननीय सदस्यों ने रचनात्मक सुझाव इस रिपोर्ट पर दिये हैं, उनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और राज्य सरकार की तरफ से एश्योरेन्स देना चाहता हूं कि जहां तक हो सके, जितना मुमकिन हो इस बात की कोशिश की जायेगी कि इस रिपोर्ट की रिकमन्डेशन को क्रियान्वित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ८ बजकर १२ मिनट पर बृहस्पतिवार, दिनांक ५ सितम्बर, १९६३, के २–३० बजे अपरान्ह तक स्थगित हुई)

संक्षिप्त—विवरण

(बुधवार, ४ सितम्बर, १९६३

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	१	सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का संदर्भ सैक्शन ।	
सिरोही जिले को विद्युत ।		बांदीकुई म्युनिसिपिल बोर्ड के चुनाव ।	
नवलगढ़ नगरपालिका ।		रोड टैक्स व पैसेन्जर टैक्स की बकायात ।	
पदमपुर में विद्युत ।		गृह निर्माण के लिये धनराशि ।	
राजस्थान में अस्पतालों द्वारा एक्सरे आदि की अलग अलग दरों से फीस की वसूली ।		धौलपुर सब-डिवीज़न में चोरियाँ ।	
टोंक में टी. बी. सेनिटोरियम भवन ।		सांचोर में नल योजना ।	
चोरियां व डकैतियां ।		उदयपुर एस. पी. क्षेत्र में पुलिस अर्दली ।	
सी. ए.एस. क्लास प्रथम डाक्टरों का कन्फर्मेशन ।		मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट,निम्बाहेड़ा ।	
सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें ।		ग्राम मायदपुर (वैर) का पुराना कूआ ।	
जयपुर नगरपालिका के लीगल एडवाइज़र ।		राज-पत्र में अशुद्धियां ।	
सड़क निर्माण ।		वजीरपुर में डिस्पेन्सरी ।	
पुलिस अफसरों को ऊंट चलाने का प्रशिक्षण ।		आमेट नगर में बिजली ।	
टोडारायसिंह नगरपालिका में एड-हॉक कमेटी ।		गंगानगर परिषद् में सेनिटेशन स्टाफ ।	
		बीकानेर में राजस्थान प्रदर्शनी, १९६२ का आयोजन ।	

बीकानेर शहर में सड़क निर्माण ।

बगड़ नगरपालिका के मेहतर कर्मचारी ।

स्थगित प्रश्न

(२८-८-६३)

फ्रेन्च पोलिश बनाने हेतु डिनेचर्ड स्प्रिट ।

नगर परिषद् जयपुर की सीमा में पेट्रोल पम्प ।

नाहरगढ़ सड़क की मरम्मत ।

२. अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ८१

श्री दुर्गालाल बाड़दार, सदस्य विधान सभा, ने जयपुर नगर में नगरपालिका द्वारा भूमि न दिये जाने के कारण लोगों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान बनाने से उत्पन्न स्थिति की ओर प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत स्वायत शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

स्वायत्त शासन मंत्री श्री बरकतुल्ला खां, ने इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

३. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के नवें तथा दसवें प्रतिवेदनों पर विचार ८५

श्री भीखा भाई, मंत्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर आज भी बहस की गई:—

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के नवें प्रतिवेदन, १९५९-६० तथा दसवें प्रतिवेदन १९६०-६१ को, जहां तक उनका राजस्थान राज्य सरकार से संबंध है, विचारार्थ लिया जाय ।"

बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री मानसिंह महार ।

(२) श्री अमृतलाल यादव ।

(३) श्री भैरोंसिंह ।

(४) श्री रामकिशन ।

(५) श्री केदारनाथ शर्मा ।

(६) श्री गोकुलचन्द ।

(७) श्री हरिराम चौहान ।

(८) श्री विजयपाल ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने बहस के दौरान उठाये गये कुछ मामलों पर प्रकाश डाला ।

श्री भीखा भाई, मंत्री समाज कल्याण विभाग, ने बहस का उत्तर दिया ।

सदन की बैठक ८ बजकर १३ मिनट पर गुरुवार, दिनांक ५ सितम्बर, १९६३ को दिन के २.३० बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

गुरुवार, दिनांक ५ सितम्बर, १९६३ की कार्य–सूची

१. राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३ प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि ।

२. कार्य–सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति।

३. अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६३-६४ (प्रथम संग्रह) पर मतदान ।

४. राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित)

५. अधिक अनुदानों की मांगों, १९५९-६०, पर मत-दान ।

६. राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३ (पुरः स्थापन, विचार-विमर्श एवं पारण)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ का उत्तर देखिए)

नगरपालिका, टोडारायसिंह में नियुक्त एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यगणों की सूची:—

(१) तहसीलदार, टोडारायसिंह—चेयरमैन
(२) श्री कन्हैयालाल वल्द श्री विजयलाल
(३) श्री बजरंगलाल वल्द श्री भंवरलाल
(४) श्री घासीलाल वल्द श्री नानगराम
(५) श्री मोहनलाल वल्द श्री मूलचन्द
(६) श्री मनोहरलाल वल्द श्री भंवरलाल
(७) श्री मदनलाल वल्द श्री बिहारीलाल
(८) श्री हीरालाल वल्द श्री रामपाल
(९) श्री हसनखां वल्द श्री मोहम्मद खां।
(१०) श्री चौथमल वल्द श्री रामकरण
(११) श्रीमती रतन बाई
(१२) श्रीमती मोहनी बाई
(१३) श्री गंगाकिशन रैगर

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE OUTSTANDING UNDER R. P. G. T. ACT
OF DISTT. UDAIPUR ON 21. 7. 63.

S. No.	Name of Bus Owners.	Amount.	Year.	Refer under L. R. Act.
1.	2	3	4	5
1.	Taxi Motor Association. Nathdwara	2297.88	60-61	L. R. Act.
2.	Mukhi Gordhandas.	251.58	61-62	,,
3.	Shri Bhagwan Singh.	645.75	,,	,,
4.	Zakir Hussain Gulamabbas	2[illegible],242.52	62-63	,,
5.	Istiyakh Hussain.	2,269.67	,,	,,
6.	Mukhi Gordhandas.	3, 246.32	,,	,,
7.	Zakir Hussain Gulam Abbas.	50, 380.52	,,	,,
8.	Ganesh Bus service.	506.55	,,	,,
9.	Chaudhari Bus service.	8,264.38	,,	,,
10.	Laxmi Bus service.	105.71	,,	Departmental action.
11.	Shri Girdharilal Jethi.	3,932.12	,,	,,
12.	M/s. Zakir Hussain Gulam Abbas.	1,060.27	,,	,,
13.	Shrimati Kusum Kumari	2,966.59	63-64	Notice issued
14.	Shri Zakir Hussain Gulam Abbas.	28,356.58	,,	,,
15.	Shrimati Dhapubai w/o. Ranglal Khamesara, Nathdwara.	4,130.18	,,	,,
16.	Chaudhari Bus Service, Nathdwara.	50,111.65	,,	,,

Total 1, 80, 768.27

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ४ सितम्बर, १६६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५ से ६०	शीर्षक	सितम्बर	सितम्बर,
६	अन्तिम से ४	रिमेम्ब्रेस्न्सर	रिमेम्ब्रेन्सर
७	८	करते-	करते हैं।
,,	१४	श्री ावजयसिंह झाला	श्री विजयसिंह झाला।
६	११	रिमेम्ब्ररेन्सर	रिमेम्ब्रेन्सर
,,	१६	तीर	तौर
,,	अन्तिम	श्री वेदारनाथ	श्री केदारनाथ
११	१७	लोंवलिटी	लोकेलिटी
,,	२०	श्री गिरधरीलाल व्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
१२	१	सस	के सेन्सस
१३	अन्तिम से ६	विरितृत	विस्तृत
,,	,, ,, ३	श्री गोकुलप्रमाद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
१५	२	श्री ज्वालाप्रसाद शमा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
,,	५	मंगानी-फ्रीका	मगानी है, अफ्रीका
,,	१०	भतलव	मतलव
,,	अन्तिम से ६	सदरय	सदस्य
१६	शीर्षक	प्रश्नत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	१४, १५	accommo ating	accommodating
२४	६	रिप्रेजेण्टेशनस	रिप्रेजेन्टेशन्स
,,	११	स्वास्ध्य मंत्री	स्वास्थ्य मंत्री
२८	अन्तिम से ३	गर	नगर
३२	१६	o the	to the
,,	१८	Dan lia,Legal Advise	Dandia, Legal Adviser
,,	२३	e orm	effect form
३५	१७	comleted	Completed
३६	शीर्षक	श्नोत्तर	प्रश्नोत्तर

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४१	१८	श्री दोलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
४३	अन्तिम से४	फरव ी	फरवरी,
४८	२१	पैसैंजर	पैसेन्जर
५०	अन्तिम से ५	कि	कि कैसे ले
५८	७	आर	आय
,,	अन्तिम से ४	विस्तृत	विस्तृत
५५	१३	श्रो परसराम मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
५६	२	तुतीय	तृतीय
,,	१८	अदली	अर्दली
६०	१०	पी ज़को	पीज़ को
,,	अन्तिम से ३	Minester	Minister
६४	८	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
६५	११	(श्री बरकतुल ा खां)	(श्री बरकतुल्ला खां)
६८	१०	आयाजन	आयोजन
७०	८	श्री नानिकचन्द्र सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
७३	१६	श्री सम्पित्तलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
७४	अन्तिम से ८	सिफं	सिर्फ
८१	२	अल्पकाल 'सूचना संख्या १६ एस० एन०	अल्पकाल सूचना प्रश्न संख्या १६ एस० एन० क्यू०
,,	८	संबंधी विलम्बनीय	सम्बन्धी अविलम्बनीय
,,	१२	भूमि न दिये	भूमि न दिये जाने के
८५	शीर्षक	जयपुर नगरपालिका द्वारा-४ सितम्बर, ६३-भूमि न देने पर ध्यान दिलाना	जयपुर नगरपालिका द्वारा-४ सितम्बर, ६३- अनुसूचित जातियों के आयुक्त
९०	११	wom	a woman
,,	२५	to bc	to be
,,	२६	Cahllan	Challan
९७	१	श ी	श्री
९८	१	जाती	जाती है
९९	६	schemesi n a	schemes i n a
१०३	१२	छूआछूत	छुआछूत
१०८	१८-१९	evil; practice	evi l practice
१०८	२३	S ate	State

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१२६	६	O f the Vari us	of the Various
,,	१३	of the	of the Sche-
,,	१७	have	have to
,,	अन्तिम से ६	कह चाहूँ ग	कहना चाहूंगा
१३०	६	नहीं किया	नहीं किया है।
१३२	६,११,१६ २१,२४,२६, २८,३०	छूआछूत	छुआछूत
१३७	अन्तिम ५ से	कालबेलियों	कालबेलियों
१४२	३	(सां–चोर)	(सांचोर)
१४३	१५	में ी	में भी
,,	१६	इ का	इसका
१४४	अन्तिम से ६	Bhang is is	Bhangis is
,,	अन्तिम	re	reg-
१४५	२	who ad	who had
१४७	अन्तिम से ३	iu the	in the
१४८	४	obs rvance	observance
१४८	७	Rajastan	Rajasthan
,,	१०	disab lities ae	disabilities are
,,	११	perha s	Perhaps
१४८	१५	highest iu	highest in
,,	अन्तिम से २	wel ladj ining	well adjoining
१४६	५	both	bath
,,	१२	falese	false
१४६	१६	plant	plaint.
१५२	२०	गावीजी	गांधीजी
१६२	२१	रिवेंज़शेन	रिज़र्वेशन
१६६	३	त जवाव	तो जवाब
१६६	५	छूआछूत	छुआछूत
१७६	२१	शिड्यल्ड	शिड्यूल्ड
१६४	१५	इ लिए	इसलिए
१६५	शीर्षक	सित ा, ६३	सितम्बर, ६३

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१६७	६	जस्थान	राजस्थान
,,	१०	(समय-समा सूचक घंटी	(समय-समाप्ति सूचक घंटी)
,,	अन्तिम से ५	का देखें	को देखें
२०४	१	फैल	फेल
,,	१६	बोल रहे तो	बोल रहे थे तो
२०६	२	शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यल्ड	शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड
२१०	८	वकीफे	वजीफे
,,	६	भ	भी
,,	१४	करते और	करते हैं और
२११	शीर्षक	राजस्थान भू- राजस्व -१३ सितम्बर, ६३- (संशोधन) विधेयक, १९६३	अनुसूचित जातियों के आयुक्त -४ सितम्बर, ६३-के प्रतिवेदन पर विचार
२१३	शीर्षक	विचा	विचार
,,	अन्तिम से ७	तनखधाहें	तनख्वाहें
,,	अन्तिम से ३	शिड्यल्ड	शिड्यूल्ड
२१४	४	पई	पढ़ाई
,,	१८	व	न
२१८	१४	समस्य	समस्या
,,	अन्तिम से ५	वात	बात
२१६	११	३३८ वे	३३८ वें
,,	१६	(उप-मंत्री, उघोग)	(उप-मंत्री, उद्योग)
२२१	५	वातों	बातों
२२६	२६	expendture	expenditure
,,	३०	मैं	मैं
२३२	अन्तिम से ५	पाटीसिपेशन	पार्टीसिपेशन
२३४	४	आर	और
२३८	अन्तिम	१२ मिनट	१३ मिनट
२४५से२४६	शीर्षक		परिशिष्ट
२४५	७	वल्द	वल्द
२४६	कॉलम नं. ३ में ४ प.	2, 1, 242.52	22, 242.52